ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

सितम्बर 2024
वर्ष : 06 | अंक : 11
मूल्य : ₹140

dhyeyaias.com

मुख्य विशेषताएं

- राज्य समाचार
- ब्रेन बूस्टर
- पॉवर पैक्ड न्यूज
- वन लाइनर
- यूपीएससी प्री मॉक पेपर

"ओलंपिक में भारत"

प्रदर्शन और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

ध्येय LAW®

An enterprise of Dhyeya IAS

WORKSHOP

JUDICIAL SERVICE EXAMINATION

PAVING WAY TO THE OTHER SIDE OF THE BENCH

TO BE CONDUCTED ON 21ST SEP

SCAN THE QR CODE TO REGISTER

9319991061

A-12, SECTOR J, ALIGANJ, LUCKNOW

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	12	1680	1200

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
140	6	840	600

*Postal charges exta

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. राष्ट्रीय 06-16

- कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों में सुधार की आवश्यकता
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- नगर निगम के 'एल्डरमैन' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- निचली अदालतों के बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ
- विशेषाधिकार प्रस्ताव
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- लेटरल एंट्री स्कीम
- लोकसभा ने विनियोग विधेयक, 2024 पारित किया
- गोद लेने से संबंधित नए दिशा-निर्देश
- सर्वसमावेशी पेंशन योजना (UPS)
- दलबदल के आधार पर दो विधायक अयोग्य घोषित
- विधायी प्रभाव आकलन (LIA)

2. अन्तर्राष्ट्रीय 17-29

- बांग्लादेश के राजनीतिक संकट से प्रभावित होता भारत, तख्ता पलट के मायने
- भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स
- साइबर अपराध के विरुद्ध नया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन
- भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा
- यूएस बायोसिक्योर एक्ट
- तीसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन
- भारत और जापान '2+2' वार्ता
- भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन दौरा
- अमेरिका-भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग
- भारत और मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी
- सांस्कृतिक संपत्ति समझौता
- क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक
- पांचवीं आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति

3. पर्यावरण 30-40

- हाथियों का संरक्षण इकोसिस्टम के लिए अत्यंत जरूरी
- भारत में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन रही 'उड़ती नदियाँ'
- भारतीय शहरों में बढ़ता समुद्र का जलस्तर
- छत्तीसगढ़ में नए टाइगर रिजर्व की घोषणा
- पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादल: जंगल की आग से उठे वायुमंडलीय तूफान
- अंटार्कटिका की गहरी सर्दी में हीटवेव्स
- एशियाई आपदा तैयारी केंद्र
- 2023 में जलवायु की स्थिति पर रिपोर्ट
- जापान ने पहली बार 'महाभूकंप संबंधी परामर्श' जारी की
- केरल की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 41-52

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बदलाव: सुधार, नवाचार और भविष्य की संभावनाएँ
- 34 नए विशालकाय रेडियो स्रोत की पहचान
- ऑस्मोलाइट्स

☑ ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ भारत की नई उम्मीद: BPaL प्रारूप
☑ माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोब्स
☑ सौर चक्र भविष्यवाणी की नई विधि
☑ मंकीपॉक्स
☑ वैक्सीन जनित पोलियो
☑ परवोवायरस
☑ किंडलिन्स
☑ सायनाइड सेंसर

5. आर्थिकी 53-65

☑ केंद्रीय बजट 2024: समावेशी विकास के लिए एक रणनीतिक खाका
☑ RBI के नए लिक्विडिटी नियम
☑ बॉयलर विधेयक, 2024
☑ प्रमुख खनिजों तथा एल्युमीनियम के उत्पादन में वृद्धि
☑ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने नए उपाय प्रस्तावित किए
☑ भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात: एक समग्र दृष्टिकोण
☑ बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
☑ भारत और मिडिल-इनकम ट्रैप
☑ वित्तीय बाजार के स्व-नियामक संगठनों के लिए ढांचा
☑ गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर शिकायत
☑ भारत का इस्पात उत्पादन
☑ जेंडर बजट

6. विविध 66-76

☑ ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन से जुड़े सवाल
☑ WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
☑ एनआईआरएफ रैंकिंग 2024
☑ किशोरों के स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता
☑ डेटा उल्लंघन की लागत रिपोर्ट 2024
☑ महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा महिला उद्यमिता कार्यक्रम
☑ देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन
☑ युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024
☑ क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क
☑ जीन-एडिटिंग कीटनाशक के प्रभाव पर अध्ययन
☑ भारत में तरल प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति

7. क्विक लर्न 77-126

ब्रेन बूस्टर 77–88
☑ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
☑ पेरिस ओलंपिक 2024
☑ रामसर स्थल
☑ एकीकृत पेंशन योजना
☑ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024
☑ यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)
☑ ला नीना
☑ सियांग उपरी बहुउद्देशीय परियोजना
☑ बायोई3 नीति (BioE3 Policy)
☑ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन
☑ आईएनएस अरिघात
☑ प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रमुख चर्चित स्थल 89–90

राज्य समाचार 91–98

पावर पैक्ड न्यूज 99–107

वन लाइनर्स 108–110

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 111–117

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 118–126

कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों में सुधार की आवश्यकता

भारत एक सुरक्षा सुभेद्य देश है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा जाता है। इस संदर्भ में, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्धसैनिक बलों को समय-समय पर सुदृढ़ किया जाता है। अर्धसैनिक बलों की संरचना और कार्यपद्धति का आधुनिकीकरण, संसाधन प्रबंधन, नई बटालियनों का गठन, आपसी समन्वय, वेतन और पेंशन संबंधी शर्तों में सुधार और जवानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय आवश्यक हैं। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्रालय को निर्णय लेना होता है।

हाल ही में देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और 'फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस' के रूप में प्रसिद्ध सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 57 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत मिलेगी। साथ ही, दोनों बलों में पदोन्नति की समस्या का सामना कर रहे कैडर अधिकारी और निचला स्टाफ भी राहत महसूस करेगा। नई बटालियनों के गठन से इंस्पेक्टर से लेकर कमांडेंट और डीआईजी रैंक तक में नए पद सृजित होंगे।

गौरतलब है कि लंबे समय से CRPF में 35 और बीएसएफ में 22 बटालियनों के गठन की फाइल गृह मंत्रालय में विचाराधीन थी। BSF, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6386.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। नए बटालियन के गठन से संबंधित फाइल को शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, आधिकारिक आदेश अभी आना बाकी है।

कश्मीर में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ: अर्धसैनिक बलों में सुधार की आवश्यकता

- कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के नए सिरे से शुरू होने के मद्देनजर, अर्धसैनिक बलों को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान में, आतंकवादी कश्मीर के घने जंगलों में छिपकर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
- इसके अलावा, नार्को आतंकवाद के लिए ड्रोन का उपयोग और ड्रग्स तस्करी की घटनाएँ बढ़ रही हैं। बांग्लादेश बॉर्डर भी अस्थिर हो गया है, जिससे अवैध शरणार्थियों की आमद और तस्करी की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं।
- इन परिस्थितियों को देखते हुए, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने और कांबेटिंग स्किल्स को सुधारने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने सीआरपीएफ और बीएसएफ के स्तर पर आवश्यक सुधारों की योजना बनाई है।
- सीआरपीएफ की बटालियनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। भीड़ हिंसा, नक्सली गतिविधियाँ, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले अराजक तत्वों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, सीआरपीएफ के पास पर्याप्त मानव संसाधन होना आवश्यक है।

पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती में तेजी:

- पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक और बटालियन तैनात करने का निर्णय लिया गया है। बटालियन को भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पार से नशा तस्करी और हथियार (गोला-बारूद) की खूब तस्करी होती है।
- ड्रोन से नशा और हथियारों की सप्लाई को रोकने और घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए एक अतिरिक्त बटालियन की तैनाती की मांग की गई थी जिसे मान लिया गया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल पुरुष जवानों की तरह मोर्चे पर गश्त करने के लिए घुड़सवार महिला जवानों की एक घुड़सवार इकाई भी

बना रहा है। बीएसएफ ने हाल ही में जम्मू से सटे गुरदासपुर में अधिक सैनिकों को तैनात करके पंजाब-जम्मू सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाई है। ऐसा भारत-पाकिस्तान सीमा से पंजाब के रास्ते जम्मू तक होने वाली आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया है। इस समय पंजाब में बीएसएफ के पास 500 किलोमीटर से अधिक लंबे बॉर्डर एरिया पर मोर्चे की सुरक्षा का जिम्मा है। इसके लिए लगभग बीएसएफ की 20 बटालियन पंजाब में सक्रिय है।

- इनमें से 18 सीमा पर तैनात हैं, जबकि बाकी को अमृतसर में अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और गुरदासपुर जिले के करतारपुर कॉरिडोर डेरा बाबा नानक में जरूरत के अनुसार तैनात किया गया है। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन के सीमावर्ती जिलों में वर्ष 2019-20 से ड्रोन खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए ऐसा जरूरी भी था। पाकिस्तान सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी पहले भूमि मार्ग से होती थी, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से हवाई मार्ग से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल अब तक 120 से अधिक ड्रोन बरामद किए हैं, जबकि 2023 के दौरान 107 ड्रोन सुरक्षा बल ने मार गिराए थे।

बीएसएफ की भूमिका:

- भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है और भारत के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (एआर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर बीएसएफ के 2.65 लाख सैनिक तैनात हैं। यह भारतीय सेना के साथ भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात है। इसमें एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट है।
- बीएसएफ अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा जैसी भौगोलिक स्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराने में राज्य प्रशासन की मदद करने में बीएसएफ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बीएसएफ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी सुरक्षा प्रदान करती है ताकि जरूरत पड़ने पर मानव जीवन को बचाया जा सके।
- बीएसएफ सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ संवाद को बढ़ावा देता है, उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करता है और भारत सरकार के पक्ष में उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने पर बल देता है। बीएसएफ यूएन पीस कीपिंग मिशन में भाग लेता रहा है। नक्सल विरोधी अभियानों में भी इसने अपनी भूमिका निभाई है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा को हर तरह के अपराधों, अवैधानिक गतिविधियों और सीमा पार आतंकी कार्यवाहियों से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी हेतु 'सीमा सुरक्षा बल' (BSF) के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिये एक अधिसूचना भी जारी कर चुका है।

सीआरपीएफ की भूमिका:

- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 को किया गया था। यह 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम से जाना जाने लगा। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। जब 1939 में अंग्रेजों ने इसे बनाया था तब इसका मूल नाम क्राउन्स पुलिस रिप्रेजेंटेटिव था। अब इसके गौरवशाली इतिहास के 83 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संरचना की बात करें तो इसमें 243 बटालियन (210 विशेष बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 आरएएफ बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन और 1 विशेष ड्यूटी ग्रुप और 1 पीडीजी सहित) हैं। सीआरपीएफ 43 समूह केन्द्रों, 20 प्रशिक्षण संस्थाओं, 3 सीडब्ल्यूएस, 7 एडब्ल्यूएस, 3 एसडब्ल्यूएस और 100 बिस्तरों वाले 4 कम्पोजिट अस्पतालों और 50 बिस्तरों वाले 17 कम्पोजिट अस्पतालों के गठन से बना हुआ एक बड़ा संगठन है।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मुख्यत: भीड़ को नियंत्रित करने, दंगों पर नियंत्रण करने, आंतक विरोधी ऑपरेशन करने का दायित्व निभाया जाता है। यह वामपंथी उग्रवाद से निपटने और हिंसक क्षेत्रों में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय करने का भी काम करता है। इसे अति विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है।
- यह पर्यावरण विनाश को रोकने पर निगरानी और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करने के लिए भी अपनी निगाह लगाए रखता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है। यह विधायी कदम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ मेल खाता है, जो आपदा प्रबंधन के लिए अधिक प्रबंधित और डेटा-प्रेरित दृष्टिकोण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश करता है।

आपदा डेटाबेस निर्माण:

- **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस:** विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यापक आपदा डेटाबेस स्थापित करने की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। इन डेटाबेस में आपदा आकलन, निधि आवंटन विवरण, व्यय, तैयारी और कमीशन योजनाओं और जोखिम रजिस्टर जैसी विस्तृत जानकारी शामिल होगी। यह कदम आपदा प्रबंधन में पारदर्शिता और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

पुनःसंशोधित आपदा योजना ढांचा:

- **प्राधिकरण को सशक्त बनाना:** विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs) को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजनाओं को तैयार करने और लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। यह जिम्मेदारी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी (NEC) और स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी (SECs) से स्थानांतरित की गई है, इसका उद्देश्य योजना प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
- **समीक्षा और अद्यतन:** राष्ट्रीय आपदा योजना को हर तीन साल में समीक्षा और हर पांच साल में एक बार अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि यह प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे।

शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- **बड़े शहरों के लिए नया प्राधिकरण:** विधेयक राज्य की राजधानियों और बड़े नगर निगम वाले शहरों के लिए 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के निर्माण का प्रस्ताव करता है। यह प्राधिकरण शहरी-विशिष्ट आपदा जोखिमों को संबोधित करने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **विधायी मान्यता:** विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जो प्रमुख आपदाओं को संभालती है और उच्च-स्तरीय समिति, जो वित्तीय सहायता को मंजूरी देती है, को विधायी मान्यता प्रदान करता है। इस मान्यता का उद्देश्य इन निकायों की भूमिकाओं को औपचारिक रूप से मजबूत करना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल:

- **सशक्त राज्य क्षमताएँ:** विधेयक राज्य सरकारों को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान राज्यों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, जिससे आपात स्थितियों में अधिक स्थानीयकृत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एक ऐसा अधिनियम है जिसे भारत सरकार ने आपदाओं और उससे संबंधित मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पारित किया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की प्रमुख धाराएँ:

तीर स्तरीय संस्थागत ढांचा:

- **राष्ट्रीय स्तर:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की निगरानी करता है।
- **राज्य स्तर:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs), जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, राज्य स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी का प्रबंधन करते हैं।
- **जिला स्तर:** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMAs), जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या उप-कलेक्टर द्वारा की जाती है, स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रयासों को संभालते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):

- **विशेषज्ञ प्रतिक्रिया टीम:** आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की स्थापना करता है, जो आपदा स्थितियों के दौरान विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):

- **आपदाओं के लिए वित्तपोषण:** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का निर्माण आपदा स्थितियों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए वित्तपोषण करने के लिए किया गया है।

निष्कर्ष:

प्रस्तावित संशोधन डेटा का उपयोग करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने लिए एक समन्वित प्रयास को दर्शाता हैं। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में एकीकृत करके और राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों प्राधिकरणों को सशक्त बनाकर, विधेयक एक अधिक उत्तरदायी और लचीले आपदा प्रबंधन ढांचे का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है। शहरी प्राधिकरणों और राज्य प्रतिक्रिया बलों

की स्थापना विविध और स्थानीय आपदा जोखिमों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करती है।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, 5 अगस्त 2024 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक 1948 के तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण, निष्कर्षण और प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार ने तेल और गैस उद्योग में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

संशोधन के प्रमुख बिंदुः

खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तारः

- वर्ष 1948 के अधिनियम में खनिज तेलों की परिभाषा में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है। किन्तु विधेयक के तहत, खनिज तेलों की परिभाषा को आधुनिक ऊर्जा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत किया गया हैः
  - प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन
  - कोल बेड मीथेन
  - शेल गैस/ऑयल
- वही कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है।

पेट्रोलियम पट्टा की व्यवस्थाः

- वर्तमान में खनन पट्टे की व्यवस्था है, जो तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन को नियंत्रित करती है। विधेयक खनन पट्टे की जगह पेट्रोलियम पट्टे का प्रस्ताव करता है, जो विस्तृत गतिविधियों को कवर करेगा जैसे कि अन्वेषण, मूल्यांकन और उत्पादन। अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए मौजूदा खनन पट्टे वैध बने रहेंगे।

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँः

- वर्ष 1948 का अधिनियम केंद्र सरकार को विभिन्न नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिनमें पट्टों का अनुदान और रॉयल्टी की वसूली शामिल है। विधेयक के माध्यम से नई शक्तियाँ जोड़ी गई हैंः
  - पेट्रोलियम पट्टों का विलय और संयोजन,
  - उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं को साझा करना,
  - पर्यावरण की सुरक्षा और उत्सर्जन को कम करने के प्रति पट्टेदारों के दायित्व,
  - पेट्रोलियम पट्टे प्रदान करने के संबंध में विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक तंत्र।

अपराधों का गैर-अपराधीकरण :

- वर्तमान अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए विधेयक में सजा की बजाय 25 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
- विधेयक में निम्नलिखित अपराधों को भी शामिल किया गया हैः
  - वैध पट्टे के बिना खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियाँ जैसे अन्वेषण, पूर्वेक्षण और उत्पादन करना।
  - रॉयल्टी का भुगतान न करना।

निष्कर्षः

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, भारतीय तेल और गैस क्षेत्र के नियमन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन करता है। यह विधेयक नई परिभाषाओं, पट्टों के ढांचे, नियम बनाने की शक्तियों, और दंड की संरचना को शामिल करता है। इन संशोधनों के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य तेल और गैस उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ाना, पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और गैर-अनुपालन के लिए प्रभावी दंड प्रदान करना है। इस विधेयक के लागू होने से ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

नगर निगम के 'एल्डरमैन' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र द्वारा नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) को दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' को नामित करने का अधिकार है।

एल्डरमैन के बारे मेंः

- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (डीएमसी अधिनियम) के तहत, दिल्ली को 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक 'वार्ड समिति' होती है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और एल्डरमैन से मिलकर बनती है।
- उपराज्यपाल (एलजी) 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और जिन्हें नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। हालांकि एल्डरमैन एमसीडी की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते हैं, वे वार्ड समितियों के माध्यम से सदन के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है
- प्रत्येक वार्ड समिति एमसीडी की स्थायी समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव करती है। एल्डरमैन इन चुनावों में मतदान कर सकते हैं और उम्मीदवार के रूप में भी खड़े हो सकते हैं। स्थायी

समिति के अन्य छह सदस्यों का चुनाव महापौर के चुनाव के बाद एमसीडी सदन द्वारा सीधे किया जाता है।

- स्थायी समिति, जो एमसीडी के प्रमुख कार्यों का प्रबंधन करती है, का गठन एल्डरमैन की भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, स्थायी समिति के बिना, एमसीडी बड़े अनुबंधों में प्रवेश करने, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करने, बजट संशोधन की सिफारिश करने, या महत्वपूर्ण व्यय को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर सकती है।

पृष्ठभूमि:

- 3 जनवरी, 2023 को, दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) ने डीएमसी अधिनियम की धारा 3 के तहत 10 एल्डरमैन को नामित करने की अधिसूचना जारी की। इसके अगले दिन, इस अधिसूचना को संशोधित कर दो नामांकित व्यक्तियों को बदल दिया गया।
- मार्च 2023 में, दिल्ली सरकार ने इन दोनों अधिसूचनाओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसका तर्क था कि ये अधिसूचनाएँ अवैध हैं, क्योंकि उपराज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 239AA द्वारा निर्धारित मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- सरकार ने राज्य (दिल्ली एनसीटी) बनाम भारत संघ में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसने एलजी को राज्य और समवर्ती सूचियों के तहत विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य किया, जिसमें 'स्थानीय सरकार' (प्रविष्टि 5) शामिल है।
- दिल्ली के एलजी ने तर्क दिया कि डीएमसी अधिनियम विशेष रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना एल्डरमेन को नामित करने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह वैधानिक प्राधिकरण परिषद की सहायता और सलाह से स्वतंत्र है।

कानूनी विवाद:

- विवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 239AA के इर्द-गिर्द घूमता है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री उन मामलों पर उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देंगे जहां दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- संजय कुमार ने दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2023) मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले ने पुष्टि की कि संसद के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, जिसमें 'स्थानीय सरकार' भी शामिल है, जो डीएमसी अधिनियम को समाहित करती है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से एल्डरमैन को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को बरकरार रखा।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से पुष्टि होती है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के पास दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है। यह निर्णय दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत एलजी की वैधानिक शक्ति को दिल्ली सरकार के संलिप्तता से स्वतंत्र रखता है।

निचली अदालतों के बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 'बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय की डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए अनुभवजन्य अध्ययन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट निचली अदालतों में अदालत प्रशासकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सहायक कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर केंद्रित है।

अध्ययन के बारे में:

- यह अध्ययन 10 राज्यों के 20 जिला अदालतों में किया गया था, जिसमें भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, और पूर्वी क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दो-दो जिलों को शामिल किया गया।
- इसमें जिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और सहायक प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह रिपोर्ट न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन योजना का हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- **बुनियादी ढांचाः** रिपोर्ट में लगभग 37.7% न्यायिक अधिकारियों ने अदालत कक्षों में पर्याप्त स्थान की कमी को कार्य में बाधा बताया।
- **मानव संसाधनः** न्यायिक अधिकारियों की कमी है और कई के पास उचित प्रशिक्षण नहीं है, जिससे कार्यभार का प्रबंधन और मामलों का समय पर निपटारा करना कठिन हो जाता है।
- **डिजिटल ढांचाः** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और तालुका विधिक सेवा समिति (TLSC) के कार्यालय पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, अधिवक्ता डिजिटलीकरण की तकनीकी जटिलताओं से जूझते हैं, जिससे सहायक कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता है।
- **अन्य मुद्देः** जिला अदालतों में विभागों के बीच समन्वय की कमी है और अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भरता के कारण अदालत

संचालन में अस्थिरता आती है।

मुख्य सिफारिशें:

- जिला और तालुका अदालतों में नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित एक स्वतंत्र आईटी विभाग की स्थापना किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षित मानव संसाधन हो।
- दक्षता बढ़ाने के लिए दर्ज मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंत तक बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- अलग-अलग न्यायिक अधिकारियों द्वारा संचालित अलग-अलग सिविल और आपराधिक अदालतों का निर्माण किया जाना चाहिए।

जिला अदालतों को सुधारने की पहलें:

- **न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (1993-94):** अदालतों की भौतिक बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं में सुधार के लिए लागू की गयी थी।
- **न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन (2011):** संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर कोर्ट में लोगों की पहुंच में वृद्धि करना।
- **ई-कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट:** जिला और अधीनस्थ अदालतों के कंप्यूटरीकरण के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार किया जा सके।

निष्कर्ष:

कानून मंत्रालय की रिपोर्ट निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करती है, जो न्याय की डिलीवरी को प्रभावित करती हैं। सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन से न्याय प्रणाली की दक्षता, पहुंच और प्रभावशीलता में सुधार होगा, जिससे सभी के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के खिलाफ सदन के विशेषाधिकार से संबंधित शिकायतों को राज्यसभा के नियम 203 के तहत विशेषाधिकार समिति को जाँच के लिए भेजा।

संदर्भ:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए भाजपा सदस्यों द्वारा दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जिसके आधार पर ये शिकायतें विशेषाधिकार समिति को भेजी गयी है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है?

- कोई भी संसद सदस्य जो संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे सदन के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और मामले को विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा जा सकता है।
- विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार दो शर्तों को पूरा करने पर आधारित है:
  - शिकायत हाल ही में हुई किसी विशिष्ट घटना तक सीमित होनी चाहिए।
  - मामले पर सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।

विशेषाधिकार समिति क्या कार्रवाई कर सकती है?

- समिति को विशिष्ट मामलों की जांच करने और आवश्यक सिफारिशें करने का अधिकार है। इसके पास संबंधित व्यक्तियों को समन करने और दस्तावेजों की समीक्षा करने का अधिकार होता है। इसके बाद समिति को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। यदि परिषद द्वारा कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है और सदस्य इस पर चर्चा करते हैं।
- रिपोर्ट के आधार पर, सदन उपयुक्त कार्रवाई करता है, जैसे:
  - आरोपियों को फटकारना या चेतावनी देना।
  - सदस्यों को निलंबित या निष्कासित करना।
  - जुर्माना या दंड लगाना।
  - अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना।

विशेषाधिकार समिति के बारे में:

- समिति में 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
- सदस्यों का चयन उनके अनुभव, विशेषज्ञता और वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है।
- समिति सदन के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश होता है।

विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष:

- राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा हेतु विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं।
- अध्यक्ष समिति की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विशेषाधिकार समिति के कार्य:

- विशेषाधिकार या अवमानना के आरोपित उल्लंघन की जांच करना।
- साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों को सुनना, और दस्तावेजों की जांच करना।
- यह निर्धारित करना कि विशेषाधिकार या अवमानना का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
- सदन को उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करना।

निष्कर्ष:

विशेषाधिकार समिति सदन की गरिमा और अधिकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सुनिश्चित करती है कि सदस्य नैतिक आचरण और सभ्य व्यवहार का पालन करें।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। यह विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसमें भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रमुख प्रावधानों को एकीकृत किया जाएगा।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **अधिनियमों का एकीकरण:** विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त कर उसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव करता है। यह परिवर्तन भारतीय रेलवे के कानूनी ढांचे को सरल बनाने और मौजूदा कानूनों को एकीकृत करने का प्रयास है।
- **बोर्ड की कार्यक्षमता में वृद्धि:** इस संशोधन का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की कार्यात्मक क्षमता को सुधारना है, जिसमें इसके गठन और संरचना को परिष्कृत किया जाएगा। इससे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और रेलवे बोर्ड की संचालन क्षमता और स्वतंत्रता में वृद्धि की उम्मीद है।
- **वित्तीय प्रभाव:** विधेयक किसी भी नए बोर्ड या निकायों के गठन का प्रस्ताव नहीं करता, इसलिए मौजूदा बजटीय प्रावधानों से परे कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के लिए खर्च की भरपाई वार्षिक बजट के अंतर्गत राजस्व खंड से की जाती रहेगी, जिससे कोई नया वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
- **सेवा शर्तें:** विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, और अन्य अधिकारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहें।

उद्देश्य और प्रभाव:

- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाना और इसकी संचालन क्षमता को बढ़ाना है।
- इस विधेयक के माध्यम से कानूनी ढांचे को एक अधिनियम में समेकित करके नौकरशाही जटिलताओं को कम किया जाएगा और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार किया जाएगा, जिससे रेलवे प्रबंधन प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बन सके।

निष्कर्ष:

विधेयक भारतीय रेलवे के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और संचालन की दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बदलाव भारतीय रेलवे के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, ताकि बेहतर शासन और संचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

लेटरल एंट्री स्कीम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लैटरल एंट्री स्कीम के तहत 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती की घोषणा की थी। इस निर्णय को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया था जिसके बाद सरकार के निवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) लेटरल एंट्री के लिए जारी अपने विज्ञापन को वापस ले लिया है

लेटरल एंट्री स्कीम क्या है?

- लेटरल एंट्री के तहत बाहरी व्यक्तियों को सीधे मध्य-स्तरीय और वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान और नए दृष्टिकोणों का समावेश करना है। ये नियुक्तियाँ अनुबंध के आधार पर होती हैं, जो प्रारंभ में तीन साल की होती हैं और अधिकतम पांच साल तक बढ़ाई जा सकती हैं।

लाभ:

- **विशेषज्ञता का समावेश:** लेटरल एंट्री विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ ज्ञान और कौशल लाती है, जिससे सरकार जटिल चुनौतियों का समाधान बेहतर तरीके से कर सकती है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** नए दृष्टिकोण और अनुभव नवाचार और रचनात्मक समाधान को प्रोत्साहित करते हैं।
- **कार्य की गति:** अनुभव वाले पेशेवरों को जल्दी कार्यभार संभालने में मदद मिलती है, जिससे प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **विविधता का संवर्धन:** लेटरल एंट्री पारंपरिक भर्तियों के एकाधिकार को तोड़कर सिविल सेवा में विविधता लाती है।

चुनौतियाँ:

- **अनुकूलन की कठिनाइयाँ:** बाहरी व्यक्ति प्रशासनिक संस्कृति और प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
- **अंतर्विरोध का सामना:** मौजूदा सिविल सेवक नए लोगों का विरोध कर सकते हैं, जिसका कारण पारंपरिक तरीकों में बदलाव की आशंका हो सकती है।
- **संस्थानिक ज्ञान की कमी:** लेटरल एंट्री के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को संगठन की जटिलताओं को समझने में समय लग सकता है।
- **चयन प्रक्रिया में पूर्वाग्रह:** चयन प्रक्रिया में कुछ समूहों या व्यक्तियों के पक्ष में पूर्वाग्रह हो सकता है।

उत्पत्ति और कार्यान्वयन:

- लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार 2004 में सामने आई और

इसे 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) से मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ।

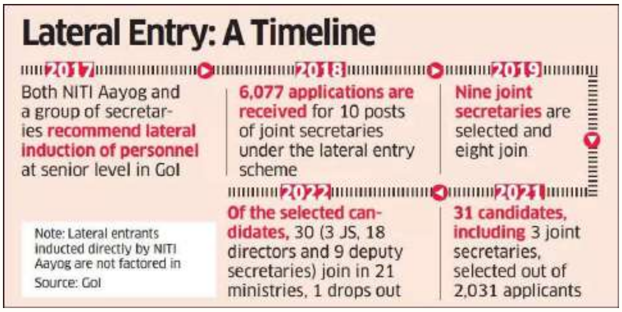

- **सिफारिशें:** 2017 में, नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता और नए दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए लैटरल एंट्री की सिफारिश की।
- नीति आयोग के 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा और सचिवों के क्षेत्रीय समूह ने केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों की नियुक्ति का समर्थन किया।
- **पात्रता:** निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से विशेषज्ञता और सफल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति पात्र होते हैं। चयन मानदंड में पेशेवर उपलब्धियों और विषय विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है।
- **आरक्षण:** लेटरल एंट्री के पद आरक्षण नीतियों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि '13-पॉइंट रोस्टर' प्रणाली के तहत आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, और EWS) के लिए कोटा की गणना की जाती है। प्रत्येक लेटरल एंट्री पद को 'सिंगल पोस्ट' माना जाता है, जिससे इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता।
- **अब तक की भर्तियाँ:** 2018 में इस योजना की शुरुआत के बाद से, 63 व्यक्तियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया गया है।

निष्कर्ष:

लेटरल एंट्री स्कीम सरकार में विशिष्ट कौशल और दृष्टिकोण लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता है, ताकि यह प्रशासनिक सुधारों में सकारात्मक योगदान दे सके।

लोकसभा ने विनियोग विधेयक, 2024 पारित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने विनियोग विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित किया। यह विधेयक केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित व्यय को हेतु भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक की पारित प्रक्रिया में गिलोटिन प्रणाली का उपयोग किया गया।

विनियोग विधेयक के बारे में:

- विनियोग विधेयक एक विधायी प्रस्ताव है जो सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने की अनुमति देता है। यह विधेयक भारत की संचित निधि से विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और कार्यक्रमों को धन आवंटित करता है। यह बजटीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत, संसद को विनियोग विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है। विनियोग विधेयक बजट पर चर्चा और अनुदानों की मांग पर मतदान के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद, विधेयक को राज्य सभा में भेजा जाता है, जहाँ संशोधनों की सिफारिश की जा सकती है। इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है।

वित्त विधेयक से अंतर:

- **विनियोग विधेयक:** इसमें समेकित निधि से धन निकालने के लिए राशि और उद्देश्य निर्दिष्ट किए जाते हैं। यह विशिष्ट सरकारी विभागों और कार्यक्रमों के लिए धन आवंटन से संबंधित होता है।
- **वित्त विधेयक:** इसमें कराधान और राजस्व नीतियों में परिवर्तन सहित सरकारी व्यय के वित्तपोषण से संबंधित प्रावधान होते हैं। यह विनियोग विधेयक का पूरक है और व्यय के वित्तपोषण के तरीकों को संबोधित करता है।

धन विधेयक के रूप में वर्गीकरण:

- विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धन विधेयक के सन्दर्भ में राज्य सभा संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, लेकिन इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार लोकसभा के पास होता है।

गिलोटिन प्रक्रिया के बारे में:

- 'गिलोटिन' प्रक्रिया बजट सत्र के दौरान एक सामान्य संसदीय विधि है। इसके तहत, विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा को समूहीकृत किया जाता है और एक साथ तेजी से निपटाया जाता है, जिससे वित्तीय व्यवसाय को शीघ्रता से पारित किया जा सके।

लेखानुदान:

- सरकार भारत की संचित निधि से तब तक धन नहीं निकाल सकती जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता। तत्काल व्यय के प्रबंधन के लिए, लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत 'लेखानुदान' के माध्यम से अग्रिम रूप से धन

आवंटित कर सकती है।

गोद लेने से संबंधित नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की पालक देखभाल (Foster Care) और गोद लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों के तहत अब एकल व्यक्ति भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य देखभाल करने वालों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाकर अधिक बच्चों को स्थिर और पोषण युक्त वातावरण प्रदान करना है।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु:

पात्रता:

- 35 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के एकल व्यक्ति अब बच्चों को गोद ले सकते हैं।
- गोद लेने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

गोद लेने की समयावधि:

- एकल व्यक्ति अब दो साल की पालक देखभाल (Foster Care) के बाद बच्चे को गोद ले सकते हैं, जो पहले पांच साल थी।

लिंग प्रतिबंध:

- एकल महिलाएं किसी भी लिंग के बच्चों को गोद ले सकती हैं।
- एकल पुरुषों को केवल पुरुष बच्चों को पालक देखभाल में रखने और गोद लेने की अनुमति है।

ऑनलाइन पंजीकरण:

- संभावित पालक माता-पिता अब चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (CARINGS) के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है।

प्रभाव:

- ये नए दिशा-निर्देश संभावित देखभालकर्ताओं के पूल का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे अधिक बच्चों को स्थिर और सौहार्दपूर्ण घरों में बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बदलाव किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2021 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2022 के साथ भी मेल खाते हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2021 के बारे में:

- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2021 भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, विशेष रूप से उन बच्चों की जो देखभाल की आवश्यकता में हैं और कानून से संघर्ष कर रहे किशोरों की।
- इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना शामिल है, जिसमें सजा के बजाय पुनर्वास पर जोर दिया गया है।
- अधिनियम बाल-केन्द्रित प्रक्रियाओं, समुदाय-आधारित पुनर्वास और बाल देखभाल संस्थानों के कड़े नियमन को अनिवार्य बनाता है।
- यह अधिनियम पालक देखभाल, गोद लेने, और बाल संरक्षण के प्रावधानों को मजबूत करता है, जिसमें दुर्व्यवहार की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल है।
- यह अधिनियम गैर-अनुपालन के लिए दंड भी निर्धारित करता है, जिससे हितधारकों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित होती है, और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देता है।

निष्कर्ष:

गोद लेने की प्रतीक्षा अवधि को कम करके और वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना एकल व्यक्तियों को पालक देखभाल की अनुमति देकर, संशोधित नियम भारत में समावेशी बाल कल्याण नीतियों की दिशा में एक प्रगतिशील कदम हैं।

सर्वसमावेशी पेंशन योजना (UPS)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संघीय मंत्रिमंडल ने सर्वसमावेशी पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति प्रदान की है, जोकि 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। यह योजना भारत की पेंशन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी बदलाव को इंगित करती है, जिसका उद्देश्य न केवल सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों को संतुलित करना है, बल्कि इसके कर्मचारियों को एक सुदृढ़ और व्यापक रिटायरमेंट लाभ प्रदान करना भी है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

- सर्वसमावेशी पेंशन योजना की शुरुआत नई पेंशन योजना (NPS) के प्रति बढ़ते असंतोष के संदर्भ में की गई है। NPS की मार्केट-लिंक्ड रिटर्न प्रणाली और अनिवार्य एन्शुअिटी प्रावधानों की तुलना में, कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः अपनाया था।
- सर्वसमावेशी पेंशन योजना (UPS) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों के तत्वों को सम्मिलित कर एक संतुलित और समग्र पेंशन व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

UPS की प्रमुख विशेषताएँ

- **पेंशन लाभः** UPS के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्षों से कम है, तो उनकी पेंशन आनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी।

- **परिवार पेंशन:** कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात, उनके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- **न्यूनतम पेंशन:** 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी प्रदान की जाएगी।
- **महंगाई की सूचकता:** पेंशन की राशि को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
- **एकमुश्त भुगतान:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी मासिक वेतन की 1/10वीं के बराबर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा, जो उनकी सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए प्रदान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त ग्रेच्युइटी भी शामिल होगी।

OPS, NPS और UPS में अंतर

विशेषता	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	नेशनल पेंशन योजना (NPS)	यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)
पेंशन राशि	अंतिम बेसिक वेतन का 50%, DA के साथ बढ़ती है।	10% वेतन योगदान, सरकार 14%, मार्केट-निर्भर पेंशन	अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन।
परिवार पेंशन	परिवार को पूरी पेंशन मिलती है।	कॉर्पस और एन्यूटी पर आधारित।	कर्मचारी की पेंशन का 60% परिवार को मिलता है।
योगदान	कोई वेतन कटौती नहीं, सरकार 100% योगदान।	कर्मचारी 10%, सरकार 14% योगदान।	कर्मचारी 10%, सरकार 18.5% योगदान।
अनुपालन	2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी।	1 जनवरी 2004 के बाद के सभी सरकारी कर्मचारी।	सभी सरकारी कर्मचारी, 10-25 साल सेवा के लिए।
अतिरिक्त लाभ	सेवानिवृत्ति पर ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी।	कोई अतिरिक्त निश्चित लाभ नहीं।	ग्रेच्युटी + सेवा के हर 6 महीने पर 1/10 वेतन का भुगतान।

UPS, OPS और NPS का तुलनात्मक विश्लेषण

- **पेंशन राशि:** UPS अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत प्रदान करता है, जबकि NPS की पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है।
- **कर्मचारी योगदान:** UPS के अंतर्गत, कर्मचारियों को 10% मूल वेतन का योगदान देना होगा, जो कि NPS की तरह है। इसके विपरीत, OPS के तहत कर्मचारियों से कोई योगदान की आवश्यकता नहीं होती थी।
- **सरकारी योगदान:** UPS के अंतर्गत, सरकार मूल वेतन का 18.5% योगदान देगी, जो NPS के अंतर्गत 14% से अधिक है।

निष्कर्ष:

सर्वसमावेशी पेंशन योजना (UPS) भारत की पेंशन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है, जो सभी नागरिकों के लिए एक सुदृढ़, समावेशी और टिकाऊ रिटायरमेंट लाभ प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक योजना, प्रभावी समन्वय और सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

दलबदल के आधार पर दो विधायक अयोग्य घोषित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने 26 जुलाई, 2024 से प्रभावी दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों, झामुमो के लोबिन हेमब्रोम और भाजपा के जय प्रकाश पटेल को अयोग्य घोषित किया।

अयोग्यता का कारण:

- झामुमो के ही लोबिन हेमब्रोम ने झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा।
- भाजपा के जय प्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिए बिना कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा।
- **निहितार्थ:** इन विधायकों की अयोग्यता झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिशीलता और सत्ता संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दलबदल विरोधी कानून के कठोर प्रवर्तन को दर्शाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और पार्टी अनुशासन को बनाए रखना है।

दलबदल विरोधी कानून के बारे में:

- दलबदल विरोधी कानून, जिसे वर्ष 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत पेश किया गया था, इसका उद्देश्य दलबदल के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता से निपटना है।

दलबदल विरोधी कानून कैसे काम करता है?

- यह कानून राज्य विधानमंडल या संसद के उन सदस्यों पर लागू होता है जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देते हैं या अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करते हैं। ऐसी कार्रवाइयों के कारण उन्हें सदन से हटाया जा सकता है।
- **पार्टी व्हिप:** एक राजनीतिक दल द्वारा व्हिप की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि पार्टी के सदस्य पार्टी के मतदान निर्देशों का पालन करें। पार्टी व्हिप के निर्देश पार्टी अनुशासन को लागू करने में महत्वपूर्ण होते हैं।
- **मनोनीत सदस्य:** मनोनीत सदस्यों के पास किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए छह महीने की छूट अवधि होती है। यदि वे इस अवधि के बाद शामिल होते हैं, तो उन्हें संभावित रूप से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

अपवाद:

- **दलों का विलय:** यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

- **दलों में विभाजन:** यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अपनी पार्टी से अलग हो जाते हैं और एक नया दल बनाते हैं, तो इस स्थिति को भी दलबदल के अपवाद के रूप में माना जा सकता है।

कोर्ट मामले:

- **किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हु (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
- **रवि नाइक बनाम भारत संघ (1994):** कोर्ट ने स्पीकर की भूमिका और समय-सीमा को स्पष्ट किया।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- **स्पीकर का पूर्वाग्रह:** स्पीकर की निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ।
- **अंतर-पार्टी लोकतंत्र:** सदस्यों की असहमति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।
- **जटिलता:** स्वैच्छिक दलबदल का निर्धारण करने में कठिनाइयाँ।

निष्कर्ष:

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण का निर्णय संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने, विधायी अखंडता को बढ़ावा देने और लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस फैसले का भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जो पार्टी की वफादारी और जवाबदेही के पक्ष को मजबूत करेगा।

विधायी प्रभाव आकलन (LIA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट के संपूर्ण वैधानिक ऑडिट की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा और आकलन को कानून के शासन को बनाए रखने के लिजए आवश्यक बताया है। यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन में निरंतर समस्याओं की प्रतिक्रिया में आया है, जिनमें स्लम क्षेत्र की पहचान के लिए अक्षम प्रक्रियाएँ और विस्थापित निवासियों के लिए अपर्याप्त आवास शामिल हैं।

विधायी प्रभाव आकलन (LIA) के बारे में:

- यह एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है।

आवश्यक घटक:

- **समस्या की पहचान:** उन मुद्दों को पहचानना जिन्हें कानून संबोधित करना चाहता है।
- **विकल्प तलाशना:** वैकल्पिक दृष्टिकोण और समाधानों पर विचार करना।
- **तुलनात्मक विश्लेषण:** विभिन्न संदर्भों में समान कानूनों या नीतियों की समीक्षा करना।
- **हितधारक परामर्श:** कानून से प्रभावित लोगों के साथ परामर्श करना।
- **सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण:** व्यापक आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आकलन करना।
- **प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग:** कानून के परिणामों और प्रभावशीलता का दस्तावेजीकरण करना।

भारत में विधायी प्रभाव आकलन की आवश्यकता:

- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** यह सुनिश्चित करता है कि कानून व्यापक साक्ष्य और विश्लेषण के आधार पर बनाए जाएं, जिससे संसाधन आवंटन की दक्षता बढ़े।
- **नीति की भविष्यवाणी और सुसंगतता:** नए कानूनों को मौजूदा विनियमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है।
- **सनसेट क्लॉज का अभाव:** भारतीय कानून में सनसेट क्लॉज की कमी के कारण कई कानून समय-समय पर समीक्षा के बिना पुराने हो जाते हैं।

भारत में विधायी प्रभाव आकलन के लिए चुनौतियाँ:

- **संस्थागत ढाँचे का अभाव:** विधायी प्रभाव आकलन के संचालन के लिए कोई मानकीकृत प्रणाली नहीं है।
- **उप-इष्टतम अंतर-विभागीय समन्वय:** विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी सहयोग की कमी।
- **अपर्याप्त हितधारक जुड़ाव:** मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों की सीमित भागीदारी।

विधायी मूल्यांकन के लिए मौजूदा तंत्र:

- संसद की स्थायी समितियाँ विधायी प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं। वित्त आयोग विभिन्न कानूनों के वित्तीय निहितार्थों का आकलन करता है।
- विधि आयोग कानूनी सुधारों पर सिफारिशें प्रदान करता है।
- नीति आयोग कार्यक्रम और नीति कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है।
- नागरिक समाज संगठन, उद्योग संघ और शैक्षणिक संस्थान स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-II) की सिफारिशें:

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-II) ने सिफारिश की है कि नियामक कानूनों में बाहरी एजेंसी द्वारा आवधिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान शामिल होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ सके।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रभावी तंत्र की आवश्यकता भारत में विधायी प्रभावशीलता और शासन के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर मूल्यांकन और सुधार विधायी प्रणाली को उभरती चुनौतियों के प्रति अनुकूलित करने और उनका सामना करने के लिए आवश्यक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

बांग्लादेश के राजनीतिक संकट से प्रभावित होता भारत, तख्ता पलट के मायने

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक राजनीतिक संकट के रूप में तब्दील हो गया और अंततः इसने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को अंजाम दे दिया। बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना का पीएम पद से त्यागपत्र देना और भारत में आश्रय लेना कई बड़े सवाल खड़े करता है जिसका संबंध दक्षिण एशिया की राजनीति, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व, बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के षड्यंत्र, क्षेत्रीय राजनीति आदि से है।

शेख हसीना ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ है क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड में एयरबेस बनाने की अनुमति नहीं दी जिसके चलते अमेरिका ने बांग्लादेश के राजनीतिक परिवर्तन और नेतृत्व के स्तर पर षड्यंत्र की पटकथा लिखी। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है लेकिन अमेरिकी राजनीति की महत्वाकांक्षा और बंगाल की खाड़ी में उसकी सामरिक उपस्थिति की मजबूती की मंशा से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती और बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की अनुमति दे देतीं तो वह सत्ता में बनी रह सकती थीं।

बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल तीन किमी वर्ग क्षेत्रफल में फैले सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका इसलिए कब्जा चाह रहा है ताकि हिंद महासागर में वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। चूकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है। चीन बांग्लादेश से भी आर्थिक सामरिक नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार में उभार आया है। ऐसे में अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और चीन को कुछ हद तक प्रतिसंतुलित करना चाहता है। बंगाल की खाड़ी में चीन की उपस्थिति ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका ने अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति की एक खास डिप्लोमेसी करते हुए बांग्लादेश में राजनीतिक उलटफेर को अंजाम दिया है।

शेख हसीना और अमेरिका के असामान्य रिश्ते:

- शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कई अवसरों पर तनाव दिखा है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर यहां तक आरोप लगा दिया कि जनवरी में बांग्लादेश में हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस साल जनवरी में हुए चुनाव में ही आवामी लीग सत्ता में लौटी थी।
- बांग्लादेश छोड़ने से कुछ महीने पहले ही शेख हसीना ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गिराने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने अमेरिका पर बांग्लादेश और म्यांमार से बाहर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश करने का आरोप लगाया था। इस वर्ष मई के महीने में शेख हसीना ने कहा था, 'अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देती तो इस तरह की साजिशें नहीं रची जाती।'

सेंट मार्टिन द्वीप का महत्व:

- सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस द्वीप में साफ नीला पानी और मूंगे जैसे विविध समुद्री जीव पाए जाते हैं। वहीं, इस द्वीप को नारिकेल जिंजिरा (नारियल द्वीप) और दारुचिनी द्वीप (दालचीनी द्वीप) के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल तीन किमी वर्ग क्षेत्रफल में फैला है और कॉक्स बाजार-टैंकफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग नौ

किमी दक्षिण में स्थित है। मार्टिन द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्यरूप से पर्यटन, मछली पालन, चावल-नारियल की खेती पर निर्भर करती है। इससे द्वीप के 5500 लोगों की आजीविका चलती है। कॉक्स बाजार के निकट स्थित होने के चलते रोहिंग्या लोगों की गतिविधियां भी देखी जाती हैं। रोहिंग्या का अवैध प्रवास भारत के लिए भी एक चुनौती पैदा करने वाला कारक रहा है।

- दरअसल, इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आस-पास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे में सामरिक रूप से सेंट मार्टिन द्वीप का खासा महत्व है।

सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद का कारण:

- सेंट मार्टिन द्वीप तब चर्चा में आया, जब बांग्लादेश और म्यांमार इस क्षेत्र के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर भिड़ गए। दोनों देशों ने अपनी समुद्री सीमा के परिसीमन पर द्वीप पर संप्रभु दावों का विरोध किया था। हालांकि, 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आईटीएलओएस) ने अपने फैसले में इस द्वीप को बांग्लादेश के क्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ और ईईजेड का हिस्सा बताया था।
- इसके अलावा, 2018 में, बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के अद्यतन मानचित्र का विरोध किया था, जिसमें द्वीप को उसके संप्रभु क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। बाद में म्यांमार ने इसे एक गलती के रूप में स्वीकार किया था।

भारत के लिए चुनौती:

- बांग्लादेशी भारत के फर्जी पहचान पत्र बनाकर सस्ते दरों पर काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे पूर्वोत्तर के लोगों के सामने रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है और वे भारत के बड़े शहरों की ओर रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। पूर्वोत्तर के मूल लोगों की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने और सांस्कृतिक बिखराव से वह पूरा इलाका भारत से कट रहा है, यहीं नहीं इसका फायदा उठाकर अलगाववादी ताकतों ने अपना प्रभाव जमा लिया है।
- पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन हूजी से मिलकर असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर को इस्लामिक कट्टरतावाद से जोड़ने में काफी सफलता हासिल कर ली है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बंगलादेश के साथ लगती है और इसका फायदा उठाकर पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें घुसपैठ, तस्करी, मदरसों का जाल और नकली मुद्रा का अवैध कारोबार शामिल है।
- बंगाल की खाड़ी से जुड़े म्यांमार और भारत के मध्य लगभग 1600 किमी की लंबी सीमा आपस में मिलती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। अभी भी म्यांमार में 25 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं तथा नागा जनजातियों के लोग सीमाओं के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें नागा और कुकी जनजातियों की बड़ी आबादी है, जिनके बीच सांस्कृतिक एवं साझे सामाजिक संबंध हैं। जनजातियों के आपसी संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच 16 किमी के क्षेत्र में मुक्त आवागमन का प्रावधान है। यह सीमा रोहिंग्या घुसपैठ के लिए मुफीद मानी जाती है।
- बांग्लादेश का काक्स बाजार विदेशी हथियारों का प्रमुख केंद्र है। यहीं से सड़कों के मार्ग से भी हथियार भारत आ जाते है। बांग्लादेश के चटगांव, खगराचरी, मौलवी बाजार, हबीबगंज, स्लीट, मेमन सिंह, कुरी ग्राम, कोमिला, रंगमाटी, बंदरबन और ढाका में ऐसे कई कैम्प हैं जो आतंकवादियों की पनाहगाह है। यहां पर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी प्रभावी हैं।
- भारत के पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी नेता बांग्लादेश में परिवार के साथ बस गए हैं और वहां की नागरिकता भी इन्हें मिल गई है। ये अलगाववादी बंगलादेशी पासपोर्ट का प्रयोग करते है जो आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। इस पासपोर्ट के जरिए ये दुनियाभर के आतंकी संगठनों के संपर्क में आते हैं। उनके प्रशिक्षण स्थलों को देखते है। इस प्रकार पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय आतंक के गठजोड़ में शामिल हो गए हैं।
- बांग्लादेश में जमातुल अंसार फिल हिंदल शरकिया का उभार भी चिंताजनक रहा है। वहां विभिन्न प्रकार की हिंसा में लिप्त यह एक अलगाववादी संगठन है, जो कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ) के साथ मिलकर काम करता है। इसका लक्ष्य बांग्लादेश में एक अलग देश बनाना है। कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ) के सीमापार म्यांमार और भारत में मौजूद अलगाववादी समूहों के साथ संबंध हैं। जमातुल अंसार के उभार को बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब तक एक बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा गया है। संगठन के 68 सदस्यों को आरएबी गिरफ्तार कर चुकी है।

बांग्लादेश की स्थिति से भारत का वस्त्र उद्योग

प्रभावित:

- बांग्लादेश में आए संकट का असर भारत के वस्त्र उद्योग में दिखाई दे रहा है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश संकट के कारण भारत का कपड़ा उद्योग अनिश्चितता का सामना कर रहा है और इसे नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री ने भारतीय निवेश के संबंध में कहा कि विशेष रूप से तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग ने वहां अच्छे विश्वास से निवेश किया है। यही नहीं, वहां जाकर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने कम आय वाले देशों के प्रति शुल्क और कोटा के मामले में जो उदार रुख अपनाया है, उसके कारण बांग्लादेश से निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वे (बांग्लादेश में स्थित भारतीय परिधान उद्योग) भारत को निर्यात भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में जितनी भी गारमेंट फैक्ट्री हैं, उनमें से करीब 25 फीसदी भारतीयों की हैं। इन्होंने वहां जाकर फैक्ट्रियां खोलीं और काफी लोगों को रोजगार दिया। बांग्लादेश की इन फैक्ट्रियों में से करीब 90 फीसदी माल दूसरे देशों में भेजा जाता है।
- शेख हसीना की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, खास तौर पर युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमे और आतंकवादियों पर कार्रवाई, जिसमें जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, ने इन ताकतों को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की, हालांकि, जेईआई के गहरे सामाजिक आधार ने इसे फिर से मजबूत होने का मौका दिया, इसके कई नेताओं को युद्ध अपराध के मुकदमों के जरिए फांसी दी गई।
- मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा समर्थित इस्लामी ताकतों, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी का पुनरुत्थान, आवामी लीग सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता रहा है। पिछले पंद्रह वर्षों में, बांग्लादेश में इस्लामी समूहों ने आवामी लीग को अवैध ठहराने और अस्थिर करने के लिए बार-बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। 2009 के पिलखाना विद्रोह, ईशनिंदा कानून की मांग को लेकर हिफाजत-ए-इस्लाम विरोध प्रदर्शन, आईएसआईएस द्वारा लिया गया 2016 का आतंकवादी हमला, रोहिंग्या के साथ एकजुटता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाओं में जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामी समूहों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- ये विरोध प्रदर्शन, जो मुख्य रूप से अवामी लीग सरकार के खिलाफ हैं, हमेशा इस्लाम समर्थक, लोकतंत्र विरोधी और भारत विरोधी होते हैं। सरकार की कड़ी कार्रवाई के बावजूद, इस्लामी ताकतें फिर से संगठित हो रही हैं, अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही बांग्लादेश ने राष्ट्र के लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली पर आम सहमति बनाने के लिए संघर्ष किया है। इस्लामवाद के विचार अक्सर लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों से सीधे टकराते हैं, जबकि इस्लामवादियों का राजनीतिक इस्लाम स्थापित करने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है, उनके प्रयास बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं प्रस्तुत करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संक्षिप्त मुद्दे

भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इस बैठक में निवेश को अधिक सुविधाजनक बनाने पर बल दिया गया।

बैठक की मुख्य बातें:

- **विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न निवेश अवसरों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:
  - रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्लांट
  - नवीकरणीय ऊर्जा
  - विद्युत
  - दूरसंचार
  - नवाचार
- **भारत की प्रतिबद्धता:** भारत ने लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के सऊदी अरब के द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **नियमित परामर्श:** दोनों पक्षों ने चर्चा जारी रखने और विशिष्ट निवेशों पर समझौतों तक पहुँचने के लिए अपनी तकनीकी टीमों के बीच नियमित परामर्श बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।
- **प्रतिनिधिमंडल का दौरा:** भारत के पेट्रोलियम सचिव के नेतृत्व में एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक

रूप से लाभकारी निवेश पर चर्चा के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा।

- **सॉवरेन वेल्थ फंड:** सऊदी अरब को भारत में अपने सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- **अगली बैठक:** सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को अगले दौर की वार्ता के लिए भारत आमंत्रित किया गया, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चल रही प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

टास्क फोर्स की पृष्ठभूमि और संरचना:

- उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा सितंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप की गई थी। यह विशेष निकाय द्विपक्षीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित है और इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
- भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के सीईओ और आर्थिक मामलों, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय (MEA), DPIIT, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विद्युत विभाग के सचिवों द्वारा किया जाता है।

सऊदी अरब और भारत के संबंधों के बारे में:

- भारत और सऊदी अरब ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए और एक मजबूत साझेदारी की नींव रखी। 2006 की दिल्ली घोषणा और 2010 की रियाद घोषणा के तहत द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील किया गया।
- प्रधानमंत्री मोदी को 2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किंग अब्दुलअजीज सैश से सम्मानित किया गया।
- रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौता (2019) ने भारत-सऊदी संबंधों को दिशा देने के लिए एक उच्च-स्तरीय परिषद स्थापित की।
- पीएम मोदी की 2019 में रियाद की यात्रा के दौरान बारह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं।
- भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और द्विपक्षीय व्यापार FY 2022-23 में 52.76 अरब डॉलर के मूल्य का था। सऊदी अरब भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक प्रमुख भागीदार है, FY 23 में भारत की कुल कच्चे तेल की आयात का 16.7% आपूर्ति करता रहा।
- रक्षा साझेदारी ने काफी वृद्धि की है, जिसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और रक्षा उद्योगों में सहयोग शामिल है।
- सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी, जिनकी संख्या 2.4 मिलियन से अधिक है, दोनों देशों के बीच एक जीवित पुल के रूप में कार्य करते हैं।
- हाल की गतिविधियाँ, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और रणनीतिक साझेदारी परिषद शामिल हैं, भारत-सऊदी अरब संबंधों को गहरा करती हैं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं।

निष्कर्ष:

उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भारत और सऊदी अरब दोनों की अपनी आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने और मजबूत निवेश अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह बैठक भविष्य में आर्थिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत का प्रतीक है।

साइबर अपराध के विरुद्ध नया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मसौदे को तैयार किया है। इस वर्ष के अंत तक महासभा द्वारा इस मसौदे को मान्यता दिए जाने की उम्मीद है, जिससे यह साइबर अपराध पर पहला वैश्विक रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज बन जाएगा।

कन्वेंशन का उद्देश्य:

- साइबर अपराध से निपटने, कानून प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करने और सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
- आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपकरण प्रदान करना, जिसमें तकनीकी सहायता के माध्यम से विकासशील देशों का समर्थन करना शामिल है।
- साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन में राष्ट्रीय अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- सूचना प्रणालियों तक अवैध पहुंच, अवैध अवरोधन, डेटा हेरफेरी और सिस्टम हस्तक्षेप जैसे अपराधों को परिभाषित करना।
- कानूनी व्यक्तियों की आपराधिक देयता, आपराधिक आय की जब्ती और अभियोजन तथा साक्ष्य संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत में साइबर अपराध:

- **साइबर अपराध समन्वय केंद्र:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि औसतन, देश भर में प्रतिदिन 5,000 साइबर शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिनमें से लगभग 40-50% शिकायतें विदेशी ठगी से संबंधित होती हैं।
- **सर्वाधिक अपराध:** हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में सबसे अधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए। केंद्र

शासित प्रदेशों में, दिल्ली में सबसे अधिक शिकायतें देखी गई, उसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी का स्थान रहा।

सरकार द्वारा की गई पहलः

- **CERT-In:** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह देश के साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील दोनों प्रकार का समर्थन प्रदान करता है।
- **NCIIPC:** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) को साइबर खतरों से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करता है और उन्हें नामित करता है और इन क्षेत्रों के संगठनों को उनके साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के बारे में सलाह देता है।
- **CCPWC योजना:** गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और जूनियर साइबर सलाहकारों को नियुक्त करने में मदद करती है।
- **I4C:** साइबर अपराधों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को इन अपराधों को समन्वित तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को जनता को सभी प्रकार की साइबर अपराध घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पहचान और सफाई के लिए उपकरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

निष्कर्षः

साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन महज एक कानूनी ढांचा नहीं है, यह उस वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता का प्रतीक है जो आज की तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां डिजिटल प्रौद्योगिकियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं नई चुनौतियां और खतरें भी उत्पन्न हो रहे हैं। वैश्विक समुदाय अब इस कन्वेंशन को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रयास कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह न केवल साइबर अपराध का मुकाबला करे, बल्कि डिजिटल युग में मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी सुनिश्चित करे।

भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव जीतने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की 9-11 अगस्त 2024 तक मालदीव की पहली यात्रा को भारत-मालदीव संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा सकता है।

इस यात्रा के मुख्य बिंदुः

- **सामुदायिक विकास परियोजनाएँ:** भारत द्वारा अनुदान सहायता के तहत मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी और स्ट्रीट लाइटिंग के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।
- **भारत और मालदीव ने भारत की ऋण सहायता लाइन (एलओसी) का उद्घाटन:** मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज नेटवर्क परियोजना की सहायता के लिए भारत ने ऋण सहायता लाइन (एलओसी) का उद्घाटन किया। यह परियोजना मालदीववासियों को स्वच्छ जल और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- **ई-कॉमर्स क्षेत्र:** मालदीव ने देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की सहायक कंपनी एनआईपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- **सिविल सेवा कर्मचारियों का प्रशिक्षण:** यह प्रशिक्षण भारत में मालदीव के 1000 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य मालदीव के सिविल सेवा कर्मचारियों के कौशल और दक्षता में सुधार करना था।
- **एक पेड़ माँ के नाम पहल:** भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और पर्यावरण मंत्री थोरिक इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल और राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू की 5 मिलियन वृक्ष परियोजना के तहत लोनुजियाराय पार्क में पौधारोपण किया।
- **अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना:** भारतीय विदेश मंत्री ने अड्डू शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री और निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री के साथ संयुक्त रूप से अड्डू पुनर्ग्रहण एवं तट संरक्षण परियोजना तथा अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज परियोजना का उद्घाटन किया।
- **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना:** भारतीय विदेश मंत्री ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना (जीएमसीपी) स्थल का दौरा किया और इस प्रमुख विकास

परियोजना की प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की।

आगे की राह:

भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा भारत के समुद्री पड़ोसी मालदीव के महत्व को रेखांकित करती है, जो 'पड़ोसी पहले' नीति और 'सागर' क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण का एक प्रमुख साझेदार है।

यूएस बायोसिक्योर एक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) बायोसिक्योर एक्ट पारित करने जा रहा है, जोकि यूएस संघीय एजेंसियों को "चिंताजनक बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों" से अनुबंध करने या उनसे सेवाएं और उपकरण खरीदने से रोक देगा। यह कानून उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो इन सूचीबद्ध कंपनियों से उपकरण या सेवाएं प्राप्त करती हैं या उनका उपयोग करती हैं।

अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य:

- **चीन से चुनौती:** अमेरिका ने विदेशी बायोटेक फर्मों के लिए अमेरिकी समर्थन को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया है। यह कदम मुख्य रूप से चीनी वूक्सी ऐपटेक द्वारा चीनी संस्थाओं के साथ संवेदनशील अमेरिकी क्लाइंट डेटा के अनधिकृत साझाकरण की चिंताओं के कारण उठाया गया है। इस संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है, क्योंकि इससे चीन की तकनीकी और सैन्य प्रगति पर संभावित निहितार्थ हो सकते हैं।
- **ग्लोबल मार्केट शेयर:** चीन की अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठनों (CDMOs) के पास वैश्विक बाजार में 8% हिस्सेदारी है, जबकि भारत के पास 2.7% है।
- **USFDA निरीक्षण समस्याएँ:** विदेशी दवा निर्माताओं के फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) निरीक्षण में कई चुनौतियाँ हैं। इसमें कर्मचारियों की कमी, यात्रा करने में अनिच्छा और पूर्व-घोषित निरीक्षणों की प्रधानता शामिल हैं, जो डेटा में गड़बड़ी और गैर-अनुपालन का कारण बन सकती हैं। अघोषित निरीक्षण दुर्लभ होते हैं और भाषा की बाधाएँ तथा परिचालन संबंधी रुकावटें इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना सकती हैं।
- **BIO का समर्थन:** बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (BIO) इस प्रस्तावित कानून का समर्थन करता है, हालांकि यह चिंता व्यक्त करता है कि इससे अमेरिकी आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है, नैदानिक परीक्षणों में देरी हो सकती है और दवा उत्पादन में कमी हो सकती है। वर्ष 2032 तक कानून के पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है, और अमेरिकी कंपनियाँ संभावित प्रभावों को कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला विकल्पों की तलाश कर सकती हैं।

भारत के लिए निहितार्थ:

- **CDMO उद्योग को लाभ:** प्रस्तावित बायोसिक्योर एक्ट भारत के अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठन (CDMO) उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है। भारत वर्तमान में अमेरिका को 40-50% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है और CDMO बाजार के 2029 तक $22.51 बिलियन से बढ़कर $44. 63 बिलियन होने का अनुमान है। अमेरिकी कंपनियां भारतीय फर्मों को संभावित साझेदार के रूप में देख रही हैं, हालांकि इस अवसर का लाभ उठाना दवा सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने पर निर्भर करता है।
- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ और नियामक प्रतिक्रियाएँ:** हाल की घटनाओं ने भारतीय फार्मास्यूटिकल्स में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को उजागर किया है। गाम्बिया, कैमरून और उज्बेकिस्तान में दूषित भारतीय खांसी की दवाओं से बच्चों की मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। इसके जवाब में, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और निर्यात नीतियों को कड़ा किया है।
- **USFDA के साथ अनुपालन संबंधी मुद्दे:** कई फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA)-अनुमोदित सुविधाओं की मेजबानी करने के बावजूद, 13% भारतीय सुविधाओं को USFDA से 'आधिकारिक कार्रवाई संकेत' प्राप्त हुआ है, जो अच्छे विनिर्माण प्रथाओं के अनुपालन में कमी को दर्शाता है। USFDA ने भारतीय दवा उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण और डेटा अखंडता के मुद्दों की रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में विनिर्माण में कमी के कारण सिप्ला, ग्लेनमार्क और डॉ. रेड्डी जैसी कंपनियों से दवाइयों को वापस मंगाया गया है।
- **मजबूत गुणवत्ता प्रबंधन का महत्व:** भारत के लिए बायोसिक्योर एक्ट का लाभ उठाने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में विश्वास बनाए रखने के लिए, एक मजबूत आंतरिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। नियामक निरीक्षणों के दायरे से परे अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी दवा विनियमन और गुणवत्ता प्रबंधन आवश्यक है।

आगे की राह:

- **चीन पर निर्भरता कम करना:** वर्ष 2023-2024 में, भारत ने एपीआई सहित अपने 43.45% दवा उत्पादों का आयात चीन से किया। इस निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोसिक्योर एक्ट आयातों को प्रभावित कर सकता है।
- **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना:** प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के माध्यम से घरेलू एपीआई उत्पादन बढ़ाएँ, जिसके लिए छह वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस फंडिंग का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है।
- **उद्योग प्रथाओं को मजबूत करना:** नैतिक मानकों और निर्यात

आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कठोर अनुपालन उपायों और प्रशिक्षण, पारदर्शिता और प्रतिक्रिया की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

तीसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका मुख्य विषय 'एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण' था। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 123 देशों ने भाग लिया।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

विकास के लिए चार-स्तरीय वैश्विक विकास समझौता:

- विकास के लिए व्यापार।
- सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण।
- प्रौद्योगिकी साझाकरण।
- परियोजना-विशिष्ट रियायती वित्त और अनुदान।

वैश्विक दक्षिण के लिए नई पहल:

- भारत व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष प्रदान करेगा। साथ ही व्यापार नीति और व्यापार वार्ता में क्षमता निर्माण के लिए एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष भी शामिल है।

वैश्विक शासन में सुधार पर बल:

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुनर्जीवित करने के लिए बहुपक्षवाद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- एक समावेशी, न्यायसंगत, और प्रतिनिधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना।

वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य:

- एक विश्व-एक स्वास्थ्य का साझा दृष्टिकोण के साथ वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना।

वैश्विक दक्षिण के लिए मानव केंद्रित विकास:

- मानव संसाधनों को सशक्त बनाना जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देंगे। महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार किया गया।

व्यापार सहयोग:

- समावेशी व्यापार प्रथाओं, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कुशल कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार सुविधा तक बेहतर पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाओं के अति-संकेन्द्रण की रोकथाम की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वैश्विक दक्षिण में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई):

- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विविध हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करने और वैश्विक दक्षिण देशों को व्यवहार्य डीपीआई विकल्प प्रदान करने के लिए निजी और सार्वजनिक नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई।

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक दक्षिण सहयोग:

- विकासशील देशों, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की गई। टिकाऊ जीवन के लिए लोगों द्वारा संचालित दृष्टिकोण और पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) जैसे आंदोलनों पर जोर दिया गया।

आगे की राह:

यह शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण को अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। इससे नियमों पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी और इससे एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी जिसमें शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर हावी न हो सकें और नियमों पर आधारित न्यायसंगत व्यवस्था को बढ़ावा मिले।

भारत और जापान '2+2' वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और जापान के बीच '2+2' वार्ता का आयोजन हुआ, जोकि मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित था।

मुख्य बिंदु:

- दिल्ली में तीसरी भारत-जापान '2+2' मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने किया, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
- संवाद में रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें जापान का नोरा-50 नौसैनिक एंटीना, जिसे 'यूनिकॉर्न' के रूप में जाना जाता है, भी शामिल है। बैठक में दक्षिण चीन सागर और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

- इसके अतिरिक्त, मंत्रियों ने फुकुओका में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के भारत के फैसले पर प्रकाश डाला, जिससे जापान में भारतीय मिशनों की कुल संख्या बढ़कर तीन हो गई, जबकि जापान के वर्तमान में भारत में पाँच मिशन हैं।

क्वाड और इंडो-पैसिफिक की रणनीति पर चर्चा :

- इस वर्ष भारत में क्वाड लीडर्स समिट होने की उम्मीद है। संयुक्त वक्तव्य में, दोनों देशों ने क्वाड को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बहुपक्षीय रक्षा सहयोग और आदान-प्रदान के महत्व को भी स्वीकार किया।

आतंकवाद की निंदा:

- दोनों देशों ने आतंकवाद की "स्पष्ट रूप से" निंदा की। वक्तव्य में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले, पठानकोट और अन्य हमलों के अपराधियों को "न्याय के कटघरे" में लाने का आह्वान किया गया। इसमें अलकायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और उनके प्रॉक्सी समूहों सहित सभी संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया गया।
- वक्तव्य में "आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने, आतंकवादियों के वित्तपोषण चैनलों को खत्म करने" की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

रक्षा सहयोग:

- भारत और जापान ने रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें अधिक संयुक्त रक्षा अभ्यासों में भागीदारी और रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर बातचीत में तेजी लाना शामिल है। जापान और भारत के बीच पहला संयुक्त लड़ाकू जेट अभ्यास, 'वीर गार्जियन 2023' को एक सकारात्मक कदम के रूप में उजागर किया गया।
- चर्चाओं में प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- मंत्रियों ने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (यूनिकॉर्न) तकनीक के हस्तांतरण पर प्रगति का उल्लेख किया, जो एक युद्धपोत की स्टील्थ क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, जापान ने भारत में नौसेना के जहाज की मरम्मत पर सहयोग करने में रुचि व्यक्त की, जिसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में अंतर-संचालन और जापान की सैन्य लचीलापन बढ़ाना है।

भारत-जापान 2+2 वार्ता (2024):

- '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता दो देशों के विदेश मामलों और रक्षा मंत्रियों/सचिवों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक है, जो रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संरेखण सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा को सक्षम बनाती है।

2+2 वार्ता के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं:

- **भारत-अमेरिका 2+2 (2023):** रक्षा औद्योगिक संबंधों, इंडो-पैसिफिक जुड़ाव और उच्च प्रौद्योगिकी और खनिजों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 (2023):** रक्षा सहयोग बढ़ाने, रणनीतिक संबंधों को गहरा करने और व्यापार, निवेश तथा महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई।

निष्कर्ष:

लगभग दो साल के बाद, संशोधित भारत और जापान वार्ता, भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत-जापान साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा सहयोग को बढ़ावा देने में उनके सहयोगी प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है।

भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन दौरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया, मोदी की यह यात्रा, 1979 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा तथा स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन की पहली यात्रा है, जो महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलावों के समय में इस क्षेत्र में भारत की सक्रिय रुचि का संकेत देती है।

पोलैंड दौरे के बारे में:

भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

वार्ता की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत और पोलैंड ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई, जिसमें संयुक्त अभ्यास और उपकरण सहयोग शामिल है।
- दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की तथा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्रों पर सहमत बनी।
- दोनों देशों के मध्य संयुक्त उपक्रमों और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का फंड स्थापित किया गया।
- भारत और पोलैंड ने अपने रिश्तों को एक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया, जिससे उनके संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई।

यूक्रेन दौरे के बारे में:

भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

वार्ता की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- भारत ने यूक्रेन की पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए समर्थन का वादा

किया।

- भारत शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के महत्व पर जोर दिया।
- भारत ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए 200 मिलियन डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की।

पोलैंड और यूक्रेन दौरे के रणनीतिक प्रभाव:

- भारत ने वैश्विक शांति प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को स्थापित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की भूमिका मजबूत हुई।
- कूटनीतिक संघर्ष समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के प्रति भारत की स्थिति को उजागर किया।

प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का महत्व:

- **भारत की विदेश नीति में यूरोप की प्रोफाइल को बढ़ाना:** भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की व्यापक यूरोपीय रणनीति के तहत सेंट्रल यूरोप पर बढ़ती फोकस को दर्शाती है। सेंट्रल यूरोप, विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण, वैश्विक भू-राजनीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है। यह यात्रा भारत की यूरोपीय साझेदारियों को और अधिक गहरा और टिकाऊ बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **पोलैंड और यूक्रेन के दीर्घकालिक भागीदार:** पोलैंड और यूक्रेन, अपनी रणनीतिक और आर्थिक महत्वत के साथ, भारत के लिए दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। यह यात्रा रूस और सेंट्रल यूरोप दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने के भारत के विश्वास को उजागर करती है।
- **भारत के यूरोपीय संबंधों की विविधता:** ऐतिहासिक रूप से, भारत के यूरोपीय संबंध प्रमुख खिलाड़ियों जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस, और ब्रिटेन पर केंद्रित थे। हाल के वर्षों में, इन संबंधों को विविधता और विस्तार देने के लिए प्रयास किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री की विभिन्न यूरोपीय देशों की यात्राएं, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड और यूक्रेन, भारत की कूटनीतिक पहुंच और सामूहिक कूटनीति को विस्तृत करने के रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।

यूरोपीय संदर्भ में पोलैंड और यूक्रेन का महत्व:

- **पोलैंड की रणनीतिक और आर्थिक महत्वता:** सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ते राष्ट्र के रूप में, पोलैंड की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी रणनीतिक स्थिति, महत्वपूर्ण जनसंख्या और आर्थिक विस्तार ने इसे यूरोपीय और वैश्विक भू-राजनीति में एक शक्तिशाली खिलाड़ी बना दिया है।
- **यूक्रेन की भू-आर्थिक महत्वता:** चल रहे संघर्ष से हुई तबाही के बावजूद, यूक्रेन की पुनर्निर्माण की संभावनाएँ और प्रमुख अनाज उत्पादक के रूप में इसकी भूमिका इसकी रणनीतिक महत्तता को बढ़ाती है। देश की रक्षा उद्योग को आधुनिक बनाने की आकांक्षा भी इसके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

निष्कर्ष:

भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे ने भारत की जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थिति को पुनः स्थापित किया, जो शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऐतिहासिक यात्रा भारत के पोलैंड और यूक्रेन के साथ संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ती है और एक मजबूत, अधिक रणनीतिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करती है।

अमेरिका-भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने दो प्रमुख समझौतों, गैर-बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपूर्ति शृंखला लचीलापन बढ़ाना है।

आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) के बारे में:

- आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) एक कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी समझौता है जोकि राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन को अनिवार्य करता है।
- यह व्यवस्था दोनों देशों को आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को दूर करने के लिए आवश्यक औद्योगिक संसाधनों को प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके जैसे भागीदारों के साथ SOSA में शामिल होने वाला भारत 18वाँ देश है। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाता है और रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) के साथ संरेखित करता है।
- अमेरिका अपनी रक्षा प्राथमिकताओं और आवंटन प्रणाली (DPAS) के तहत भारत को आश्वासन देगा। बदले में, भारत अमेरिकी रक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार-उद्योग आचार संहिता स्थापित करेगा।
- SOSA अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका से प्राथमिकता वाली आपूर्ति प्राप्त करना आसान हो जाता है और रक्षा उद्योग सहयोग को पुनर्जीवित करता है।

संपर्क अधिकारियों पर समझौता ज्ञापन:

- संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सूचना-साझाकरण को बढ़ाने के पिछले निर्णय की प्रगति है।
- यह समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रमुख अमेरिकी रणनीतिक कमांड में तैनात करने की अनुमति देगा।

इस पहल के हिस्से के रूप में, भारत फ्लोरिडा में अमेरिकी विशेष अभियान कमान मुख्यालय में अपना पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा।

पारस्परिक रक्षा खरीद (RDP) समझौता:

- अमेरिकी रक्षा विभाग पारस्परिक रक्षा खरीद (RDP) पर काम कर रहा है, जो बाध्यकारी होगा। इन समझौतों का उद्देश्य अमेरिकी सहयोगियों और मित्र देशों के साथ पारंपरिक रक्षा उपकरणों के युक्तिकरण, मानकीकरण, विनिमेयता और अंतर-संचालन को बढ़ावा देना है। आज तक, अमेरिका ने 28 देशों के साथ RDP समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग:

- अमेरिका-भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का दृष्टिकोण सितंबर 2013 में रक्षा सहयोग पर अमेरिका-भारत संयुक्त घोषणापत्र और अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों के लिए 2015 की रूपरेखा में निहित है। इन समझौतों ने दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया।

2023 रोडमैप:

- यह रोडमैप पिछले साल रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए जारी किया गया था और इसमें मानक परिचालन सुरक्षा समझौतों (एसओएसए) और पारस्परिक रक्षा खरीद (आरडीपी) समझौतों के समापन सहित प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था।
- अमेरिका ने भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने का समर्थन किया और भारत के नौसैनिक और समुद्री बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सहायता की पेशकश की। इसका उद्देश्य जहाज और विमान की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना था।

आधारभूत समझौतें: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध कई आधारभूत समझौतों के माध्यम से विकसित हुए हैं:

- **सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (जीएसओएमआईए)- 2002:** इस समझौते के माध्यम से सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाया।
- **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) - 2016:** दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता के लिए शर्तें तय की गईं।
- **संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)-2018:** CISMOA का एक भारत-विशिष्ट संस्करण, इस समझौते ने सैन्य संचार को सुरक्षित किया और उन्नत रक्षा प्रणालियों तक पहुँच को सुगम बनाया।
- **बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)-2020:** नक्शे, समुद्री चार्ट और अवर्गीकृत इमेजरी और डेटा सहित सैन्य जानकारी को साझा करने में सक्षम बनाया।
- **GSOMIA के लिए औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक (ISA)-2019:** दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** वर्ष 2023 के रोडमैप में सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही (ISR), अंडरसी डोमेन अवेयरनेस, एयर कॉम्बैट और सपोर्ट (जैसे एयरो इंजन, म्यूनिशन सिस्टम) और मोबिलिटी शामिल हैं।
  - **iCET (महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर यूएस-इंडिया पहल):** जनवरी 2023 में लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जेक सुलिवन ने सह-विकास, सह-उत्पादन और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की।
  - **INDUS-X (भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र):** जून 2023 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान, रक्षा विभाग (DoD) और भारत के रक्षा मंत्रालय ने INDUS-X लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य iCET ढांचे के तहत रक्षा नवाचार पुल को मजबूत करना है।

आगे की राह:

- 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को गहरा करने का संकेत था। 2018 में, भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण (STA) टियर 1 का दर्जा दिया गया, जिससे उसे अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा विनियमित सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों की एक विस्तृत शृंखला तक लाइसेंस-मुक्त पहुँच की अनुमति मिली।
- अमेरिका से भारत की प्रमुख सैन्य खरीद में MH-60R सीहॉक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर, सिग सॉयर राइफल और M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर शामिल हैं। LCA MK 2 लड़ाकू विमानों के लिए भारत में GE F-414 जेट इंजन बनाने और 31 MQ-9B हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) UAV खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, LCA तेजस मार्क-1। के लिए GE-F404 इंजन की डिलीवरी वर्तमान में चल रही है।
- ये पहल और खरीद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और रक्षा उद्देश्यों के संरेखण को दर्शाती हैं।

भारत और मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी में उन्नत किया है। यह महत्वपूर्ण विकास

मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान सम्पन्न हुआ।

मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के मुख्य परिणामः

- **विस्तारित रणनीतिक भागीदारीः** भारत और मलेशिया ने मौजूदा बढ़ी हुई रणनीतिक भागीदारी को व्यापक रणनीतिक भागीदारी में उन्नत किया है, जो दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **द्विपक्षीय व्यापारः** भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने रिकॉर्ड 19.5 अरब अमेरिकी डॉलर को पार किया है। दोनों नेताओं ने प्रमुख क्षेत्रों में आगे की निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA):** दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 तक AITIGA की समीक्षा को पूरा करने पर सहमति जताई है।
- **सहयोग के क्षेत्रः** आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, पर्यटन, और शैक्षिक सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान में आयुर्वेद के लिए एक चेयर की स्थापना की जाएगी, जो शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियांः** एआई, साइबर सुरक्षा, और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करेगा। भारत के UPI को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा मिलेगा।
- **पर्यटनः** विजिट मलेशिया 2026 के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करेगा।
- **शैक्षिक सहयोगः** मलेशियाई छात्रों के लिए भारत के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 100 सीटें प्रदान की जाएंगी, जो शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास को बढ़ाएंगी।
- **जलवायु पहलों पर सहयोगः** मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होना सतत विकास और जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा।

यात्रा का महत्वः

- **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसीः** यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ मेल खाती है, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करती है और आसियन क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाती है।
- **राजनयिक संबंधों की पुनर्जीवित करनाः** यह यात्रा अतीत की खराब अनुभवों को संबोधित करती है और राजनयिक संबंधों को बहाल और मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
- **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI):** संभावित मलेशियाई भागीदारी क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग को बढ़ा सकती है और भारत के इंडो-पैसिफिक लक्ष्यों में योगदान कर सकती है।
- **व्यापार और निवेश के अवसरः** मलेशिया के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार, जो कि ASEAN में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, आर्थिक वृद्धि और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत-मलेशिया संबंध के बारे मेंः

- **इतिहासः** भारत ने 1957 में मलेशिया के पूर्ववर्ती राज्य, फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- **वर्तमान संबंधः** भारत और मलेशिया के मध्य बहुआयामी संबंध हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं और आपसी लाभ पर ध्यान दिया गया है।
- **भारतीय प्रवासी समुदायः** मलेशिया में 2.95 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय बनाता है।
- **व्यापारिक भागीदारीः** मलेशिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत मलेशिया के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में शामिल है।
- **निवेशः** 150 से अधिक भारतीय कंपनियां, जिनमें 61 संयुक्त उपक्रम और तीन सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम शामिल हैं, मलेशिया में कार्यरत हैं, जिनका निवेश लगभग 2.62 अरब डॉलर है। मलेशियाई कंपनियों ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत में 1.16 अरब डॉलर का निवेश किया है।
- **रक्षा संबंधः** भारत और मलेशिया ने 1993 से रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप दिया है, जिसमें नियमित संयुक्त गतिविधियों, रक्षा प्रदर्शनियों और अभ्यासों में भागीदारी शामिल है।

निष्कर्षः

भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंध गहरे ऐतिहासिक बंधनों और मजबूत समकालीन जुड़ाव से परिभाषित होते हैं। मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग के साथ-साथ जीवंत सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच साझेदारी निरंतर विकसित हो रही है। यह साझेदारी उनके आपसी हितों को और भी एकीकृत करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगी

सांस्कृतिक संपत्ति समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने पहली बार 'सांस्कृतिक संपत्ति समझौता' पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना और चोरी या तस्करी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं की उनके मूल देशों में वापसी को सरल बनाना है। यह समझौता दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान पर हस्ताक्षरित हुआ।

समझौते की मुख्य विशेषताएँः

- नया समझौता अमेरिका में विशिष्ट भारतीय पुरातात्विक और जातीय सामग्री के आयात को प्रतिबंधित करता है।
- प्रतिबंधित सामग्री में 2वीं सदी ईसा पूर्व से 1947 तक की कलाकृतियाँ शामिल हैं, जिसमें धार्मिक, शाही, स्थापत्य और पांडुलिपि श्रेणियाँ शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य अमेरिका में पाए गए भारतीय प्राचीन वस्तुओं को जब्त करने और उनकी वापसी की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है।
- यह समझौता पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी से उत्पन्न पूर्व की असक्षमताओं को संबोधित करता है।
- सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी लंबे समय से भारत के लिए एक चिंता का विषय रही है। इसके परिणामस्वरूप, कई मूल्यवान कलाकृतियाँ तस्करी करके संग्रहालयों और निजी संग्रहों में पहुँच गई हैं।

46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के बारे में:

- यह बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई।
- बैठक के दौरान, समिति ने विश्व धरोहर सूची में पहले से अंकित 123 स्थलों की संरक्षण स्थिति की समीक्षा की और 24 नए स्थलों को जोड़ा।
- **यूनेस्को विश्व धरोहर सूची से हटाए गए स्थल:** सेनेगल में नियोकोलो-कोबा नेशनल पार्क को सूची से हटा दिया गया क्योंकि राज्य ने स्थल की संरक्षण में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए थे।
- **नई प्रविष्टियाँ:** विश्व धरोहर सूची में 24 नए स्थल जोड़े गए, जिनमें भारत में अहोम वंश की मोइडम्स- माउंड-बरियल सिस्टम और फिलीस्तीन में सेंट हिलारियन मठ/टेल उम्म आमर शामिल हैं।

विश्व धरोहर समिति के बारे में:

- यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन की शासी निकाय हैं।
- 21 सदस्य राज्यों की संरचना, जोकि कन्वेंशन के 195 राज्य पक्षों से चुने गए हैं।

भूमिकाएँ:

- कन्वेंशन को लागू करना।
- विश्व धरोहर सूची में नई प्रविष्टियों के प्रस्तावों की समीक्षा करना। पहले से अंकित स्थलों के संरक्षण का आकलन करना।
- प्रत्येक वर्ष एक सामान्य सत्र का आयोजन करना।

निष्कर्ष:

यह समझौता सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित करता है। यह दोनों देशों की प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी के खिलाफ प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक खजानों की उनके मूल देशों में वापसी की पुष्टि करता है।

क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को टोक्यो में मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जापानी विदेश मंत्री कामिकावा योको शामिल हुए।

बैठक की मुख्य बातें:

- **आईपीएमडीए का विस्तार:** क्वाड ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता (आईपीएमडीए) के लिए इंडो-पैसिफिक भागीदारी का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसका फोकस समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से निगरानी पर होगा। यह पहल समुद्री चुनौतियों के लिए वास्तविक समय समन्वय को सक्षम करने हेतु सूचना संलयन केंद्रों को जोड़ेगी। आईपीएमडीए का उद्देश्य उपग्रह डेटा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से समुद्री मार्गों की सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता:** क्वाड ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, बेरोक वाणिज्य, और समुद्र के अन्य वैध उपयोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की समुद्री गतिविधियों के बारे में चिंताएँ व्यक्त कीं।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR):** चर्चाओं में क्वाड सदस्यों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) संचालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें उनकी नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक परिणामों और मानक संचालन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया।

वैश्विक चिंताएँ और वक्तव्य:

- **यूक्रेन संघर्ष:** क्वाड ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की और संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की अपील की।
- **गाजा और इजराइल:** क्वाड ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली ठिकानों पर हमास द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। उन्होंने गाजा में मानवीय संकट और नागरिक जीवन के बड़े पैमाने पर नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानवीय सहायता बढ़ाने, क्षेत्रीय वृद्धि को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और UNSC संकल्प S/RES/2735 (2024) के अनुपालन की अपील की। सभी बंधकों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम

का आग्रह भी किया।

- **म्यांमार संघर्ष:** बैठक में म्यांमार में बिगड़ती राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर भी ध्यान दिया गया। सदस्यों ने हिंसा को तुरंत रोकने, अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की रिहाई और सुरक्षित, निर्बाध मानवीय पहुँच की अपील की।
- म्यांमार में अस्थिरता को साइबर अपराध, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि के रूप में देखा जाता है, जो उसके पड़ोसी देशों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस बढ़ती अस्थिरता के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष:

क्वाड आईपीएमडीए (IPMDA) के माध्यम से समुद्री सुरक्षा का विस्तार कर रहा है, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे उभरते खतरों को संबोधित कर रहा है और मानवीय सहायता प्रयासों को मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य यूक्रेन, गाजा और म्यांमार जैसे क्षेत्रों में संघर्ष समाधान को सुविधाजनक बनाना, रणनीतिक साझेदारी बनाना और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

पांचवीं आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पांचवीं आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति की बैठक 29 जुलाई से 1 अगस्त, 2024 तक जकार्ता में आयोजित की गई, जो आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साबित हुई। इसकी अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के उप महासचिव (व्यापार) ने संयुक्त रूप से की।

मुख्य विशेषताएं:

- जकार्ता बैठक में सभी आठ उप-समितियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिनमें से प्रत्येक ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
- जकार्ता बैठक के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
- इन चर्चाओं में संभावित मुद्दों को संबोधित करने और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) की चल रही समीक्षा के माध्यम से भारत और आसियान के बीच आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 2023 में, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चर्चा शुरू की, जिस पर मूल रूप से 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समीक्षा के लिए वार्ता के पहले दो दौर फरवरी 2024 में नई दिल्ली, भारत में और मई 2024 में पुत्रजया, मलेशिया में आयोजित किए गए थे।
- अगली AITIGA संयुक्त समिति की बैठक 19-22 नवंबर, 2024 को भारत में आयोजित होने वाली है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने भारत में AITIGA 2024 की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया है, जो आसियान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते के बारे में:

- AITIG भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के दस सदस्य देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। इस समझौते पर 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 7वें आसियान आर्थिक मंत्रियों-भारत परामर्श के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2010 में लागू हुआ।
- यह मुख्य रूप से भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच भौतिक वस्तुओं और उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है।

मुख्य घटक:

- **वस्तुओं के व्यापार पर समझौता:** आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AIFTA) के इस घटक को 1 जनवरी, 2010 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ को उत्तरोत्तर कम करना और समाप्त करना है, जिससे वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा मिले।
- **सेवाओं के व्यापार पर समझौता:** नवंबर 2014 में हस्ताक्षरित इस समझौते में पारदर्शिता, घरेलू विनियमन, पारस्परिक मान्यता, बाजार पहुंच, राष्ट्रीय उपचार और विवाद समाधान के तंत्र से संबंधित प्रावधान शामिल हैं इसमें अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण के मामलों में भेदभाव को रोकने और उचित मुआवजे की गारंटी देने के प्रावधान शामिल हैं, जिससे स्थिर और सुरक्षित निवेश वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख पहलू रहा है और आगे भी रहेगी, जो देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक के रूप में, आसियान भारत के वैश्विक व्यापार का 11% हिस्सा है, जिसमें 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) को उन्नत करने के चल रहे प्रयासों से इस द्विपक्षीय व्यापार संबंध को और बढ़ाने, भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है।

हाथियों का संरक्षण इकोसिस्टम के लिए अत्यंत जरूरी

बीते 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर पूरे विश्व समुदाय से ये अपेक्षा की गई है कि हाथियों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता में तेजी लाई जाए। हर वर्ष 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य हाथियों के कल्याण के लिए विश्व को एक साथ लाना है। एक वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत भी 'विश्व हाथी दिवस' मनाता है।

इस वर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ने 'विश्व हाथी दिवस' समारोह की संयुक्त मेजबानी की। छत्तीसगढ़ जैविक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और यहां हाथियों की भी अच्छी खासी संख्या है। मानव और हाथियों के बीच के द्वंद को कम करने के नजरिए से छत्तीसगढ़ को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात पर बल देते हुए कहा कि हाथियों का संरक्षण पारितंत्र के संरक्षण के लिए अत्यंत जरूरी है।

हाथियों को फ्लैगशिप स्पिसीज के रूप में माना जाता है जो जंगल की स्थिरता में एक से अधिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। पर्यटन, अध्यात्म, सुरक्षा, मनोरंजन कई दृष्टि से हाथियों का सार्वभौमिक महत्व विश्व ने स्वीकार किया है। इसके बावजूद हाथियों को कई तरह के संकटों का सामना लगातार करना पड़ रहा है जिसके दूर करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों को प्रतिबद्धता से काम करने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर अवसंरचना निर्माण, सड़कों, राजमार्गों के निर्माण के चलते जंगलों की भूमि से कई अवसरों पर समझौता भी किया जा रहा है जिसका प्रभाव हाथियों की सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से देखा गया है।

हाथियों की मौत की घटनाओं पर सख्त हुआ एनजीटीः

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2015 से 2023 के बीच कुल 8 वर्षों में 845 हाथियों की मौत पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केरल वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 अगस्त, 2024 को एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पर्यावरण मानदंडों खासतौर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम के अनुपालन से संबंधित है। पीठ ने कहा है कि अध्ययनों से पता चलता है कि खासतौर से 10 वर्ष से कम आयु के हाथियों की अत्यधिक मौत हो रही है।
- इनमें से लगभग 40 फीसदी युवा हाथी एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीसवायरस-हेमरेजिक डिजीज (ईईएचवी-एचडी) के शिकार हो रहे हैं। एनजीटी की पीठ ने जिस खबर के आधार पर नोटिस जारी किया है, उस खबर में शोध के हवाले से कहा गया है कि बड़े झुंडों में रहने वाले आपस में प्रतिरक्षा साझा करते हैं और इनमें ईईएचवी-एचडी के खिलाफ लड़ने की बेहतर शक्ति होती है, जिससे इनके जीवित रहने की दर ज्यादा होती है।
- हाथी के बच्चों के बड़े झुंड बनाए रखने से बीमारी के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। एनजीटी की पीठ ने इस मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केरल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन को नोटिस जारी किया और इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को एनजीटी की चेन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ के जरिए होगी।

हाथियों के समक्ष चुनौतियांः

- हाथियों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जंगल से प्रवास, रिहायशी इलाकों में प्रवेश, मानवों के साथ संघर्ष, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर मौत, प्राकृतिक

आपदाओं के दौरान समस्या, विभिन्न बीमारियों का प्रभाव और प्राकृतिक आवास विखंडन शामिल है। ऐसा देखा गया है कि हाथी पाश्चुरेलोसिस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी वन्य जीव अभयारण्य और सिमलीपाल, असम का काजीरंगा और कोयंबटूर में ऐसी बीमारियां हाथियों में देखी जा चुकी हैं। इसीलिए हाथी संरक्षण और उपचार केंद्र और हाथी अस्पताल खोले जा रहे हैं।

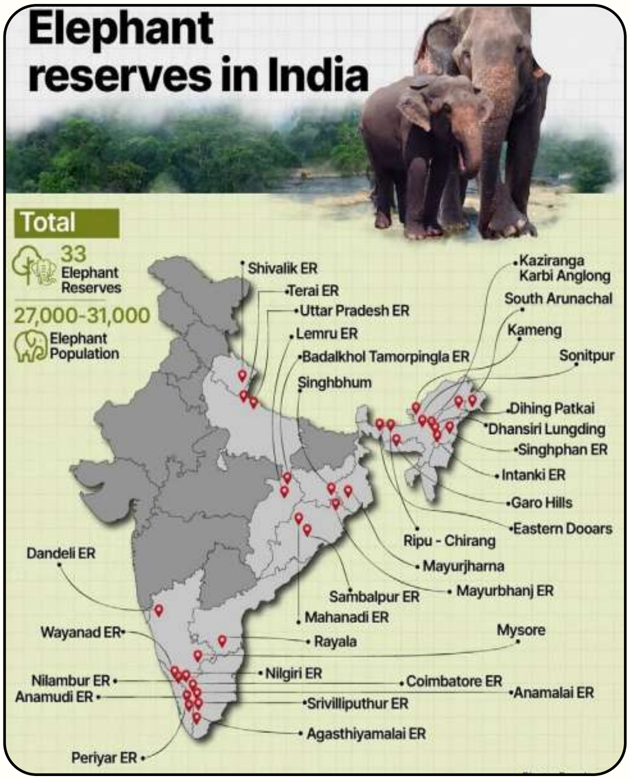

भारत सरकार द्वारा हाथी संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम:

- भारत में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर आबादी है। वास्तव में, 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथी भारत में हैं। 2017 में आयोजित हाथियों की अंतिम गणना में 29,964 हाथियों की आबादी दर्ज की गई, जो भारतीय संस्कृति में वन्यजीव संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत में 33 हाथी अभयारण्य और 150 हाथी कारीडोर हैं।
- पिछले 3 वर्षों में, कर्नाटक राज्य द्वारा दांदेली हाथी अभयारण्य, नगालैंड द्वारा सिंगफन हाथी अभयारण्य और छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। इससे भारत में हाथी अभयारण्य के तहत कुल क्षेत्रफल को देश के 14 राज्यों में लगभग 76,508 वर्ग किमी में ला दिया है।
- भारत सरकार तमिलनाडु में एक और हाथी अभयारण्य – अगस्त्यमलाई की स्थापना करने जा रहा है, जिसमें भारत में हाथियों के संरक्षण और रक्षण के लिए समर्पित एक और 1197 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र शामिल है।
- भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके उच्चतम कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है।
- प्रवासी प्रजातियों पर समझौते (सीएमएस) की अनुसूची-I में भारतीय हाथी को शामिल करने का प्रस्ताव भारत द्वारा गांधीनगर में आयोजित सीएमएस मीटिंग में किया गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था और हाथी को सीएमएस की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया था और इससे भारत की सीमाओं से बाहर भारतीय हाथी के प्रवास की प्राकृतिक जरूरत पूरी होने के साथ-साथ सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित हुई।
- भारत सरकार का मानना है कि भारत में हाथियों के संरक्षण के केंद्र में लोगों का कल्याण छिपा है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ, मानव-हाथी संघर्ष बढ़ रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रति वर्ष औसतन 500 लोग हाथियों द्वारा मारे जाते हैं तथा लोगों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन भारत सरकार का एक प्रमुख फोकस है। भारत सरकार ने हाथियों से पीड़ित परिवारों तक पहुंच कर अनुग्रह राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
- हाथीदांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए प्रवर्तन नीतियों में सुधार, हाथियों के आवासों का संरक्षण, कैद हाथियों के लिए बेहतर उपचार प्रदान करना और कुछ बंदी हाथियों को अभयारण्यों में फिर से वापस लाना शामिल है। हाथी भारत का स्वाभाविक तौर पर एक विरासत जीव है और भारत में भी हाथियों की प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए पर्यावरण मंत्रालय हाथी गलियारों पर फिर से विचार कर रहे हैं और इस प्रयास में प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर लिया है।
- हाथी सहित वन्यजीव आवासों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाथी रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के साथ ओवरलैप हो रहा है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य राज्य स्थानीय अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं। इनकी गतिविधियों को मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाथियों और उनके आवास के संरक्षण के लिए किय गये उपाय:

- मंत्रालय हाथियों, उनके आवासों और गलियारों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के समाधान और देश में बंदी हाथियों

के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट' के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य विभिन्न योजनाएं जल स्रोतों को बढ़ाकर, चारे वाले पेड़ लगाकर, बांस के पुनर्जनन आदि के माध्यम से हाथियों के प्राकृतिक आवास में सुधार करने में योगदान देती हैं। प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए नियमों में हाथियों सहित अन्य वन्यजीव आवासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों की स्थापना आदि के लिए निधि के उपयोग का प्रावधान है, जो एचईसी को कम करने में भी योगदान देती हैं।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2021 में एक एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राहत की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी करना और व्यक्तियों की मृत्यु और घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत के उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी 3 जून, 2022 को फसलों को होने वाली हानि सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें वन सीमांत क्षेत्रों में ऐसी फसलों को बढ़ावा देना शामिल है जो जंगली जानवरों के लिए अरुचिकर हों। कृषि वानिकी मॉडल में मिर्च, लेमन घास, खस घास जैसी नकदी फसलें शामिल हैं, जिन्हें पेड़/झाड़ी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप से मिश्रित किया जाता है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल बुआई के लिए व्यापक दीर्घकालिक योजना की तैयारी करना और कार्यान्वयन करना भी शामिल है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से 'रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय' (2016) नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। इसका उद्देश्य रेलवे लाइनों सहित रैखिक अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है, जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो सके।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करके भारत में 15 हाथी क्षेत्र वाले राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 150 हाथी गलियारों का स्थलीय मान्यता दी है तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित राज्य के प्रशासनों को हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी सूचित किया है।
- हाथियों के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने और समन्वय स्थापित करने तथा संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी आवासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय में गठित संचालन समिति की मंजूरी से अधिसूचना जारी की जाती है। अब तक 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं।
- 29 अप्रैल, 2022 को संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्य जीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी डिस्कॉम और ट्रांसको को जारी की गई विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत अवसंरचना के कारण हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर एक एडवाइजरी 16 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिपत्रित की गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए तालमेल पूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव-हाथी संघर्ष शमन हेतु दिशानिर्देश (2023) भी जारी किए गए हैं।
- मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों की प्रतिशोधात्मक हत्या से बचने के लिए स्थानीय समुदायों को जंगली हाथियों द्वारा उनकी संपत्ति और जीवन हानि के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने पत्र संख्या डब्ल्यूएल-21/4/2023 डब्ल्यूएल दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के माध्यम से वन्यजीवों के विनाश से संबंधित अनुग्रह दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें जंगली जानवरों द्वारा हुई मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना शामिल है।
- रेल दुर्घटना में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति भी गठित की गई है।
- रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि ट्रेन की टक्कर और बिजली के झटके से हाथियों की आकस्मिक मृत्यु के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान किया जा सके।

जागरूकता प्रसार पर बलः

- 13 से 15 मार्च, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।
- भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करने" पर एक क्षमता

निर्माण कार्यशाला 23 से 25 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आयोजित की गई।

- 28 से 29 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।
- 11 से 13 जनवरी, 2024 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "भारत में बिजली के बुनियादी ढांचे में बिजली के झटके के जोखिम को कम करने और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाधान तलाशने" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।

पर्यावरणीय संक्षिप्त मुद्दे

भारत में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन रही 'उड़ती नदियाँ'

चर्चा में क्यों?

हाल के दिनों में भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने गंभीर संकट पैदा किया है, जिसमें कई लोगों की मौत और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से इन घटनाओं की तीव्रता बढ़ रही है, जिसका एक मुख्य कारण 'वायुमंडलीय नदियाँ' या 'उड़ती नदियाँ' है।

वायुमंडलीय नदियाँ क्या हैं?

- वायुमंडलीय नदियाँ अदृश्य जलवाष्प की विशाल धाराएँ होती हैं, जो गर्म महासागरों से वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। ये 'आकाश की नदियाँ' उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से नमी को ठंडे अक्षांशों तक ले जाती हैं और इसे भारी बारिश या बर्फबारी के रूप में छोड़ती हैं।
- यह घटना पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में लगभग 90% जलवाष्प को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होती है। एक वायुमंडलीय नदी, अमेजन नदी के प्रवाह का लगभग दोगुना जल ले जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है।
- जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडलीय नदियाँ लंबी, चौड़ी और अधिक तीव्र होती जा रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। भारत में, भारतीय महासागर के गर्म होने के कारण वायुमंडलीय नदियाँ बनती हैं, जो जून से सितंबर तक मानसूनी बारिश पर व्यापक असर डालती हैं।
- एक औसत वायुमंडलीय नदी लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी, 500 किलोमीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर गहरी होती है। हाल के रुझानों के अनुसार, कुछ नदियाँ 5,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी हो सकती हैं।

भारत पर प्रभाव:

- 2023 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि 1951 से 2020 के बीच भारत में मानसून के मौसम के दौरान 574 वायुमंडलीय नदियाँ उत्पन्न हुईं। समय के साथ, इन चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि पिछले दो दशकों में लगभग 80% सबसे गंभीर वायुमंडलीय नदियाँ भारत में प्रमुख बाढ़ से जुड़ी थीं। इसके अलावा, 1985 से 2020 के बीच भारत की दस सबसे गंभीर बाढ़ों में से सात वायुमंडलीय नदियों से संबंधित थीं।

वैश्विक दृष्टिकोण:

- वायुमंडलीय नदियों का प्रभाव केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। 2023 में, इराक, ईरान, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में भी वायुमंडलीय नदियों के कारण विनाशकारी बाढ़ आई।
- इसी तरह, चिली, ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस घटना से जुड़ी गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ा। इस वर्ष की शुरुआत में कैलिफोर्निया में आई विनाशकारी बाढ़ का कारण भी वायुमंडलीय नदियों को बताया गया था।

आगे की राह:

हालांकि इन नदियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, दक्षिण एशिया में वायुमंडलीय नदियों पर अन्य मौसमी घटनाओं, जैसे चक्रवातों और पश्चिमी विक्षोभों, की तुलना में कम अध्ययन हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना को समझने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए मौसम विज्ञानियों, जलविज्ञानियों और जलवायु वैज्ञानिकों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। जिस तरह भारत इन 'उड़ती नदियों' के विनाशकारी परिणामों से जूझ रहा है, अनुसंधान को प्राथमिकता देना और बाढ़ के बढ़ते खतरे को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय शहरों में बढ़ता समुद्र का जलस्तर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) द्वारा 'चयनित भारतीय तटीय शहरों के लिए समुद्र स्तर वृद्धि परिदृश्य और जलप्लावन मानचित्र' शीर्षक वाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1987 से 2021 तक के बीच 15 भारतीय तटीय शहरों और कस्बों में समुद्र के स्तर में बदलाव और संभावित जलप्लावन की जांच करती है, साथ ही भविष्य के अनुमान भी प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **वर्तमान समुद्र स्तर वृद्धि:** 1987 से 2021 तक, मुंबई में समुद्र स्तर में सबसे अधिक वृद्धि 4.44 सेमी देखी गई। अन्य प्रमुख शहरों में हल्दिया (2.726 सेमी), विशाखापत्तनम (2.381 सेमी), कोच्चि (2.213 सेमी), पारादीप (0.717 सेमी) और चेन्नई (0.679 सेमी) शामिल हैं।
- **भविष्य के अनुमान:** वर्ष 2100 तक, मध्यम-उत्सर्जन परिदृश्य के तहत मुंबई में समुद्र स्तर 76.2 सेमी, पणजी में 75.5 सेमी, उडुपी में 75.3 सेमी, मैंगलोर में 75.2 सेमी, कोझीकोड में 75.1 सेमी, कोच्चि में 74.9 सेमी, तिरुवनंतपुरम में 74.7 सेमी और कन्याकुमारी में 74.7 सेमी बढ़ जाएगा।
- **जलप्लावन का जोखिम:** अध्ययन में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के मध्यम और उच्च-उत्सर्जन साझा सामाजिक-आर्थिक मार्ग (एसएसपी) परिदृश्यों के तहत वर्ष 2040, 2060, 2080 और 2100 के लिए इन शहरों में संभावित जलप्लावन क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है।
- वर्ष 2040 तक, समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण मुंबई, यनम और थूथुकुडी में 10% से अधिक भूमि, पणजी और चेन्नई में 5%-10%, और कोच्चि, मैंगलोर, विशाखापत्तनम, हल्दिया, उडुपी, पारादीप और पुरी में 1%-5% भूमि जलमग्न हो जाने की संभावना है।
- उच्च-उत्सर्जन परिदृश्य के तहत, मुंबई और चेन्नई की तुलना में मैंगलोर, हल्दिया, पारादीप, थूथुकुडी और यनम में वर्ष 2100 में अधिक प्रतिशत भूमि जलमग्न हो सकती है।
- एसएसपी परिदृश्य यह दर्शाते हैं कि जनसंख्या, शिक्षा और शहरीकरण जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक अगली सदी में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ सकता है।
- अध्ययन में टियर-I शहर (चेन्नई और मुंबई), टियर-II शहर (तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, मंगलुरु, विशाखापत्तनम, कोझीकोड और हल्दिया), कस्बों (कन्याकुमारी, पणजी, पुरी, उडुपी, पारादीप, थूथुकुडी और यनम) पर ध्यान दिया गया है।

प्रभावित प्रमुख क्षेत्र:

- रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में जल, कृषि, वन और जैव विविधता तथा स्वास्थ्य शामिल हैं। समुद्र तट, बैकवाटर और मैंग्रोव वन विशेष रूप से जोखिम में हैं, जो जैव विविधता और पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

जीवाश्म ईंधन के दहन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि की है। इस गर्मी के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ गया है और ग्लेशियर पिघलने की गति में तेजी आई है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। यह घटना भारत सहित दुनिया भर के तटीय शहरों के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है।

छत्तीसगढ़ में नए टाइगर रिजर्व की घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर एक नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, जो इसके समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में:

- **स्थान और क्षेत्रफल:** यह नया रिजर्व छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित है। यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,829.387 वर्ग किलोमीटर है।
- **जैव विविधता:** इस रिजर्व में विभिन्न वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, गीदड़, लकड़बग्घा, भालू,

बारहसिंगा, चिंकारा, और चितल शामिल हैं। यहाँ की वनस्पति में साल, सागौन और बांस प्रमुख हैं, जो इस समृद्ध जीव-जंतु विविधता का समर्थन करते हैं।

- **जलसंसाधन:** यह रिजर्व क्षेत्र जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से हसदेव गोपद और बरंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है और यह कई अन्य नदियों और नालों, जैसे नेउर, बिजाधुर, बनास और रिहंद के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- **आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ:** इस रिजर्व की स्थापना से इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को सुधारना और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है।
- **वर्तमान टाइगर रिजर्व:** छत्तीसगढ़ में पहले से ही तीन टाइगर रिजर्व हैं: इंद्रावती (बीजापुर जिला), उदंती-सितानदी (गैरबंद) और अचनकमार (मुंगेली)। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला के जुड़ने से राज्य के संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क और भी मजबूत हुआ है।

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान:

- **स्थान:** कोरिया जिले में स्थित, यह उद्यान वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से विभाजन के बाद स्थापित किया गया था।
- **भूआकृति और जलवायु:** यहाँ की भौगोलिक स्थिति उबड़-खाबड़ वाली है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है।
- **जैव विविधता:** उद्यान में साल, सागौन और बांस की प्रमुख वनस्पतियों के साथ विविध वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, चितल, नीलगाय, चिंकारा, गीदड़, सांबर, और चार-सींग वाले एंटेलोप।

तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य:

- **स्थान:** यह अभयारण्य सूरजपुर जिले में स्थित है और इसका नाम यहाँ की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं, तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला पर रखा गया है।
- **वनस्पति और जीव:** इस मिश्रित पर्णपाती वन में साल और बांस प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, सांबर हिरण, नीला बैल, चितल, और बायसन जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं।

टाइगर रिजर्व के बारे में:

- टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किए जाते है और इन्हें भारत सरकार के नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- इन रिजर्व में एक कोर क्षेत्र होता है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होता है और एक बफर जोन, जिसमें वन और गैर-वन भूमि दोनों शामिल हो सकती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य कोर क्षेत्रों में बाघों की जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बफर जोनों में मानव और वन्यजीव गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना है।

निष्कर्ष:

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की स्थापना छत्तीसगढ़ की संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसके प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादल: जंगल की आग से उठे वायुमंडलीय तूफान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और कनाडा में लगी भीषण जंगल की आगें इतनी तीव्र हो गई हैं कि उन्होंने 'पाइरोक्यूमुलोनिंबस' जैसे असाधारण और खतरनाक वायुमंडलीय घटनाओं को जन्म दिया है। ये आग से उत्पन्न बादल न केवल नई आगें भड़काने की क्षमता रखते हैं, बल्कि वे मौसम के पैटर्न को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यापक पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

निर्माण प्रक्रिया:

- **प्रारंभिक स्थिति:** जंगल की आग से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी आसपास की हवा को गर्म कर देती है, जिससे वह ऊपर उठती है।
- **बादल निर्माण:** जैसे-जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी हो जाती है और राख के कणों के चारों ओर संघनित हो जाती है, जिससे एक धूसर या भूरे रंग का बादल बनता है, जिसे पाइरोक्यूमुलस कहा जाता है।
- **विकास:** यदि पर्याप्त नमी और तीव्र ऊपर की ओर गति हो, तो बादल एक पाइरोक्यूमुलोनिंबस में विकसित हो सकता है, जो 50,000 फीट की ऊँचाई तक पहुँच सकता है और अपने स्वयं के बिजली के तूफान पैदा कर सकता है।

प्रभाव:

- **आग का निर्माण:** पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादल बिजली पैदा कर सकते हैं, जो आग की मूल जगह से दूर नई आगें भड़काने का कारण बन सकती हैं।
- **मजबूत हवाएँ:** ये बादल हवाएँ भी पैदा कर सकते हैं, जो मौजूदा आग की गति को तेज कर सकती हैं।
- **वायुमंडलीय प्रदूषण:** ये बादल उच्च और निम्न वायुमंडल दोनों में महत्वपूर्ण प्रदूषण में योगदान करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- **जलवायु प्रभाव:** ये सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके ग्रह की अस्थायी ठंडक का कारण बन सकते हैं, हालांकि इनका प्रमुख प्रभाव प्रदूषकों का निर्माण है।

- **स्वास्थ्य जोखिम:** इन आगों से उत्पन्न कण फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्वसन समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ और उदाहरण:

- **पिछली घटनाएँ:** पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादल वर्ष 2019-2020 में ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग के दौरान विशेष रूप से देखे गए थे, तब तापमान 800°C से ऊपर चला गया था।
- **हालिया डेटा:** 2023 से पहले, औसतन 102 पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादल वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष दर्ज किए गए, जिनमें से 50 कनाडा में थे।

जलवायु परिवर्तन संबंध:

- वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं की आवृत्ति को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान और परिवर्तित मौसम पैटर्न, विशेष रूप से ला नीना के दौरान, अधिक बार और तीव्र पाइरोक्यूमुलोनिंबस घटनाओं में योगदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

पाइरोक्यूमुलोनिंबस बादलों का निर्माण जंगल की आग की बढ़ती गंभीरता और उनके व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन मौसम पैटर्न और जंगल की आग की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है। इन घटनाओं पर अध्ययन, आग प्रबंधन में सुधार और वनाग्नि (जंगल की आग) के धुएँ से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अंटार्कटिका की गहरी सर्दी में हीटवेव्स

चर्चा में क्यों?

हाल के दिनों में, अंटार्कटिका में शीत ऋतु के दौरान भीषण हीटवेव का सामना किया जा रहा है, जो पिछले दो वर्षों में दूसरी बार तापमान का रिकॉर्ड टूटने की घटना है। जुलाई 2024 के मध्य से, अंटार्कटिका में सतही तापमान सामान्य से औसतन 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है और कुछ क्षेत्रों में यह 28 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इस अभूतपूर्व तापमान वृद्धि ने इसके संभावित कारणों और वैश्विक प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है।

अंटार्कटिका में हीटवेव्स के कारण:

पोलर वॉर्टेक्स की कमजोरी:

- पोलर वॉर्टेक्स एक बड़ा क्षेत्र होता है जो पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर कम दबाव और ठंडी हवाओं से घिरा होता है। सर्दियों के दौरान, यह मजबूत होता है और ध्रुवों के पास ठंडी हवा को संलग्न रखने में मदद करता है। इस बार उच्च तापमान के कारण यह वॉर्टेक्स कमजोर हो गया है।
- कमजोर वॉर्टेक्स ने ऊपर से गर्म हवा को अंटार्कटिका में आने की अनुमति दी, जिससे तापमान में और वृद्धि हुई है।

अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में कमी:

- अंटार्कटिक समुद्री बर्फ ऐतिहासिक रूप से कम स्तरों तक घट गई है, जिससे इसका सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करने और ठंडी हवा को गर्म पानी से अलग रखने की क्षमता कम हो गई है। इस कमी से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है और क्षेत्र में गर्मी के प्रभाव को बढ़ावा मिला है।

वैश्विक तापमान वृद्धि की उच्च दर:

- अंटार्कटिका वैश्विक औसत से लगभग दोगुना तेजी से गर्म हो रहा है, जहाँ तापमान प्रति दशक 0.22 से 0.32 डिग्री सेल्सियस के दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक औसत दर 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक है।
- इसका तेजी से गर्म होना मुख्यत: मानव-जनित जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित है, जो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

दक्षिणी महासागर का प्रभाव:

- गर्म होता दक्षिणी महासागर, जो समुद्री बर्फ के कारण अधिक गर्मी को अवशोषित कर रहा है, एक फीडबैक लूप बनाता है जो अंटार्कटिका में वायु तापमान को बढ़ाता है। इससे क्षेत्र में चरम मौसम घटनाओं के जोखिम बढ़ रहे हैं।

अंटार्कटिका में हीटवेव्स के परिणाम क्या हैं?

बर्फ का शीघ्रता से पिघलना:

- बढ़ते तापमान अंटार्कटिका की बर्फ की मात्रा को तेजी से घटा रहे हैं। हाल के दशकों में, बर्फ की मात्रा में 1980 और 1990 के दशक की तुलना में 280% की वृद्धि देखी गई है। मार्च 2022 में एक हीटवेव ने 1,300 वर्ग किलोमीटर बर्फ के हिस्से को पिघला दिया था।

वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि:

- अंटार्कटिक आइस शीट, जो अंटार्कटिका के 98% को कवर करती है और विश्व की 60% से अधिक ताजे पानी का क्षेत्र है, वैश्विक समुद्र स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र स्तर में मामूली वृद्धि भी लगभग 230 मिलियन लोगों को विस्थापित कर सकती है जो उच्च ज्वार की रेखाओं के तीन फीट के भीतर रहते हैं, जिससे तटीय शहरों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है।

महासागर परिसंचरण में व्यवधान:

- पिघलती बर्फ से ताजे पानी का प्रवाह महासागर की लवणता और घनत्व को बदल देता है, जिससे वैश्विक महासागर परिसंचरण धीमा हो जाता है। यह धीमापन महासागर की गर्मी, कार्बन, और पोषक तत्वों को संग्रहित और परिवहन करने की क्षमता को कम करता है, जिससे वैश्विक गर्मी बढ़ती है और चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती है।

पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान:

- तापमान परिवर्तन और बर्फ की कमी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है, जो स्थिर बर्फ पर निर्भर प्रजातियों को खतरे

में डालती है। उदाहरण के लिए, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन स्थिर बर्फ पर निर्भर करते हैं। परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि वैश्विक खाद्य जाल को प्रभावित कर सकती है।

फीडबैक लूप्स:

- बर्फ की आवरण में कमी एल्बिडो प्रभाव को घटाती है, जिससे सूर्य की रोशनी कम परावर्तित होती है और अधिक गर्मी महासागरों और भूमि द्वारा अवशोषित होती है। यह प्रक्रिया अधिक बर्फ पिघलने को तेज करती है, एक दुष्चक्र बनाती है जोकि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

अंटार्कटिका की हीटवेव्स हमारे जलवायु प्रणाली में तेजी से हो रहे परिवर्तनों का स्पष्ट संकेत हैं। इन घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझना उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिक अनुसंधान में भारत की सक्रिय पहल इसके वैश्विक पर्यावरणीय प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के सामने वैज्ञानिक उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

एशियाई आपदा तैयारी केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य और विभागाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह, वर्ष 2024-25 के लिए बैंकॉक, थाईलैंड में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी) के बारे में:

- **स्थापना और उद्देश्य:** एडीपीसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन पर केंद्रित है। इसकी स्थापना भारत और आठ पड़ोसी देशों: बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- **संचालन और संरचना:** एडीपीसी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है और इसे एक न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है और इसके संचालन करने वाले देशों में इसके उप-केंद्र स्थापित हैं।

आपदा प्रबंधन के लिए भारत द्वारा की गई पहल:

- **आपदा प्रबंधन योजना:** गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशामक सेवाओं के विस्तार हेतु 8000 करोड़ रुपये की आपदा प्रबंधन योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों में बाढ़ के जोखिम और 17 राज्यों में भूस्खलन के खतरे को कम करना है। इसके अतिरिक्त, अग्निशामक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये की परियोजना जून 2023 में शुरू की गई है।
- **वित्त पोषण:** 2021 में, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष ने 'राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष' के अंतर्गत NDRF को 13,693 करोड़ रुपये और SDRF को 32,031 करोड़ रुपये आवंटित किए। 2014-2023 की अवधि के दौरान SDRF और NDRF के लिए वित्तीय सहायता 2005-2014 की तुलना में तीन गुना बढ़ गई है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं की चेतावनी प्रदान करती है। यह प्रणाली आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के सेंडाइ फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित सात वैश्विक लक्ष्यों में से एक है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी):** एनडीएमपी भारत का एक रणनीतिक ढांचा है जिसका उद्देश्य देश की आपदा तन्यता को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। इसे 2016 में पेश किया गया था।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ):** एनडीआरएफ का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इसे 2006 में 8 बटालियनों के साथ स्थापित किया गया था, और वर्तमान में यह 16 बटालियनों तक विस्तारित हो चुका है।
- **आपदा मित्र योजना:** यह योजना आपदा-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 350 आपदा-ग्रस्त जिलों में 369 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य 1 लाख युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है।
- **मोबाइल एप्लीकेशन:** किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि प्रबंधन हेतु मेघदूत जैसे मोबाइल एप्लीकेशन और बिजली की चेतावनी के लिए दामिनी एप्लिकेशन उपलब्ध कराए गए हैं।

निष्कर्ष:

एडीपीसी की अध्यक्षता करने से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करता है। यह भारत की क्षेत्रीय सहयोग, लचीलापन और आपदा तैयारी में भागीदारी को बढ़ाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों को आकार देने, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

2023 में जलवायु की स्थिति पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) द्वारा 2023 में जलवायु की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई।

वैश्विक जलवायु और पर्यावरण रुझान:

ग्रीनहाउस गैस सांद्रता और तापमान वृद्धि:

- प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें - कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड - 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
- 2023 में वैश्विक औसत सतह का तापमान 1991-2020 के औसत से 0.55 से 0.60 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे यह 1800 के दशक के मध्य से शुरू होने के बाद से सबसे गर्म वर्ष बन गया।
- नेशनल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल इंफॉर्मेशन, NOAA के निदेशक डेरेक अन्ड्ट ने इस रिपोर्ट को गर्म होती दुनिया और इसके दूरगामी प्रभावों के स्पष्ट संकेतक के रूप में महत्व दिया।

महासागर और समुद्र तल में परिवर्तन:

- वर्ष 2023 में 2,000 मीटर की गहराई तक वैश्विक महासागरीय ऊष्मा रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गई।
- वैश्विक औसत समुद्र तल 1993 के औसत से 10 सेंटीमीटर (4 इंच) से अधिक बढ़ गया, जो लगातार 12वें वर्ष उच्चतम स्तर को दर्शाता है।

क्षेत्रीय जलवायु चरम और प्रभाव:

सूखा:

- जुलाई 2023 में, वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग 8% अत्यधिक सूखे की चपेट में था, जो जुलाई 2022 में निर्धारित 6.2% के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। इसके अतिरिक्त, वैश्विक भूमि क्षेत्र का 29.7%, वर्ष 2023 में मध्यम या बदतर श्रेणी के सूखे का अनुभव करता है।
- मेक्सिको ने 1950 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अपने सबसे शुष्क और सबसे गर्म वर्ष का अनुभव किया।
- गंभीर सूखे ने पश्चिम एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका को प्रभावित किया। दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील के मनौस में रियो नीग्रो (अमेजन की एक सहायक नदी) सहित अमेजन बेसिन, 1902 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

जंगल की आग की घटना:

- कनाडा ने अपने इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग का सामना किया, जिसमें मई से सितंबर तक लगातार आग लगी रही, जिससे लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। यह वर्ष 1989 के पिछले रिकॉर्ड से दोगुने से भी अधिक था।
- ग्रीस ने जंगल की आग का सामना किया, वर्ष 2023 में जला हुआ कुल क्षेत्र अपने दीर्घकालिक औसत से चार गुना से अधिक था।
- ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त और अक्टूबर 2023 के बीच रिकॉर्ड पर अपनी सबसे शुष्क तीन महीने की अवधि का अनुभव किया, जिससे उत्तरी क्षेत्र में व्यापक रूप से जंगल की आग लगी।

ध्रुवीय क्षेत्र:

- आर्कटिक ने 124 वर्षों के रिकॉर्ड में अपना चौथा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया। आर्कटिक क्षेत्र में आधे से अधिक स्थलों ने अब तक के सबसे उच्च पर्माफ्रॉस्ट तापमान दर्ज किए, जो ग्रीनहाउस गैसों में बढोत्तरी और ग्लोबल वार्मिंग को तीव्र कर सकता है।
- सितंबर 2023 में, आर्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा ने रिकॉर्ड पर अपनी पांचवीं सबसे छोटी सीमा तक पहुंच गई।
- अंटार्कटिका में, समुद्री बर्फ की सीमा और क्षेत्र के लिए नए मासिक रिकॉर्ड निम्न स्तर पर वर्ष के आठ महीनों में देखे गए, जिसमें 21 फरवरी, 2023 को अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड दर्ज किया गया।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिविधि:

- समग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिविधि वर्ष 2023 में औसत से कम रही, जिसमें 1991 और 2020 के बीच देखे गए 87 नामित तूफानों की तुलना में 82 नामित तूफान दर्ज किए गए। हालांकि, इस अवधि के दौरान सात उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने वैश्विक स्तर पर श्रेणी 5 की स्थिति प्राप्त की। संचित चक्रवात ऊर्जा, जो उष्णकटिबंधीय तूफानों की ताकत, आवृत्ति और अवधि का एक सूचक है, 2023 में औसत से अधिक रही।

निष्कर्ष:

रिपोर्ट निर्णायक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जिसमें उत्सर्जन में कटौती के लिए जलवायु नीतियों को बढ़ाना, लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना, कमजोर समुदायों के लिए अनुकूलन रणनीतियों का समर्थन करना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इन बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और प्रभावी शमन उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक प्रयासों को तेज करना महत्वपूर्ण है।

जापान ने पहली बार 'महाभूकंप संबंधी परामर्श' जारी की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के पश्चात पहली बार 'महाभूकंप सलाह' जारी की है। यह सलाह विशेष रूप से नानकाई गर्त क्षेत्र में संभावित महाभूकंप और बड़ी सुनामी की आशंका को लेकर जारी की गई है।

परामर्श के बिंदु:

- परामर्श में नानकाई गर्त क्षेत्र में संभावित मजबूत भूकंप और विशाल सुनामी की संभावना पर चिंता व्यक्त की गई है। यह क्षेत्र एक सबडक्शन जोन है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव होता है, जिसमें एक प्लेट दूसरी के नीचे धकेल दी जाती है। इस प्रक्रिया से तनाव उत्पन्न होता है, जो महाभूकंप का कारण बन सकता है।
- परामर्श में भूकंपीय गतिविधि की सामान्य से अधिक संभावना पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन यह कोई आश्वासन नहीं देती कि एक विशिष्ट अवधि में बड़ा भूकंप आएगा।

नानकाई गर्त के बारे में:

- नानकाई गर्त जापान के तट से सटा हुआ एक सबडक्शन जोन है, जो लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट के टकराव का बिंदु है, जहां फिलीपीन सी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे मेंटल में धकेली जाती है। इस टेक्टोनिक गतिविधि से उत्पन्न तनाव बड़े भूकंप (मेगाक्वेक) का कारण बन सकता है। ऐतिहासिक रूप से, नानकाई गर्त ने लगभग हर 100 से 150 वर्षों में बड़े भूकंप उत्पन्न किए हैं।
- 2023 में जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन 'नानकाई मेगाथ्रस्ट भूकंप की लगातार घटना की उच्च संभावना' के अनुसार, नानकाई गर्त में आने वाले मेगाक्वेक प्रायः जोड़े में आते हैं। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि दूसरा भूकंप आमतौर पर पहले भूकंप के दो वर्षों के भीतर होता है।
- जुड़वाँ भूकंपों का आखिरी सेट 1944 और 1946 में आया था। नानकाई गर्त के पास हाल ही में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के मद्देनजर, विशेषज्ञ निकट भविष्य में एक और विनाशकारी भूकंप की संभावना को लेकर चिंतित हैं।

भूकंपों की भविष्यवाणी:

- भूकंपों की सटीक भविष्यवाणी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रभावी पूर्वानुमान के लिए पृथ्वी के भीतर उन विशिष्ट संकेतों का पता लगाना आवश्यक है, जो यह दर्शाते हैं कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। हालांकि, ये संकेत अक्सर केवल बड़े भूकंपों के बिल्कुल निकट आने पर ही स्पष्ट होते हैं, ताकि छोटे टेक्टोनिक आंदोलनों से उत्पन्न गलत चेतावनियों से बचा जा सके। वर्तमान में, ऐसे संकेतों की विश्वसनीय पहचान के लिए कोई प्रभावी तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे सटीक भूकंप की भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है।

निष्कर्ष:

भूकंपीय गतिविधि की अप्रत्याशित प्रकृति, विशेष रूप से नानकाई गर्त जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, कभी भी कम नहीं आंकी जा सकती। बढ़े हुए जोखिम के प्रति निवासियों और अधिकारियों के बीच जागरूकता और तैयारी को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूवैज्ञानिक गतिशीलता को समझना और सलाह के माध्यम से सूचित करना समुदायों को संभावित महाभूकंप के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने और प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकता है, जिससे विनाशकारी परिणामों का जोखिम कम किया जा सकता है।

केरल की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के पूर्व अध्यक्ष माधव गाडकिल ने वायनाड भूस्खलन त्रासदी को 'मानव-निर्मित आपदा' करार दिया है और इसका कारण पारिस्थितिकीय सिफारिशों को लागू करने में सरकार की विफलता को बताया है।

भूस्खलन क्या है?

- भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, जो तब होती है जब चट्टान, मिट्टी, या मलबा ढलान से नीचे की ओर खिसकता है। यह आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक पानी, या भूकंप के कारण होता है।

वायनाड में भूस्खलन के कारण:

- वायनाड जिले में भूस्खलन भारी बारिश, वन कटाई, और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता तथा खराब निर्माण तकनीकों के कारण आया।
- वायनाड जिले की जनसंख्या पिछले सदी में 11 गुना बढ़ गई, जिससे पर्यटन, निर्माण और पर्यावरण पर दबाव बढ़ा और भूस्खलन हुआ। चाय बागान और पर्यटन अवसंरचना के लिए वन कटाई ने भूस्खलनों में योगदान दिया और वर्ष 1950 से 2018 के बीच 62% हरे आवरण में कमी आयी है।
- केरल के पहाड़ी क्षेत्रों की ढलान 20 डिग्री से अधिक है, जिससे भारी बारिश के दौरान त्वरित बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यह वायनाड जिले में भूस्खलन का प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश की तीव्रता 10% बढ़ गई, जिससे भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे में वृद्धि हुई।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के बारे में:

- वर्ष 2010 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने माधव गडकिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल स्थापित किया। पैनल ने पूरे पश्चिमी घाट को 'पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) के रूप में घोषित करने की सिफारिश की और इसे पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया।

मुख्य सिफारिशें:

  - ESZ-1 क्षेत्र में वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध।
  - निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों पर कड़े नियम।
- **अमल की चुनौतियाँ:** स्थानीय समुदायों ने सिफारिशों का विरोध किया, उनका कहना था कि इनसे उनके जीवनयापन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस विरोध के चलते, सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका।
- **परिणाम:** केरल ने 2014 और 2020 के बीच भारत के भूस्खलनों का 61.21% अनुभव किया, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है।
- **कस्तूरीरंगन समिति:** 2013 में कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के 37% को 'पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों' के रूप

में घोषित करने और खनन और थर्मल पावर परियोजनाओं जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया। हालांकि, इन प्रस्तावों का भी विरोध हुआ और ये लागू नहीं हुए।

- **पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकीय महत्व:** पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और मध्यम उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाना जाता है। अरब सागर में बढ़ती चक्रीय गतिविधियों ने क्षेत्र की जलवायु को बाधित किया है, जिससे बार-बार प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं।

निष्कर्ष:

वायनाड भूस्खलन त्रासदी पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। केरल के 49.7% क्षेत्र को भूस्खलन-प्रवण के रूप में पहचाना गया है, इसलिए नीति निर्माताओं, हितधारकों, और स्थानीय समुदायों को मिलकर टिकाऊ प्रथाओं, संरक्षण उपायों, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को लागू करना चाहिए ताकि जोखिमों को कम किया जा सके और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस के अवसर पर ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस (GMA) ने 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स, 2024' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

भारतीय मैंग्रोव की भेद्यता:

- लक्षद्वीप द्वीपसमूह और तमिलनाडु के तट पर मैंग्रोव ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्र स्तर के कारण गंभीर रूप से खतरे में हैं।
- गुजरात से केरल तक पश्चिमी समुद्र तट भी झींगा जलीय कृषि और उष्णकटिबंधीय तूफानों जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक संवेदनशील है।

दक्षिण पूर्व एशिया का प्रभुत्व:

- रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया 49,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो वैश्विक मैंग्रोव कवर का 33.6% है। अकेले इंडोनेशिया में दुनिया के 21% मैंग्रोव स्थित हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र पश्चिम और मध्य अफ्रीका (22,802 वर्ग किमी), उत्तर और मध्य अमेरिका और कैरिबियन (21,270 वर्ग किमी), दक्षिण अमेरिका (19,469 वर्ग किमी), ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (10,348 वर्ग किमी) और दक्षिण एशिया (9,749 वर्ग किमी) शामिल हैं, जोकि वैश्विक मैंग्रोव का 6.6% है।

मानव गतिविधियों का प्रभाव:

- वर्ष 2000 और 2020 के बीच मैंग्रोव क्षेत्रों का 43% नुकसान जलीय कृषि, तेल ताड़ के बागानों और चावल की खेती के लिए परिवर्तित किए जाने से हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन, तलछट में बदलाव और समुद्र स्तर में वृद्धि ने भी इस गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिससे 1996 से 4,083 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है।

झींगा जलीय कृषि और इसके विनाशकारी प्रभाव:

- रिपोर्ट के अनुसार, झींगा जलीय कृषि मैंग्रोव के नुकसान का एक प्रमुख कारण है। 1980 के दशक से, इस उद्योग ने मैंग्रोव और पारंपरिक तटीय समुदायों को व्यापक नुकसान पहुँचाया है। केरल, पूर्वी भारत, इंडोनेशिया, पूर्वोत्तर ब्राजील और उत्तर-पश्चिमी मैक्सिको जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव जारी है, जहां यह उद्योग तेजी से फैल रहा है।
- औद्योगिक झींगा पालन ने विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मैंग्रोव क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। अधिकांश झींगा फार्म महत्वपूर्ण अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे मैंग्रोव पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं।

भारत की स्थिति और पहल:

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, भारत का मैंग्रोव कवर लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, जिसका अनुमान 2,114 वर्ग किलोमीटर है, इसके बाद गुजरात में 1,177 वर्ग किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में है। गुजरात में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कच्छ जिले में है, जो 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- मैंग्रोव कवर को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने जून 2023 में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्र तटों के साथ 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव लगाना है।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में:

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जोकि कठोर और खारे परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट दुनिया के मैंग्रोव की गंभीर स्थिति को उजागर करती है और तत्काल संरक्षण और बहाली के प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है। मैंग्रोव आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं और उनके नुकसान के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं।

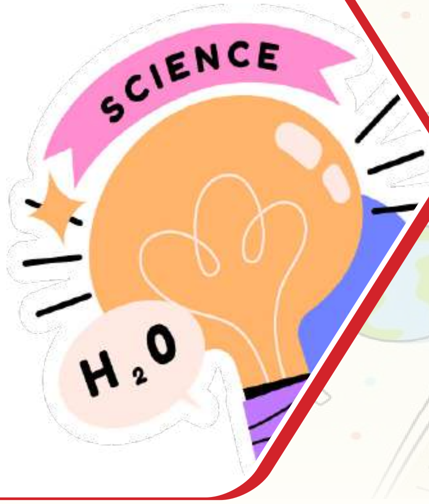

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बदलावः सुधार, नवाचार और भविष्य की संभावनाएं

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण और विभिन्न सुधारों की शुरुआत के साथ, भारत सरकार का लक्ष्य अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को उसके वर्तमान मूल्यांकन $8 बिलियन से बढ़ाकर, जो वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2 प्रतिशत है 2040 तक $100 बिलियन करना है। 2020 से, भारतीय स्टार्ट-अप्स ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने अपने उपग्रहों और उप-कक्षीय प्रक्षेपण वाहनों का सफल प्रक्षेपण किया है और इसरो परिसर में एक पोर्टेबल लॉन्चपैड और एक निजी मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना शामिल है।

निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के बावजूद, इसरो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की आधारशिला बना हुआ है। 2023 तक, इसरो ने 1990 के दशक से 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिनमें से 389 प्रक्षेपण 2014 से हुए हैं, जिससे विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से $174 मिलियन और यूरोपीय उपग्रह प्रक्षेपणों से £256 मिलियन की आय हुई है। साथ ही इसरो कई उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ-साथ चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गहरे अंतरिक्ष सहित मिशनों की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ इस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता है। इस दिशा में निजी क्षेत्र के नवाचारों को अपने व्यापक मिशन उद्देश्यों में समाहित करने के लिए, छोटे उप-प्रणालियों के विकास के लिए स्टार्ट-अप्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

इस संदर्भ में, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह उपलब्धि इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा एसएसएलवी विकास परियोजना के विकास का प्रतीक है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के साथ मिलकर अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए एसएसएलवी का उत्पादन करने की स्थिति में है।

प्रक्षेपण यान के बारे में:

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV):

- इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) तीन ठोस ईंधन चरणों के साथ संरचित एक त्रि-चरणीय प्रक्षेपण यान है। इसमें टर्मिनल चरण के रूप में एक लिक्विड प्रोपल्शन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) भी है, जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करते समय सटीक वेग समायोजन की अनुमति देता है।
- SSLV का प्राथमिक उद्देश्य कम लागत वाले लॉन्च वाहनों का उत्पादन करना है, जिनमें कम टर्नअराउंड समय और न्यूनतम बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता हो। SSLV 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है और कई उपग्रहों को समायोजित कर सकता है।
- SSLV की शुरुआत से पहले, छोटे पेलोड को अन्य लॉन्च वाहनों का उपयोग करके अंतरिक्ष में भेजा जाता था, जो मुख्य रूप से बड़े उपग्रहों को ले जाते थे। ये छोटे पेलोड बड़े उपग्रहों के लॉन्च शेड्यूल पर निर्भर थे, जिससे अक्सर देरी और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती थीं। उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं की बढ़ती संख्या के साथ, माध्यमिक पेलोड अवसरों पर निर्भर रहने की बाधाएँ और भी स्पष्ट हो गई हैं।
- SSLV को एकीकृत करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि अन्य लॉन्च वाहनों के लिए 70 दिन लगते हैं। इसके अतिरिक्त, इसे केवल छह लोगों की टीम द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि आमतौर पर 60 लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे समय और श्रम लागत दोनों में भारी कमी आती है। SSLV को ऑन-डिमांड वाहन के रूप में डिजाइन किया गया

है, जिसकी कुल लागत लगभग 30 करोड़ प्रति लॉन्च है। यह लागत-प्रभावशीलता, तेज एकीकरण और न्यूनतम स्टाफिंग आवश्यकताओं के साथ मिलकर SSLV को छोटे पेलोड को जल्दी और कुशलता से लॉन्च करने की चाह रखने वाले संगठनों के लिए एक गेम-चेंजर बनाता है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान:

- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यानों की तीसरी पीढ़ी है, जिसे पहली बार 1994 में पेश किया गया था। तब से, यह ISRO की प्रक्षेपण क्षमताओं का आधार बन गया है और अब तक 50 से अधिक सफल प्रक्षेपण कर चुका है।
- पृथ्वी की निचली कक्षाओं (2,000 किमी से कम ऊँचाई) में विभिन्न उपग्रहों को पहुंचाने में अपने निरंतर प्रदर्शन के कारण PSLV ने "ISRO का वर्कहॉर्स" उपनाम अर्जित किया है। PSLV-XL वैरिएंट लगभग 1,860 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।

भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान:

- PSLV के विपरीत, भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षाओं में संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, दूरसंचार उपग्रहों को आम तौर पर भूस्थिर पृथ्वी कक्षा (GEO) में रखा जाता है, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित एक गोलाकार कक्षा है।
- GSLV में अधिक पेलोड क्षमता होती है क्योंकि उपग्रहों को अधिक गहरे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इन मिशनों के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए, GSLV तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं, जो पहले के लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले इंजनों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। GSLV Mk-II 2,200 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जा सकता है, जबकि अधिक उन्नत GSLV Mk-III 4,000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है।

उपग्रहों और लॉन्च वाहनों की मांग:

- लॉन्च वाहनों को लॉन्च करने के लिए उपग्रहों की आवश्यकता होगी। भारी वाहन चंद्र अन्वेषण और अंतरिक्ष स्टेशन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं, जबकि छोटे उपग्रहों का उपयोग ISRO द्वारा प्रौद्योगिकी और क्षमता प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, बाद वाले केवल कुछ ही लॉन्च करेंगे। उपग्रहों का एक निर्धारित मिशन जीवन होता है और अंततः उन्हें पुराने होने पर बदलने की आवश्यकता होगी, जिससे लॉन्च वाहनों की निरंतर मांग पैदा होगी। हालाँकि, मिशन संचालक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के माध्यम से अपने उपग्रहों के जीवनकाल को बढ़ा रहे हैं, जिससे आवश्यक लॉन्च की संख्या और आवृत्ति का अनुमान लगाना जटिल हो जाता है।
- लॉन्च वाहनों में भी सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) एक ही लॉन्च में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, रॉकेट चरण पुनः प्रयोज्य हो रहे हैं, जिससे रॉकेट बनाने की लागत कम हो जाती है और लाभप्रदता बढ़ जाती है। ISRO अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल (RLV) और वर्टिकल लैंडिंग तकनीकों को पुनः प्रयोज्य रॉकेट चरणों को सक्षम करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। पुष्पक के तहत, ISRO ने 23 जून, 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज (ATR) में अपना तीसरा RLV लैंडिंग प्रयोग (LEX) पूरा किया। इसके अलावा, रॉकेट इंजन के लिए जहरीले ईंधन को हरित विकल्पों से बदलने के प्रयास चल रहे हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्र की गतिशीलता:

- भारत सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र ग्राहकों के बीच मांग पैदा करे, उपग्रह बनाए और लॉन्च करें तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएँ प्रदान करे। इसके अतिरिक्त, सरकार का लक्ष्य लॉन्च सेवाएँ प्रदान करके और कर्मचारियों को कौशल प्रदान करके राजस्व उत्पन्न करना है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नौकरियाँ पैदा होंगी। हालाँकि, निजी कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकार लॉन्च व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी के बजाय ग्राहक के रूप में कार्य करें। वे विश्वसनीय विनियमन और कानून के शासन की तलाश करती हैं, जिसमें सरकार एक 'एंकर ग्राहक' के रूप में कार्य करती है जो एक स्थिर राजस्व प्रदान करती है।
- यह समर्थन निजी कंपनियों के लिए उनके शुरुआती चरणों में विशेष रूप से मूल्यवान है, जिससे उन्हें बाजार में पैर जमाने में मदद मिलती है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आपूर्ति- संचालित मॉडल पर संचालित होता था, जहाँ इसरो पहले उपग्रह बनाता और लॉन्च करता था और फिर उनकी सेवाओं के लिए ग्राहकों की तलाश करता था। हालाँकि, 2019 और 2020 के बीच सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के बाद, यह

दृष्टिकोण मांग-संचालित मॉडल में बदल गया है। अब, उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण तभी किया जाता है जब उनकी सेवाओं की मौजूदा माँग हो। हालांकि, संभावित ग्राहकों को मांग उत्पन्न करने से पहले उपग्रह सेवाओं के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

- इस जागरूकता के बिना, इसरो द्वारा अपेक्षित बड़े पैमाने की मांग साकार नहीं हो सकती है। ग्राहक आधार में न केवल अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट के उपभोक्ता शामिल हैं, बल्कि कंपनियाँ, सरकारी संस्थान, रक्षा उद्यम और किसान और बैंकर जैसे सामान्य लोग भी शामिल हैं, जिससे शिक्षा का आवश्यक स्तर पर्याप्त हो जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान मांग का एक और संभावित क्षेत्र है। इसमें मानव-रेटेड लॉन्च वाहन शामिल हैं जो लोगों को कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही अंतरिक्ष स्टेशनों या चंद्रमा जैसे गंतव्यों तक भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। भविष्य की संभावनाओं में अंतरिक्ष पर्यटन की बढ़ती मांग भी शामिल हो सकती है।

निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए भारतीय नियामक: ढांचा

IN-SPACe:

- 16 मई 2020 को, 20 लाख करोड़ के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के चौथे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Center) का अनावरण किया। यह पहल निजी क्षेत्र को इसरो की परिसंपत्तियों, जैसे परीक्षण केंद्रों, प्रक्षेपण स्थलों, प्रौद्योगिकियों, और प्रक्षेपण वाहनों, का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसके तहत, एक अधिक उदार भू-स्थानिक डेटा नीति भी पेश की गई, जिससे ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा में निजी कंपनियों के लिए नए अवसर खुले।
- IN-SPACe एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है, जिसे निजी गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने, बढ़ावा देने और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह एजेंसी लॉन्च वाहनों के विकास, उपग्रह निर्माण, ISRO/DoS के बुनियादी ढांचे का साझा उपयोग और नई सुविधाओं की स्थापना जैसी गतिविधियों की देखरेख करती है। इसके अतिरिक्त, IN-SPACe अंतरिक्ष गतिविधियों का मूल्यांकन और प्राधिकरण करता है, स्टार्ट-अप्स के लिए तकनीकी ऊष्मायन (incubation) प्रदान करता है, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देता है और छात्र भागीदारी के साथ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन करता है।
- अपनी स्थापना के बाद से, IN-SPACe ने निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) के साथ उनकी अंतरिक्ष पहलों को समर्थन देने के लिए 45 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति:

- फरवरी 2021 में, भारत सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे निजी कंपनियों को कुछ अपवादों के साथ लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता के बिना सरकारी एजेंसियों से सभी भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रों तक पहुँचने में सक्षम बनाया गया। भू-स्थानिक डेटा पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं, घटनाओं या घटनाओं के बारे में जानकारी को संदर्भित करता है, जिसे अक्षांश और देशांतर निर्देशांक द्वारा पहचाना जाता है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्र ने 28 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति पेश की।
- यह नीति भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है, डेटा के लोकतंत्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है और स्थान की जानकारी के साथ सभी डिजिटल डेटा के एकीकरण को मजबूत करती है। यह भू-स्थानिक डेटा संग्रह में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उच्च-रिजॉल्यूशन, ज्यामितीय रूप से सही ऑर्थोइमेजरी बनाए रखने का काम सौंपा गया है। भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, आखिरकार एक विधायी ढांचा प्रदान करते हुए, केंद्र ने 20 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति शुरू की। यह नीति निम्नलिखित कार्यों की अनुमति देती है :
  - » स्व-स्वामित्व वाले, खरीदे गए या पट्टे पर दिए गए उपग्रहों के माध्यम से संचार, इंटरनेट सेवाएँ, रिमोट सेंसिंग, और नेविगेशन सेवाएँ प्रदान करना।
  - » टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (TT-C) जैसे अंतरिक्ष संचालन के लिए जमीनी सुविधाएँ संचालित करना।
  - » संचार उपग्रहों की स्थापना के लिए भारतीय या गैर-भारतीय कक्षीय संसाधनों का उपयोग करना।
  - » इन परिवहनों के पुनः प्रयोज्य, पुनर्प्राप्त करने योग्य, और पुनः कॉन्फिगर करने योग्य संस्करणों सहित लॉन्च वाहनों और शटल जैसे अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों का निर्माण और संचालन करना।
  - » किसी क्षुद्रग्रह या अंतरिक्ष संसाधन की व्यावसायिक पुनर्प्राप्ति करना।

संशोधित FDI नीति:

- 21 फरवरी 2024 को, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया। संशोधित नीति के तहत:
  - » उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।
  - » प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष बंदरगाहों, और संबंधित प्रणालियों में 49% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।
  - » उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों, और उपयोगकर्ता खंडों के लिए घटकों और उप-प्रणालियों के निर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

आगे की राह:

- भारत के मौजूदा लॉन्च वाहनों को चंद्रयान 4 जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों को अंजाम देने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, चीन के चांग'ई 4 और चांग'ई 5 मिशनों को लॉन्ग मार्च 5 वाहन का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत के LVM-3 की तुलना में काफी अधिक पेलोड क्षमता है। विशेष रूप से, LVM-3 में लॉन्ग मार्च 5 की क्षमता का केवल 28% है, जिससे चंद्रयान 4 के सभी घटकों को तैनात करने के लिए दो LVM-3 लॉन्च की आवश्यकता है।
- इसरो ने LVM-3 को सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के साथ अपग्रेड करने की योजना बनाई है, जिससे इसकी पेलोड क्षमता जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक छह टन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसरो ने एक नए लॉन्च वाहन के विकास का प्रस्ताव दिया है, जिसे नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) कहा जाता है, जिसे प्रोजेक्ट सोर्य के नाम से भी जाना जाता है।
- इस वाहन का लक्ष्य GTO तक 10 टन ले जाना है, लेकिन परियोजना अभी भी फंडिंग प्रस्ताव चरण में है। NGLV के भविष्य के वेरिएंट से इसकी लिफ्ट क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके समानांतर, भारत छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां वह अधिक विश्वसनीयता चाहता है। छोटे, अक्सर प्रायोगिक और विश्वविद्यालय-निर्मित उपग्रहों को लॉन्च करने में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) की सफल उड़ान महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सफलता अंतरिक्ष कंपनियों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, उन्हें बड़े उपग्रह बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और अंततः अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहनों की मांग को बढ़ा सकती है।
- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र ने हाल ही में गति प्राप्त की है, खासकर केंद्र द्वारा उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने के बाद। इस नीतिगत बदलाव ने निजी कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है, जो अब विदेशी कंपनियों और निवेशकों से अधिक फंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। 1969 में ISRO की स्थापना के बाद से, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों के साथ-साथ गोदरेज एयरोस्पेस, अनंत टेक्नोलॉजीज और लार्सन एंड टुब्रो जैसी निजी कंपनियों ने ISRO के लिए रॉकेट, उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संक्षिप्त मुद्दे

34 नए विशालकाय रेडियो स्रोत की पहचान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलविदों की एक टीम ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) द्वारा संचालित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) का उपयोग करके 34 नए विशालकाय रेडियो स्रोत (GRS) की पहचान की है।

विशालकाय रेडियो स्रोत क्या हैं?

- विशालकाय रेडियो स्रोत (GRS) वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे बड़ी एकल संरचना हैं, जो लाखों प्रकाश-वर्षों तक फैले हुए होते हैं। इनका केंद्र एक अतिविशालकाय ब्लैक होल होता है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 10 मिलियन से 1 बिलियन गुना तक हो सकता है। यह ब्लैक होल विशाल रेडियो उत्सर्जन को प्रेरित करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **सबसे बड़े ढांचे:** GRS ब्रह्मांड में ज्ञात बड़ी एकल संरचना हैं।
- **अतिविशालकाय ब्लैक होल:** GRS के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है।
- **केंद्रीय इंजन:** ब्लैक होल विद्युतचुंबकीय बल को प्रेरित करता है, जिससे पदार्थ बाहर की ओर फैलता है।
- **विकास का अंतिम चरण:** GRS रेडियो गैलेक्सी के विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विशालकाय रेडियो स्रोतों का महत्व:

- **गैलेक्सी विकास:** यह समझना कि कैसे गैलेक्सियों में अरबों वर्षों में बदलाव और विकास होता है, जिसमें अतिविशालकाय ब्लैक होल की भूमिका शामिल होती है।
- **अतिविशालकाय ब्लैक होल का विकास:** यह जानने में मदद करता है कि कैसे ब्लैक होल विकसित होते हैं और अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं।
- **रेडियो गैलेक्सी निर्माण:** इससे यह पता चल सकता है कि रेडियो गैलेक्सी कैसे बनती हैं और उनका आकार कैसे बनता है, जिसमें ब्लैक होल और उनके वातावरण के बीच का संबंध शामिल है।
- **ब्लैक होल-होस्ट गैलेक्सी अंतःक्रियाएं:** इससे पता चलता

है कि कैसे अतिविशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सियों को प्रभावित करते हैं, जैसे सितारों का निर्माण, गैस की गतिकी और गैलेक्सी की आकृति।

- **कॉस्मिक प्लाज्मा भौतिकी:** इसमें आयनीकृत गैसों (प्लाज्मा) के व्यवहार का बड़े पैमाने पर अध्ययन शामिल है, जिसमें कणों का त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, और तरंगें शामिल हैं।

गैलेक्सी और ब्लैक होल के बारे में:

- एक गैलेक्सी एक विशालकाय प्रणाली होती है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधी होती है, जिसमें सैकड़ों अरबों से लेकर खरबों सितारे होते हैं, साथ ही श्वेत बौने, न्यूट्रॉन सितारे, और ब्लैक होल जैसे सितारकीय अवशेष होते हैं। इसमें इंटरस्टेलर गैस, धूल, और अदृश्य, बिना चमक वाले डार्क मैटर भी शामिल होते हैं। गैलेक्सियों का आकार और प्रकार विविध होता है, जिसमें स्पाइरल गैलेक्सी (जैसे मिल्की वे), अंडाकार गैलेक्सी (जैसे M87), अनियमित गैलेक्सी (जैसे IC 1101), और छोटे, मद्धम बौने गैलेक्सी शामिल हैं। इन्हें प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस और धूल के गुरुत्वाकर्षण पतन से उत्पन्न होने का माना जाता है।
- ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच नहीं सकता। ये विशालकाय सितारों के पतन, सुपरनोवा विस्फोट, या न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के विलय से बनते हैं।
- **ब्लैक होल तीन प्रकार के होते हैं:**
  - **तारकीय ब्लैक होल:** ये सितारों के पतन से बनते हैं।
  - **अतिविशालकाय ब्लैक होल:** ये गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं।
  - **मध्य-आकार वाले ब्लैक होल:** ये तारकीय और अतिविशालकाय ब्लैक होल के बीच होते हैं।
- गैलेक्सियों के विपरीत, जो विशालकाय और विभिन्न तत्वों से युक्त होती हैं, ब्लैक होल छोटे, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं जो स्पेसटाइम को विकृत करते हैं और निकटवर्ती पदार्थ को प्रभावित करते हैं।

जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में:

- जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) एक प्रमुख रेडियो खगोलशास्त्र सुविधा है जो पुणे के पास खोडाड गांव में स्थित है। इसे नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) द्वारा संचालित किया जाता है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का हिस्सा है।

ऑस्मोलाइट्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के नेतृत्व में एक शोध दल ने सहसंयोजक चुंबकीय चिमटी नामक तकनीक का उपयोग करके प्रोटीन स्थिरता पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। इस विधि ने उन्हें यह देखने की अनुमति दी कि अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग प्रोटीन अणु कैसे मुड़ते और खुलते हैं और ऑस्मोलाइट्स के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं।

ऑस्मोलाइट्स क्या हैं?

- ऑस्मोलाइट्स कम आणविक भार वाले कार्बनिक अणु होते हैं जो रोग संबंधी स्थितियों के दौरान उच्च सांद्रता में ऊतकों में जमा हो जाते हैं। वे छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन को स्थिर करके और गलत मोड़ने को रोककर तनाव से बचने में कोशिकाओं की सहायता करते हैं।
- प्रोटीन को प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी उचित संरचना और कार्य को बनाए रखने में मदद करके, वे सेलुलर तनाव प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गलत मुड़ने वाले प्रोटीन अपने कार्यों को सही ढंग से करने में असमर्थ होते हैं, जिससे बीमारियाँ हो सकती हैं।
- ऑस्मोलाइट्स प्रोटीन स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे वे नई दवा विकास के लिए आशाजनक कार्बनिक अणु बन जाते हैं।

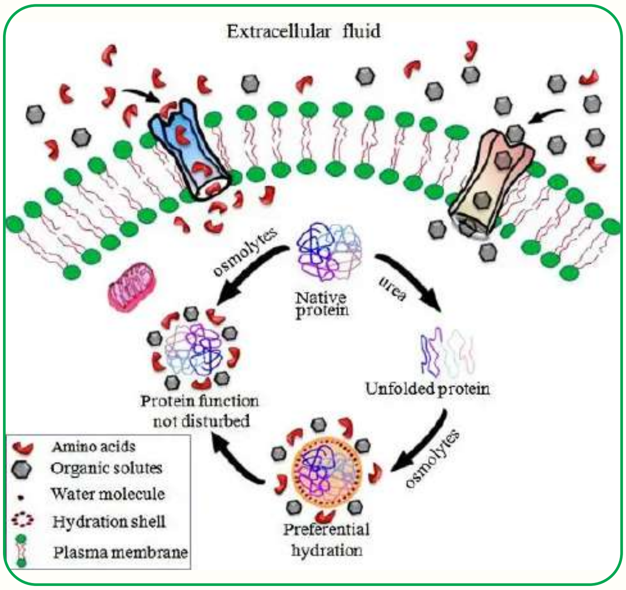

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन इस बात की जानकारी देता है कि ऑस्मोलाइट्स प्रोटीन स्थिरता कैसे बनाए रख सकते हैं, जो प्रोटीन-मिसफोल्डिंग रोगों के लिए उपचार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रोटीन एल और ऑस्मोलाइट इंटरैक्शन:** शोधकर्ताओं ने प्रोटीन एल नामक प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित किया और दो ऑस्मोलाइट्स (ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड (TMAO) और ट्रेहलोस) के साथ इसकी बातचीत की जांच की।

- **ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड TMAO:** कम सांद्रता (1M तक) पर, TMAO का प्रोटीन L के अनफोल्डिंग बल पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। उच्च सांद्रता (1.5M) पर, TMAO ने प्रोटीन L की ताकत को काफी हद तक बढ़ा दिया, जिससे यह अनफोल्डिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो गया। इससे पता चलता है कि TMAO प्रोटीन L की मुड़ी हुई अवस्था के साथ अंत:क्रिया करता है, जिससे यह स्थिर रहता है।
- TMAO के उच्च स्तर हृदय रोगों से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रोटीन के साथ इसकी अंत:क्रिया को समझने से बेहतर उपचार हो सकते हैं।
- **ट्रेहलोस:** प्रोटीन L की अनफोल्ड की गई अवस्था को स्थिर किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न ऑस्मोलाइट्स प्रोटीन की स्थिरता पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकते हैं।

पार्किंसंस रोग के बारे में:

- पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के कार्यों को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ पार्किंसंस विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है, आमतौर पर इसके लक्षण 60 वर्ष की उम्र के आसपास शुरू होते हैं।
- शोध से पता चलता है कि पुरुषों में आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पार्किंसंस होने की संभावना अधिक होती है।
- यह स्थिति सब्सटेंशिया निग्रा में तंत्रिका कोशिकाओं के पतन से उत्पन्न होती है, यह मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो गति को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष:

ये निष्कर्ष प्रोटीन मिसफोल्डिंग से जुड़ी बीमारियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस शोध से प्राप्त अंतर्दृष्टि न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थितियों के प्रबंधन और उपचार के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियों की ओर ले जा सकती है, जिससे अंतत: रोगी के परिणामों में सुधार हो सकता है।

ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ भारत की नई उम्मीद: BPaL प्रारूप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत बहु-औषधि प्रतिरोधी तपेदिक (MDR-TB) और व्यापक औषधि प्रतिरोधी तपेदिक (XDR-TB) के रोगियों के उपचार के लिए बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, और लाइनजोलिड (BPaL) प्रारूप को लॉन्च करेगा।

तपेदिक (टीबी) के बारे में:

- टीबी एक वायुजनित, संक्रामक बीमारी है जो मायकोबैक्टीरियम तपेदिक नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी तब फैलती है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है। उच्च जोखिम वाले समूहों, जैसे एचआईवी, कुपोषण, या मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों में इसका प्रसार अधिक होता है।

ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी:

- ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी तब होती है जब बैक्टीरिया कम से कम एक एंटी-टीबी दवा के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। MDR-TB में आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के प्रति प्रतिरोध होता है। XDR-TB एक अधिक गंभीर रूप है, जिसमें कई दवाओं के प्रति प्रतिरोध होता है, जिससे उपचार जटिल और महंगा हो जाता है।

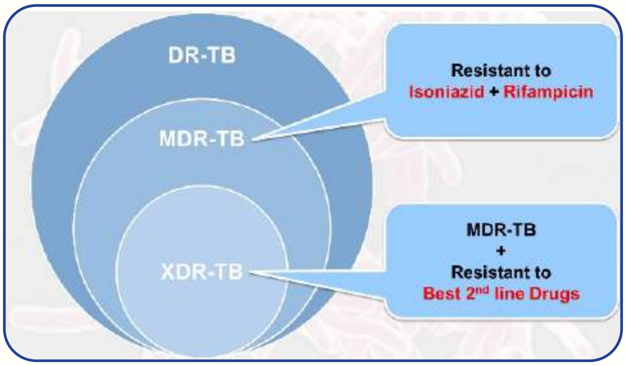

भारत में टीबी:

- भारत दुनिया के 27% टीबी मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिससे यह टीबी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। देश ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जोकि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के लक्ष्य से पहले है। WHO के अनुसार, हर दिन दुनिया भर में 3,500 लोग टीबी से मर जाते हैं, जबकि 30,000 नए संक्रमण होते हैं।

BPaL प्रारूप का महत्व:

- BPaL प्रारूप की शुरुआत टीबी उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। पहले, MDR-TB और XDR-TB रोगियों को 18 से 24 महीने की लंबी उपचार अवधि और प्रतिदिन 14 विभिन्न दवाओं का सेवन करना पड़ता था।
- BPaL प्रारूप उपचार अवधि को लगभग छह महीने तक कम कर सकता है, जिसमें केवल तीन गोलियों का दैनिक सेवन करना पड़ता है, जिससे रोगियों के लिए उपचार प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है।

वैश्विक और राष्ट्रीय पहल:

- WHO ने 2022 में BPaL और BPaLM (मोक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ BPaL) प्रारूपों को ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी के लिए प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में अनुशंसित किया। ये प्रारूप न केवल छोटे और कम बोझिल हैं, बल्कि अधिक किफायती भी हैं।
- भारत का राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) टीबी के

खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो प्रारंभिक निदान, मुफ्त उपचार और रोगियों के लिए पोषण समर्थन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आगे की राह:

इन प्रगति के बावजूद, ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी, जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को टीके के परीक्षणों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तेजी से निदान के लिए तकनीक का लाभ उठाना चाहिए और टीबी के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों को संबोधित करना चाहिए।

माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोब्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी है कि माइक्रोवेव विकिरण बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकता है। इसके विपरीत, अध्ययन ने दर्शाया है कि माइक्रोवेव ओवन में विविध और जीवंत माइक्रोबियल समुदायों का अस्तित्व होता है।

अध्ययन के बारे में:

- यह अध्ययन फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है 'द माइक्रोवेव बैक्टीरियोम: बायोडाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड लेबोरेटरी माइक्रोवेव ओवन्स।' इस अध्ययन ने सामान्य रसोई उपकरणों में माइक्रोबियल गतिशीलता पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं।
- शोध टीम ने विभिन्न सेटिंग्स में 30 माइक्रोवेव ओवन का अध्ययन किया, जिसमें घर, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ और साझा स्थान जैसे ऑफिस कैफेटेरिया शामिल थे। उन्होंने माइक्रोबियल जीवन का विश्लेषण करने के लिए तकनीकों और डीएनए अनुक्रमण का उपयोग किया।

मुख्य निष्कर्ष:

- **माइक्रोबियल विविधता:** अध्ययन ने नमूना लिए गए माइक्रोवेव ओवन में 747 विभिन्न बैक्टीरिया की पहचान की। प्रमुख जनराओं में बैसिलस, माइक्रोकॉकस और स्टैफिलोकोकस जेनेरा शामिल हैं, जो आमतौर पर मानव त्वचा और अक्सर छुए जाने वाली सतहों पर पाए जाते हैं।
- **स्वास्थ्य प्रभाव:** इन माइक्रोब्स की उपस्थिति पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन घरेलू माइक्रोवेव ओवन में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया, जैसे क्लेबसिएला और ब्रेवुंडिमोनस, संभावित स्वास्थ्य जोखिम से जुड़े हुए हैं। यदि ये बैक्टीरिया बड़ी संख्या में फैल जाएँ, तो ये खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- **प्रयोगशाला बनाम घरेलू माइक्रोवेव:** प्रयोगशाला सेटिंग्स में माइक्रोवेव्स ने सबसे अधिक माइक्रोबियल विविधता प्रदर्शित की, जिसमें एक्सट्रीमोफाइल्स शामिल थे जो उच्च विकिरण और तापमान जैसी चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। इसके विपरीत, घरेलू और साझा उपयोग वाले माइक्रोवेव्स में मानव त्वचा के बैक्टीरिया अधिक पाए गए थे।
- **स्वच्छता प्रथाओं पर प्रभाव:** ये निष्कर्ष इस विश्वास को चुनौती देते हैं कि माइक्रोवेव्स स्वाभाविक रूप से स्वच्छ या अन्य रसोई सतहों की तुलना में अधिक स्वच्छ होते हैं। नए दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सभी रसोई उपकरणों पर कठोर स्वच्छता प्रथाओं की आवश्यकता है।

माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में:

- माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनमें शामिल हैं:
  - बैक्टीरिया
  - वायरस
  - फंगी
  - प्रोटोजोआ
  - शैवाल
  - आर्किया
- जो माइक्रोब्स चरम परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। ये जीव पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूपों में से एक माने जाते हैं, जो चरम पर्यावरणीय स्थितियों में उत्पन्न हुए और फिर अधिक मध्यम पारिस्थितिक तंत्रों में फैल गए। इनकी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और पनपने की क्षमता उनके विकासात्मक अनुकूलन को दर्शाती है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन माइक्रोवेव ओवन के माइक्रोबियल पारिस्थितिकी को समझने में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करता है और माइक्रोबियल संदूषण को रोकने के लिए उचित स्वच्छता प्रथाओं के महत्व को उजागर करता है। जैसे-जैसे आधुनिक रसोई विकसित होती जा रही है, सभी उपकरणों में स्वच्छता मानकों को बनाए रखना अनिवार्य होगा।

सौर चक्र भविष्यवाणी की नई विधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (IIA) ने एक नयी विधि का प्रयोग करते हुए सौर चक्रों की तीव्रता की भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की है। यह विधि कोडाइकनाल सौर वेधशाला के एक सदी पुराने सौर डेटा का उपयोग करके सौर गतिविधि को समझने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस विधि से अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।

अनुसंधान पद्धति के बारे में:

- यह शोध 100 वर्षों के सौर डेटा का उपयोग करके सूर्य की

सतह पर सुपरग्रैन्यूलर कोशिकाओं की चौड़ाई को सौर न्यूनतम (सौर चक्र का न्यून होना) के दौरान मापता है। इस जानकारी का उपयोग अगली सौर अधिकतम (सौर अधिकतम सौर चक्र का चरम है) के दौरान सूर्य धब्बों की संख्या की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

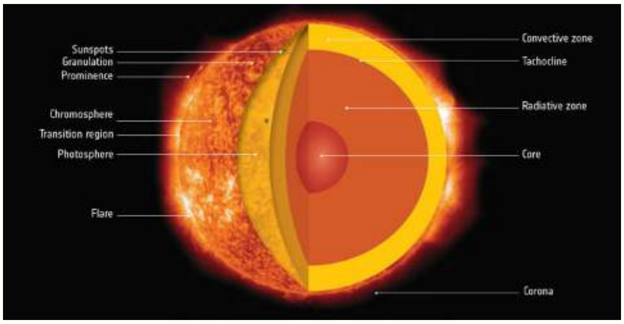

- सुपरग्रैन्यूलर कोशिकाएँ सूर्य की सतह पर बड़ी, गतिशील संरचनाएँ होती हैं जोकि सौर गतिविधि को प्रभावित करती हैं। शोधकर्ताओं ने 393.3 nm तरंगदैर्ध्य के कैल्शियम आयन से सौर क्रोमोस्फेरिक छवियों का विश्लेषण किया और पाया कि इन कोशिकाओं की चौड़ाई और अगली सौर चक्र के शिखर के दौरान सूर्य धब्बों की संख्या के बीच एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है।

वर्गीकरण	विवरण
स्पेस वेदर	• **घटक:** सौर पवन, कोरोना मास इजेक्शन्स (CMEs), और सौर ज्वाला। • **प्रभाव:** पृथ्वी की मैग्नेटोस्फीयर को संकुचित करना, जियोमैग्नेटिक तूफानों को प्रेरित करना, संचार और बिजली संचरण को प्रभावित करना, अंतरिक्ष यान की इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुँचाना और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरे में डालना।
सौर चक्र	• **परिभाषा:** सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का चक्र, लगभग हर 11 वर्षों में। • **सौर अधिकतम:** सबसे उच्च सौर गतिविधि की अवधि; बड़ी संख्या में सूर्य धब्बे। • **सौर न्यूनतम:** सबसे कम सौर गतिविधि की अवधि; सूर्य धब्बों और सौर ज्वाला गतिविधि में कमी।
सूर्य धब्बे	• **उपस्थिति:** सूर्य की सतह पर अंधेरे क्षेत्र, जिनका तापमान कम होती है। • **कारण:** मजबूत मैग्नेटिक फील्ड वाले क्षेत्रों में बनते हैं। • **चक्र:** अधिकांश सूर्य धब्बे समूहों में दिखाई देते हैं जिनके अपने मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ध्रुवता हर 11 साल के सौर चक्र में बदलती है।
सौर ज्वाला	• **वर्णन:** सूर्य धब्बों के पास उलझे हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का अचानक विस्फोट। • **प्रभाव:** रेडियो संचार में हस्तक्षेप करने वाली विकिरण का उत्सर्जन। • **संबंध:** अक्सर कोरोना मास इजेक्शन्स (CMEs) के साथ होते हैं।
कोरोना मास इजेक्शन्स (CMEs)	• **वर्णन:** सूर्य से विकिरण और कणों के विशाल बुलबुले जो मैग्नेटिक फील्ड पुनर्गठन के कारण उच्च गति से अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं। • **प्रभाव:** चार्ज किए हुए कण ऑरोरास बना सकते हैं, और मजबूत CMEs बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं, जिससे कटौती और रुकावटें हो सकती हैं। • **शक्ति:** सौर प्रणाली में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक।

खोज की महत्वता:

- यह उन्नति अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता में सुधार कर सकती है, जोकि आधुनिक तकनीक पर सौर गतिविधि के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे समाज उपग्रह प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है, सौर मौसम पूर्वानुमान की महत्वता बढ़ती जा रही है। IIA की खोज से सौर चक्र की भविष्यवाणी की सटीकता में सुधार और अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों की पूर्वानुमान की क्षमता को बढ़ाती है। यह शोध भारत की खगोलभौतिकी अनुसंधान में बढ़ती भूमिका को उजागर करता है।

मंकीपॉक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंकीपॉक्स (Mpox) को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (PHEIC) घोषित किया है। यह घोषणा विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

(DRC) और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में मंकीपॉक्स के मामलों में तेज वृद्धि के बाद की गई है।

मुख्य बिंदु:

- **भौगोलिक प्रसार:** 2024 में मंकीपॉक्स 10 अफ्रीकी देशों में पाया गया है, जिसमें 96% से अधिक मामले DRC में रिपोर्ट किए गए हैं। वायरस का अफ्रीका से बाहर फैलाव एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है।
- **नया वायरस स्ट्रेन:** मंकीपॉक्स का एक नया स्ट्रेन, क्लेड 1इ, उभर कर सामने आया है और मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैल रहा है। एक और स्ट्रेन, क्लेड Ia, बच्चों में विभिन्न प्रसारण तरीकों से फैल रहा है और इसे उच्च जोखिम वाला माना जा रहा है।
- **PHEIC स्थिति:** यह दूसरी बार है जब मंकीपॉक्स को दो वर्षों में वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया है। PHEIC अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR, 2005) के तहत उच्चतम चेतावनी स्तर है, जो इस बात का संकेत देती है कि यह बीमारी वैश्विक स्तर पर फैलने की क्षमता रखती है।

मंकीपॉक्स की जानकारी:

- **कारण:** मंकीपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। इस वायरस के दो क्लेड होते हैं: क्लेड I और क्लेड II।
- **लक्षण:** इस बीमारी में 2-4 हफ्तों तक चलने वाले त्वचा पर चकत्ते या म्यूकोसल घाव होते हैं, जो आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान और सूजे हुए लिम्फ नोड्स के साथ होते हैं।
- **प्रसारण:** मंकीपॉक्स संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क से फैलता है।
- **रोकथाम:** संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचना और टीकाकरण महत्वपूर्ण है।
- **उपचार:** एंटीवायरल जैसे कि टेकॉविरिमैट का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है

मंकीपॉक्स (Mpox) और कोविड-19 में अंतर:

गंभीरता:

- **कोविड-19:** SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है, कोविड-19 गंभीर और घातक हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हो। इसने वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की जान ली है।
- **मंकीपॉक्स:** कोविड-19 की तुलना में आमतौर पर कम घातक होता है। हालांकि मंकीपॉक्स गंभीर हो सकता है, खासकर प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता करने वाले व्यक्तियों में, लेकिन इसकी मृत्यु दर कम है।

प्रसारण:

- **कोविड-19:** मुख्य रूप से श्वसन के माध्यम से फैलता है, जो इसे भीड़भाड़ और इनडोर सेटिंग्स में अत्यधिक संक्रामक बनाता है।
- **मंकीपॉक्स:** संक्रमित व्यक्तियों, सामग्री या जानवरों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह कोविड-19 की तुलना में कम संक्रामक है।

लक्षण:

- **कोविड-19:** लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, थकान और स्वाद या गंध की कमी आदि शामिल हैं।
- **मंकीपॉक्स:** लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजे हुए लिम्फ नोड्स, और त्वचा पर फफोलों वाले चकत्ते शामिल हैं, जो मुख्य रूप से चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष:

WHO द्वारा मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में घोषित करने से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। यह स्थिति वैश्विक समस्या न बने, इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी देश मिलकर मंकीपॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए काम करें।

वैक्सीन जनित पोलियो

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के दो वर्षीय बच्चे में पोलियो के मामले की पुष्टि हुई है। इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 2011 में रिपोर्ट किए गए अंतिम मामले के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा भारत को पोलियो-मुक्त घोषित किया गया था।

वैक्सीन जनित पोलियो क्या है?

- पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) पोलियोवायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के सेवन से से फैलता है। यह रोग लकवा का कारण बन सकता है।
- पोलियो के लक्षणों में थकान, बुखार, सिरदर्द, उल्टी, दस्त या कब्ज, गले में खराश, गर्दन में अकड़न, हाथ और पैरों में दर्द या झुनझुनी, गंभीर सिरदर्द और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता (फोटोफोबिया) शामिल हैं। पोलियोवायरस के तीन प्रकार होते हैं:
  - जंगली पोलियोवायरस प्रकार 1 (WPV1)
  - जंगली पोलियोवायरस प्रकार 2 (WPV2)
  - जंगली पोलियोवायरस प्रकार 3 (WPV3)
- इन सभी प्रकारों के लक्षण समान होते हैं। ऐतिहासिक रूप से, पोलियो के अधिकांश मामले जंगली पोलियोवायरस के कारण होते थे। वर्ष 1988 में शुरू की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल का उद्देश्य सभी प्रकारों के पोलियोवायरस के खिलाफ समान रूप से टीकाकरण करना था।
- हालांकि भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, किन्तु जंगली पोलियोवायरस के मामले अभी भी होते हैं। हाल ही में पडोसी देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल 12 मामले सामने आए हैं। जंगली पोलियोवायरस के मामलों में कमी आई है, लेकिन वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो के मामले बढ़े हैं।

पोलियो वैक्सीन के प्रकार:

ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV):

- भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसमें पोलियोवायरस का कमजोर रूप होता है, जो रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। इसे मौखिक रूप से, आमतौर पर बूंदों के रूप में दिया जाता है और बड़े टीकाकरण अभियानों जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) में प्रयोग किया जाता है।

निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV):

- इसमें पोलियोवायरस का निष्क्रिय संस्करण होता है। इसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है और यह भारत के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, अक्सर अन्य टीकों के साथ संयोजन में दिया जाता है।

भारत में टीकाकरण:

- भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) और निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आसानी के कारण OPV को प्राथमिकता दी जाती है।
- OPV वायरस का कमजोर रूप इस्तेमाल करता है, जो बीमारी का कारण नहीं बनता है, फिर भी यह प्रतिकृति बना सकता है।
- OPV का एक दुर्लभ दुष्प्रभाव वैक्सीन-संबंधी पक्षाघातकारी पोलियोमाइलाइटिस (VAPP) है, इसकी IPV के साथ होने की संभावना नहीं है।
- ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) प्राप्त करने के बाद, वैक्सीन वायरस मल में निकल जाता है, जो संभावित रूप से दूसरों में फैल सकता है और वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो का कारण बन सकता है।
- समय के साथ, यह वायरस उत्परिवर्तित हो सकता है और प्रसारित हो सकता है, जिससे संभावित रूप से कम प्रतिरक्षा वाले समुदायों में पक्षाघात हो सकता है।
- अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, 2023 में 32 देशों में 524 पोलियो के मामले वैक्सीन जनित पोलियोवायरस से जुड़े थे।

निष्कर्ष:

मेघालय में वैक्सीन जनित पोलियो का हालिया मामला पोलियो-मुक्त देशों में भी पोलियो उन्मूलन की चुनौतियों को उजागर करता है। जबकि वैक्सीनेशन जंगली पोलियोवायरस के मामलों को कम करने में प्रभावी रही है, ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) के कारण वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो का एक दुर्लभ जोखिम होता है, विशेषकर कम प्रतिरक्षा वाले समुदायों में। इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि पोलियो के पुनरुत्थान को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर उच्च टीकाकरण कवरेज, सावधान निगरानी और जन जागरूकता बनाए रखना आवश्यक है।

परवोवायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) ने परवोवायरस B19 के मामलों में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसे आमतौर पर 'फिफ्थ डिजीज' के रूप में जाना जाता है।

परवोवायरस B19 के बारे में:

- परवोवायरस B19 मुख्य रूप से मनुष्यों को संक्रमित करता है और विशेष रूप से यह बच्चों में फिफ्थ डिजीज (पांचवीं बीमारी) पैदा करने के लिए जाना जाता है। यह अस्थि मज्जा में कुछ कोशिकाओं को लक्षित करता है, जिससे विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों में एनीमिया हो सकता है।
- वायरस मुख्य रूप से श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, लेकिन यह रक्त के माध्यम से भी फैल सकता है। 'हालाँकि अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन होते हैं, कुछ मामलों में विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।'
- परवोवायरस B19 एक मौसमी वायरस है, जो वर्ष के कुछ समय में अधिक सक्रिय होता है।
- संक्रमित व्यक्ति हमेशा लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वायरस को दूसरों तक फैला सकते हैं। CDC ने हाल ही में इस वायरस में असामान्य वृद्धि देखी है, हालाँकि आमतौर पर इस वायरस की बारीकी से निगरानी नहीं की जाती है।

लक्षण:

- परवोवायरस B19 संक्रमण शुरू में फ्लू जैसे लक्षणों के साथ होता है, जिसमें मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल है। कुछ दिनों के बाद, अधिक विशिष्ट लक्षण विकसित हो सकते हैं:
  - चेहरे पर लाल चकत्ते जो थप्पड़ मारे गए गालों की तरह दिखते हैं।
  - जोड़ों में दर्द और सूजन।
  - शरीर के अन्य हिस्सों पर चकत्ते।

उपचार:

- परवोवायरस B19 को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। उपचार बुखार और दर्द जैसे लक्षणों से राहत देने पर केंद्रित है।
- अधिकांश लोग गंभीर समस्याओं के बिना ठीक हो जाते हैं। हालांकि, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या कुछ रक्त विकारों वाले लोगों को एनीमिया जैसी अधिक गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

संक्रामकता और उपचार:

- 'गर्भवती महिलाओं के लिए इस वायरस का विशेष रूप से जोखिम होता है। संक्रमण की स्थिति में, गर्भपात सहित जटिलताओं का 5-10% तक का जोखिम हो सकता है, क्योंकि यह वायरस माँ से भ्रूण में भी फैल सकता है।
- वायरस संक्रमण के शुरुआती चरणों में, जब दाने दिखाई नहीं देते, तब यह सबसे अधिक संक्रामक होता है। दाने दिखाई देने के बाद संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है।
- चूंकि परवोवायरस B19 के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, संयुक्त राज्य रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) नियमित हाथ धोने, मास्क पहनने और अन्य सामान्य स्वच्छता उपायों का पालन करने की सलाह देता है ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

फिफ्थ डिजीज के बारे में:

- फिफ्थ डिजीज, जिसे ऐतिहासिक रूप से बच्चों में होने वाले पांचवे दाने के रूप में जाना जाता है। यह गालों पर लाल दाने के रूप में प्रकट होता है। सामान्यत: यह हल्का होता है और एक से तीन सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि, कुछ रक्त विकारों वाले लोगों में यह एनीमिया का कारण बन सकता है, और गंभीर मामलों में, चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष:

परवोवायरस B19 मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि ने जागरूकता और निवारक उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है। हालांकि संक्रमण सामान्यत: हल्का होता है, यह गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या रक्त विकारों वाले लोगों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

किंडलिन्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक नए अध्ययन ने कैंसर में किंडलिन्स के प्रभाव की जांच की है। किंडलिन्स कशेरुकी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद एडाप्टर प्रोटीन होते हैं जो कई सिग्नलिंग मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रोटीनों को लक्षित करके नए कैंसर उपचार विकसित किए जा सकते हैं जो बीमारी के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संबोधित कर सकते हैं।

महतवपूर्ण बिंदु:

- कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के शोधकर्ताओं ने कैंसर जीनोम एटलस से प्राप्त 33 कैंसर प्रकारों वाले 10,000 रोगियों के डेटा का विश्लेषण किया, ताकि यह समझा जा सके कि किंडलिन्स सामान्य कोशिकाओं को कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में बदलने में कैसे योगदान करते हैं।

किंडलिन्स क्या हैं?

- किंडलिन्स कोशिकाओं के अंदर स्थित एडाप्टर प्रोटीन हैं, जो कशेरुकियों में लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियों से जुड़े होते हैं।
- ये प्रोटीन बाहरी कोशिकीय यांत्रिक संकेतों को जैव रासायनिक संकेतों में अनुवाद करने का कार्य करते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन, रिसेप्टर्स, और प्रतिलेखन कारकों के साथ शारीरिक रूप से अंत-क्रिया करके बाहरी संकेतों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह अंत:क्रिया कोशिका के भीतर रासायनिक संकेतों को ट्रिगर करती है। इन प्रोटीनों में कोई भी संरचनात्मक व्यवधान मैकेनोकेमिकल सिग्नलिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जो संभावित रूप से शरीर की संतुलित स्थिति को बिगाड़ सकता है, जिसे होमियोस्टेसिस के रूप में जाना जाता है, अत: यह जीवित रहने और उचित कामकाज के लिए आवश्यक है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- **किंडलिन 1 और प्रतिरक्षा वातावरण:** अध्ययन में पाया गया कि किंडलिन 1 स्तन कैंसर में प्रतिरक्षा सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि किंडलिन 1 प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित करके कैंसर की प्रगति में भूमिका निभा सकता है।
- **किंडलिन 2 और चयापचय प्रक्रियाएं:** किंडलिन 2 टीसीए चक्र और ग्लाइकोलाइसिस जैसी कैंसर-विशिष्ट चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कैंसर कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।
- **मैकेनोसेंसिटिव सिग्नलिंग:** किंडलिन प्रोटीन मैकेनोसेंसिटिव सिग्नलिंग में भाग लेते हैं, जो कोशिका की गतिशीलता और

आक्रमण क्षमता को प्रभावित करता है। किंडलिन 2 को विशेष रूप से सिग्नलिंग के विनियमन में महत्वपूर्ण माना गया है, जो कैंसर कोशिका प्रवास और ऊतक आक्रमण को प्रभावित करता है।

- **अध्ययन का महत्व:** इस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि किंडलिन्स ट्यूमर और उनके सूक्ष्म वातावरण के बीच जटिल अंत:क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, किंडलिन को अभिनव कैंसर उपचारों के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।
- **भविष्य की दिशा:** शोधकर्ताओं का लक्ष्य सभी किंडलिन परिवार के सदस्यों की सामूहिक भूमिकाओं को समझना है, ताकि यह पता चल सके कि ये प्रोटीन कैंसर कोशिका व्यवहार, ट्यूमर प्रगति और चिकित्सा के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे कीमोरेसिस्टेंस और ट्यूमर रिलैप्स की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई चिकित्सीय रणनीतियों का विकास संभव हो सकता है।
- इस अध्ययन से कैंसर अनुसंधान में एक नई दिशा मिल सकती है और इसके परिणामस्वरूप कैंसर के इलाज के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं।

सायनाइड सेंसर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक सायनाइड सेंसर विकसित करके रासायनिक संवेदन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

मुख्य विशेषताएं:

- शोध टीम ने अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक सायनाइड सेंसर के विकास के साथ रासायनिक संवेदन में एक सफलता हासिल की है। यह सेंसर कम सांद्रता में विषैले सायनाइड का पता लगाने में सक्षम है, जो पीने के पानी और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा को बढ़ाने का वादा करता है।
- विकसित किया गया नया सेंसर एक ऐसी सामग्री है जो उच्च संवेदनशीलता और चयनात्मकता दोनों प्रदान करती है। यह सामग्री सायनाइड के प्रति प्रतिक्रिया में रंग बदलती है, घुलने पर यह नंगी आँखों को पीली दिखाई देती है लेकिन सायनाइड का पता लगाने पर रंगहीन हो जाती है। यह दृश्य संकेत सायनाइड का पता लगाना आसान बनाता है, जिससे इसकी उपस्थिति को पहचानना सरल हो जाता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंसर अन्य आयनों के हस्तक्षेप के बिना चुनिंदा रूप से सायनाइड का पता लगाता है, जिससे विभिन्न परीक्षण वातावरणों में सटीकता सुनिश्चित होती है।
- टीम ने टैपिओका अर्क में सायनाइड का पता लगाकर इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जहाँ सेंसर का रंग पीले से नीले-हरे रंग में बदल जाता है। उन्होंने गुणात्मक पहचान के लिए एक पट्टी भी विकसित की जो सायनाइड के संपर्क में आने पर रंग बदलती है, यह क्षेत्र परीक्षण के लिए एक सरल उपकरण प्रदान करती है।

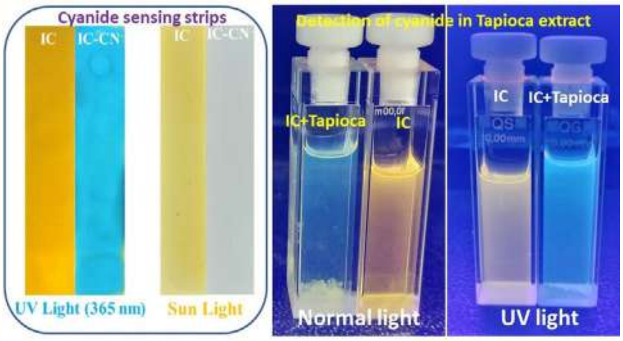

सायनाइड और इसके जोखिम:

- साइनाइड विभिन्न पौधों, फलों और सूक्ष्मजीवों में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली विष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पीने योग्य पानी में इसकी उपस्थिति के लिए कड़े दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जो मनुष्यों और जलीय जीवन पर इसके घातक प्रभावों के कारण सांद्रता को 0.19 उह/स से कम तक सीमित करता है।
- कसावा (टैपिओका), सेब और खुबानी के बीज, अंकुरित आलू और बादाम जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से सायनाइड का संपर्क हो सकता है।
- यह जोखिम उन क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है जहाँ सायनाइड युक्त खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से उपयोग में हैं।

प्रासंगिकता और प्रभाव:

- यह नवाचार हाल ही में हुई साइनाइड विषाक्तता की घटनाओं को देखते हुए विशेष रूप से उपयोगी है। 2 जनवरी, 2024 को, पशुपालन विभाग ने टैपिओका के छिलके खाने से सायनाइड विषाक्तता के कारण इडुक्की जिले में 13 गायों की मौत की सूचना दी। यह घटना सायनाइड पहचान विधियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है, खासकर केरल जैसे राज्यों में जहाँ टैपिओका आहार का एक मुख्य हिस्सा है।
- जबकि टैपिओका जैसे खाद्य पदार्थों में सायनोजेनिक ग्लाइकोसाइड स्वाभाविक रूप से विषाक्त नहीं होते हैं, वे लार में एंजाइमों के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ सकते हैं, जिससे संभावित रूप से घातक परिणाम हो सकते हैं।
- यह नवाचार कम सांद्रता में विषाक्त सायनाइड का प्रभावी ढंग से पता लगाकर पीने के पानी और खाद्य उत्पादों में सुरक्षा बढ़ाने का दावा करता है। यह सेंसर सायनाइड से संबंधित मौतों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

केंद्रीय बजट 2024: समावेशी विकास के लिए एक रणनीतिक खाका

वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट, राजकोषीय प्रबंधन उपकरण और सीमित संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह बजट समग्र मांग के विभिन्न घटकों-उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को प्रभावित करता है। अपने तत्काल राजकोषीय प्रभावों से परे, बजट अपने उपायों के माध्यम से सार्वजनिक नीति को भी आकार देता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों का समर्थन करता है। इस बजट का उद्देश्य खर्च में वृद्धि, रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग को कर राहत प्रदान करके समावेशी विकास हासिल करना है। यह 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था। बजट में मुख्य बदलावों में उच्च प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), पूंजीगत लाभ कर में कमी और एंजल टैक्स को हटाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बजट में आयकर स्लैब में संशोधन किया गया है, मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाई गई है और रेलवे फंडिंग के लिए रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई है।

बजट 2024 की नौ प्राथमिकताएँ:

कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को बढ़ाना:

- 77 से अधिक वर्षों से, भारत की अर्थव्यवस्था विकास और उपभोग के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर रही है। 2024 का बजट इस क्षेत्र में प्रभावी, जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- भारत का बढ़ता तापमान और बढ़ती गर्मी कृषि के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती है, जिससे फसल की पैदावार और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, गंगा-सिंधु के मैदान, जो वैश्विक गेहूं उत्पादन का 14-15% हिस्सा हैं, गर्मी के तनाव के कारण 2050 तक उपज में 50% की कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न से चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की गुणवत्ता कम होने का खतरा है।
- यह देखते हुए कि छोटे किसान, जो अक्सर सीमित सिंचाई वाले छोटे भूखंडों पर काम करते हैं, भारतीय कृषि में सर्वाधिक हैं, वह इस खतरे के मुख्य भुगतभोगी हो सकते है। इसके अभिनव समाधानों में पर्याप्त निवेश, मिट्टी और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार, जोखिम मूल्यांकन और पूर्वानुमान को बढ़ाना तथा पर्यावरण और कीट-संबंधी खतरों से निपटने के लिए तंत्र विकसित करना शामिल है।
- **बजट आवंटन:** इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि लचीलापन बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित पहल प्रस्तावित की गई हैं:
  - **जलवायु प्रतिरोधी फसलें:** 32 फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  - **किसान समर्थन:** बजट राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का समर्थन करता है, तिलहन और सब्जियों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखता है, एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है और कृषि के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करने का लक्ष्य रखता है।
  - **अनुसंधान और विकास:** कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार किसानों की खेती के लिए 32 खेत और बागवानी

फसलों की 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-प्रतिरोधी किस्में जारी करने की योजना बना रही है।

» **प्राकृतिक खेतीः** अगले दो वर्षों में, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों से परिचित कराया जाएगा, जिन्हें प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा।

» **जैव-इनपुट संसाधन केंद्रः** 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

» **दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरताः** सरकार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी।

» **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** राज्यों के साथ साझेदारी में, किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए तीन वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) लागू किया जाएगा।

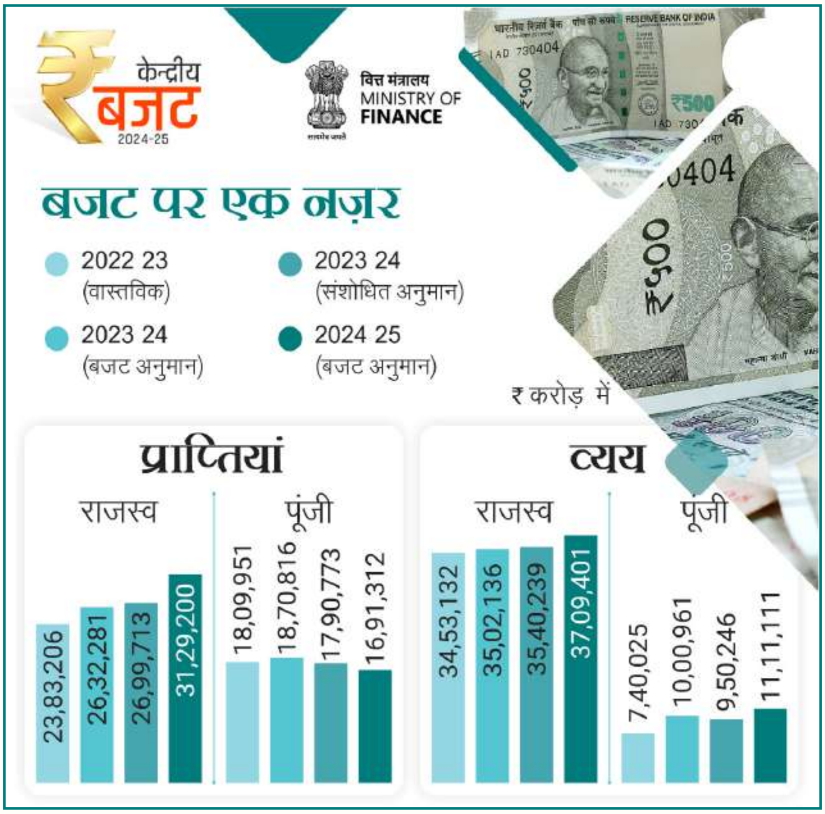

रोजगार और कौशल प्रशिक्षणः

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत के जनसांख्यिकीय लाभ पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें औसत आयु 28 वर्ष है, इसमें कई युवा भारतीय कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। सुधारों के बावजूद, वर्तमान में केवल 51% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, जो 2017-18 में 34% था। यह सुधार सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास पहलों का परिणाम है। हालांकि, व्यावसायिक प्रशिक्षण अभी भी समाज में एक नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करता है और इसे अक्सर अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। बजट में कुछ प्रमुख पहलों की घोषणा की गई है जैसेः

- **इंटर्नशिप सहायताः** सरकार भारत की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक करोड़ स्नातकों को प्रति माह 5,000 प्रदान करेगी। कंपनियों के सीएसआर फंड प्रशिक्षण खर्चों को कवर करेंगे। इस पहल का उद्देश्य कौशल को आकर्षक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना है, उद्योग की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना और भारत को कौशल और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद करना है।
- **रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनः** प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत तीन योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो ईपीएफओ नामांकन, पहली बार कर्मचारियों को मान्यता देने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
- **महिला कार्यबल भागीदारीः** महिला कार्यबल भागीदारी का समर्थन करने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के छात्रावास और क्रेच स्थापित किए जाएंगे।
- **कौशल कार्यक्रमः** नई केंद्र प्रायोजित योजना पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी।
- कौशल विकास संस्थानों (आईटीआई) को बढ़ावा दिया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकारी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्यायः

- **संतृप्ति दृष्टिकोणः** शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों का समर्थन करने वाली योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया।

- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:** यह पहल 63,000 गांवों हेतु व्यापक कवरेज कर उन तक पहुँचने और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभान्वित करके आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करेगी।
- **बैंकिंग विस्तार:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी।
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचे के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पूर्वी राज्यों का विकास

- **पूर्वोदय:** बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित पूर्वी क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गया,बिहार में एक औद्योगिक नोड अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ विकसित किया जाएगा।

विनिर्माण और सेवाएँ:

2024-2025 के केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और श्रम-गहन विनिर्माण क्षेत्र के लिए समर्थन का एक मजबूत पैकेज शामिल है। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, एमएसएमई ने वित्त वर्ष 22 में भारत के विनिर्माण उत्पादन में 35. 4% का योगदान दिया और वित्त वर्ष 24 में उनके उत्पादों का निर्यात 45.7% रहा। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **एमएसएमई प्रोत्साहन:** श्रम-प्रधान विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि 100 करोड़ तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इन-हाउस क्रेडिट मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। एक नया तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि एमएसएमई को तनाव की अवधि के दौरान ऋण तक पहुँच प्राप्त हो।
- **मुद्रा ऋण:** सफल पुनर्भुगतान इतिहास वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से दोगुनी होकर 20 लाख हो जाएगी।
- **खाद्य वितरण और परीक्षण:** 50 बहु-उत्पाद खाद्य वितरण इकाइयों और 100 राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)-मान्यता प्राप्त खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
- **इंटर्नशिप के अवसर:** एक व्यापक योजना अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी।

शहरी विकास:

- **आवास आवंटन:** प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण और शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घरों का निर्माण।
- **शहरी आवास:** पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास को 10 लाख करोड़ के निवेश से पूरा किया जाएगा, जिसमें पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है।
- **जल आपूर्ति और स्वच्छता:** राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ सहयोग से 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
- **पीएम स्वनिधि:** इसके अंतर्गत अगले पांच वर्षों में चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करेगी।

ऊर्जा सुरक्षा:

- केंद्रीय बजट 2024-25 में ऊर्जा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जिसके लिए अनुमानित 68,769 करोड़ आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष के 94,915 करोड़ से कम है। बजट में अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को मजबूत करने और 'पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता' के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति विकसित करने पर जोर दिया गया है। पंप स्टोरेज, परमाणु और तापीय संयंत्रों में निवेश सहित कई प्रमुख पहलों की घोषणा की गई है।
- एक उल्लेखनीय फोकस परमाणु ऊर्जा का विकास है, विशेष रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रूप में, जिसे सरकार 'विकसित भारत' के लिए ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की योजना बना रही है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 170 गीगावॉट है, जिसमें विस्तार की काफी संभावना है। हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जैसे आयातित वस्तुओं पर निर्भरता और अक्षय ऊर्जा की आंतरायिक प्रकृति। ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
  - **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। इसमें पहले ही 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण और 14 लाख आवेदन आ चुके हैं।
  - **परमाणु ऊर्जा:** परमाणु ऊर्जा से भारत के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो विकसित भारत के विजन में योगदान देगा।

बुनियादी ढाँचा:

- 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण ने बुनियादी ढाँचा हेतु उच्च निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन आवंटन में वृद्धि करते हुए कहा गया कि निजी क्षेत्र के वित्तपोषण और नए स्रोतों से संसाधन जुटाना इस क्षेत्र को तत्काल आवश्यकता है। बजट निजी निवेश के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं, साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र में

सक्षम नीतियों और विनियमों को लाने का वादा भी किया गया हैं।

» **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।

» **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** चरण IV के अंतर्गत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

» **सिंचाई और बाढ़ शमन:** बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में सिंचाई और बाढ़ शमन परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

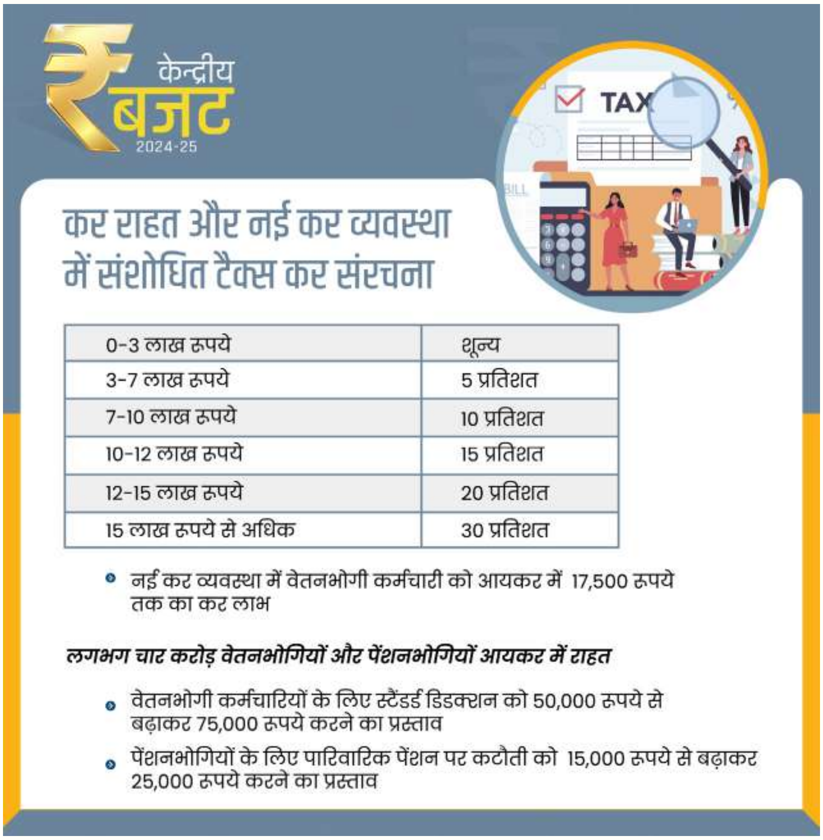

औद्योगिक विकास:

- 2024-25 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह नए औद्योगिक पार्कों के विकास की घोषणा की। ये पार्क पूर्ण बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे, और 100 शहरों में या उसके आस-पास 'प्लग-एंड-प्ले' पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय बुनियादी ढांचा पहल है जिसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित करना है, जिसमें उन्नत तकनीकों को एकीकृत किया गया है। सबसे पुराने गलियारों में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा शामिल हैं, जो भारत के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ हैं।

» **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा:** इस गलियारे का एक औद्योगिक नोड गया में विकसित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आर्थिक विकास के साथ मिलाकर 'विकास भी विरासत भी' (विरासत के साथ विकास) के मॉडल को मूर्त रूप दिया जाएगा।

- **सड़क संपर्क परियोजनाएँ:** पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे तथा बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त 2-लेन पुल सहित कई सड़क परियोजनाएँ इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएँगी।

नवाचार, अनुसंधान और विकास:

- दीर्घकालिक लाभों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश महत्वपूर्ण है, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने से 2040 तक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए वार्षिक लागत में $3 ट्रिलियन की बचत हो सकती है।
- भारत पहले से ही मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल्स का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और जेनेरिक दवा निर्माण का उसका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। हालाँकि, देश नयी दवा खोजने के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इन्वेस्ट इंडिया, 2023 के अनुसार, अनुसंधान और विकास में निवेश में वृद्धि भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने में मदद कर सकती है।

» **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष:** यह कोष 1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पूल के साथ बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करेगा।

- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:** अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

अगली पीढ़ी के सुधार:

केंद्रीय बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार करना और बाजार दक्षता को बढ़ाना है। इन

सुधारों का मार्गदर्शन करने के लिए, सरकार एक आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करेगी, जो भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और शहरी और ग्रामीण भूमि को प्रभावी ढंग से मैप करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य पहलों में शामिल हैं:

- **आर्थिक नीति ढाँचा:** सरकार रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक ढाँचा बनाएगी।
- **श्रम सुधार:** ई-श्रम पोर्टल को अन्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना और श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का पुनरुद्धार करना। श्रम प्रबंधन के लिए अनुपालन को सुव्यवस्थित करेगा।
- **जलवायु वित्त:** जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिए पूंजी उपलब्धता में सुधार करने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक नया वर्गीकरण विकसित किया जाएगा।
- **एफडीआई और विदेशी निवेश:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने और विदेशी निवेश में भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों को सरल बनाया जाएगा।
- **एनपीएस वात्सल्य:** यह पहल बच्चों के लिए बचत योजना और पेंशन फंड स्कीम के रूप में कार्य करेगी। इसके अंतर्गत नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की अनुमति देती है, जिसे बाद में नाबालिग के वयस्क होने पर नियमित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **नई पेंशन योजना (एनपीएस):** एक समीक्षा समिति राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करते हुए एनपीएस से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने पर काम कर रही है।

केंद्रीय बजट 2024-25 समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी रणनीति का प्रतीक है। हाशिए पर पड़े समूहों पर ध्यान केंद्रित करके और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके, बजट का उद्देश्य अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इन पहलों की प्रभावशीलता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे-जैसे ये कार्यक्रम लागू होते हैं, उनकी प्रगति और प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना और समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करना महत्वपूर्ण होगा।

आर्थिक संक्षिप्त मुद्दे

RBI के नए लिक्विडिटी नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित कठोर लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (LCR) का विनियमन अस्थायी रूप से ऋण विस्तार को रोक सकता हैं और बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) को कम कर सकते हैं।

RBI द्वारा शुरू किए गए प्रमुख परिवर्तन:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए नए और कठोर तरलता कवरेज अनुपात (LCR) दिशानिर्देश पेश किए हैं। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के लचीलापन को बढ़ाना है, ताकि संभावित बैंक रन की स्थिति में, विशेषकर तेजी से डिजिटल जमा निकासी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
- तरलता कवरेज अनुपात (LCR) में RBI के ड्राफ्ट परिवर्तन, उच्च-गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) की अधिकतम सीमा को संदर्भित करते हैं, जिन्हें बैंकों को अल्पकालिक देनदारियों का भुगतान करने के लिए रखना चाहिए।
- **उच्च तरलता कवरेज अनुपात (LCR) आवश्यकता:** बैंकों को 30-दिवसीय तनाव को कवर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों जैसी अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) रखनी चाहिए।
- **बढ़ा हुआ रन-ऑफ फैक्टर:** इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग (IMB) के माध्यम से किए गए जमा को अब कम स्थिर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब यह है कि बैंकों को यह मान लेना चाहिए कि इन जमाओं का एक बड़ा हिस्सा अचानक वापस लिया जा सकता है।
- **परिसंपत्तियों पर सख्त कटौती:** तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की गणना करते समय बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों पर अधिक सख्त मूल्यांकन का सामना करना पड़ेगा।

बैंकों पर प्रभाव:

- RBI का यह कदम डिजिटल बैंकिंग पर बढ़ती निर्भरता और तेजी से जमा निकासी के बढ़ते जोखिम की प्रतिक्रिया है। हालांकि इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा करना है, लेकिन इसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर अनपेक्षित परिणाम भी हो सकता है।
- ये उपाय बैंकों को अधिक तरल संपत्ति रखने के लिए मजबूर

करेंगे, जिससे उधार देने के लिए उपलब्ध धन में संभावित रूप से कमी आएगी। इससे ऋण वृद्धि में अल्पकालिक मंदी और शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) में गिरावट हो सकती है। निजी क्षेत्र के बैंकों के अपने व्यवसाय मॉडल के कारण अधिक प्रभावित होने की उम्मीद है।

- अप्रैल 2025 में प्रभावी होने वाले ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब बैंक पहले से ही ऋण-से-जमा अनुपात में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं।
- नए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) का अनुपालन करने के लिए, बैंकों को अधिक जमा आकर्षित करने, उधार कम करने या अपने फंडिंग मिश्रण को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि सख्त मानदंडों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की लचीलापन बढ़ाना है, लेकिन वे निकट भविष्य में बैंकों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) क्या है?

- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल III सुधारों के तहत पेश किए गए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के तहत बैंकों को तनावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के शुद्ध नगदी का प्रवाह को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) रखने की आवश्यकता होती है।
- 1 जनवरी, 2019 से बैंकों को न्यूनतम 100% तरलता कवरेज अनुपात (LCR) बनाए रखने का आदेश दिया गया है। एलसीआर एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है, जो बैंकों को एक बफर प्रदान करता है जो वित्तीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है।

उच्च–गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA):

- HQLA ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन्हें तुरंत बेचा जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, और उन्हें उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इन परिसंपत्तियों में नकदी, अल्पकालिक बांड और अन्य नकद समतुल्य, साथ ही अतिरिक्त वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) परिसंपत्तियां, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं। एलसीआर एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है, जो बैंकों को एक बफर प्रदान करता है जोकि वित्तीय संकटों के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष:

आरबीआई के कदम का उद्देश्य संभावित संकटों के खिलाफ बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करना है, लेकिन इससे ऋण उपलब्धता और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। एलसीआर दिशानिर्देश बैंकों को शाखा बैंकिंग पर वापस ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें अधिक अस्थायी जमा करने योग्य धन जुटाने और बैलेंस शीट पर अधिक तरलता रखकर उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियों का हिस्सा बढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे।

बॉयलर विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं और श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बॉयलर विधेयक, 2024 को 6 अगस्त, 2024 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1923 के पुराने बॉयलर अधिनियम को निरस्त करके नए समय की आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है।

विधेयक के मुख्य बिंदु:

- **अपराधों का गैर-अपराधीकरण:** बॉयलर विधेयक, 2024 में 7 में से 3 अपराधों को अपराधमुक्त कर दिया गया है, जिससे गैर-आपराधिक अपराधों का त्वरित निवारण हो सकेगा। इन अपराधों के लिए दंड की बजाय आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम से न केवल व्यापारिक सुगमता में वृद्धि होगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं पर भार भी कम होगा। विधेयक में चार ऐसे अपराधों में आपराधिक दंड बनाए रखा गया है, जो जान-माल के नुकसान का कारण बन सकते हैं।
- **श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता:** विधेयक में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बॉयलर की मरम्मत और निरीक्षण से जुड़े विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि मरम्मत का कार्य केवल योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाए, जिससे कामकाजी स्थानों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
- **विस्तृत नियम एवं विनियम:** बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को स्पष्ट बनाने के लिए उन्हें पुनः व्यवस्थित किया गया है और नए अध्यायों में विभाजित किया गया है। विधेयक को छह स्पष्ट अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में समान नियमों को एक साथ समूहीकृत किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय बॉयलर बोर्ड की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- बॉयलर अधिनियम, 1923 एक संविधान-पूर्व अधिनियम था, जिसका उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा था। समय के साथ, इसके कई प्रावधान अप्रचलित हो गए थे। वर्ष 2007 में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी समग्र समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, विशेषकर जब भारत सरकार ने संविधान-पूर्व अधिनियमों की उपयुक्तता और प्रासंगिकता की समीक्षा शुरू की।

विधेयक का उद्देश्य:

- बॉयलरों के निर्माण, संचालन और उपयोग को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए बॉयलर विधेयक, 2024 का उद्देश्य व्यापक विनियमन सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य बॉयलरों से

जुड़े विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- विधेयक के तहत, अपंजीकृत और अप्रमाणित बॉयलरों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे औद्योगिक दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। साथ ही, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी घटना की त्वरित जांच और निवारण हो सके।

निष्कर्ष:

बॉयलर विधेयक, 2024 न केवल पुराने कानूनों को आधुनिक दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास है, बल्कि यह भारत में व्यापारिक माहौल को सुधारने और श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह विधेयक भारत सरकार के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत का प्रतिबिंब है, जो एक सदी पुराने कानून को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।

प्रमुख खनिजों तथा एल्युमीनियम के उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए प्रमुख खनिजों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि की रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल किए गए रिकॉर्ड उत्पादन स्तरों का अनुसरण करती है।

खनिज उत्पादन की मुख्य बातें:

लौहधातु क्षेत्र:

- वित्त वर्ष 2023-24 में, लौह अयस्क का उत्पादन कुल 275 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) था। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के दौरान, उत्पादन 72 MMT था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में बढ़कर 79 डडज हो गया, जो 9.7% की वृद्धि को दर्शाता है।
- चूना पत्थर के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादन 450 MMT तक पहुँच गया। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में उत्पादन 114 एमएमटी था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में थोड़ा बढ़कर 116 एमएमटी हो गया, जो 1.8% की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 0.9 एमएमटी था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में बढ़कर 1.0 एमएमटी हो गया, जो 11% की वृद्धि दर्शाता है।

अलौह धातु क्षेत्र:

- वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन 10.28 लाख टन (एलटी) था। यह वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में बढ़कर 10.43 एलटी हो गया, जो 1.2% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रमुख खनिजों में भारत की स्थिति और उत्पादन रुझान:

- भारत, वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योगों में मजबूत मांग को दर्शाती है।
- एल्युमीनियम उत्पादन में वृद्धि ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, निर्माण, मोटर वाहन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गतिविधि को इंगित करता है। यह एक पुनर्चक्रणीय पर्यावरण-अनुकूल धातु है, जिसके कई विविध क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं जिनमें बिजली, परिवहन, भवन, निर्माण, पैकेजिंग और कई अन्य शामिल हैं।
- एल्युमीनियम के बढ़ते अनुप्रयोग, बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएँ और पुनर्चक्रणीय सामग्रियों के अधिक उपयोग की ओर बढ़ना एल्युमीनियम बाजार में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। एल्युमीनियम उद्योग में अयस्क (बॉक्साइट) के निष्कर्षण के साथ-साथ धातु का प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण शामिल है।

निष्कर्ष:

भारत के प्रचुर खनिज संसाधन, जिनमें लौह और अलौह दोनों धातुएँ शामिल हैं, यह भारत के आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय भूमिका में हैं। देश की विविध भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ इसकी समृद्ध खनिज संपदा को प्रकट करती हैं, जो अर्थव्यवस्था में खनिजों की आवश्यक भूमिका को उजागर करती हैं। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन संसाधनों का प्रभावी और टिकाऊ प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने नए उपाय प्रस्तावित किए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचकांक डेरिवेटिव्स सेगमेंट में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के उद्देश्य से कुछ नए उपाय प्रस्तावित किए हैं। यह कदम विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा वायदा और विकल्प (F&O) सेगमेंट में व्यापार में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रति बढ़ती चिंताओं के जवाब में उठाया गया है। प्रस्तावित उपायों का मुख्य उद्देश्य निवेशक संरक्षण को बढ़ाना और डेरिवेटिव्स बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

डेरिवेटिव्स के बारे में:

- डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध होते हैं, जिनका मूल्यांकन किसी अंतर्निहित संपत्ति जैसे कि स्टॉक, वस्त्र, या मुद्राओं पर निर्भर

करती है। इसलिए, सूचकांक डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन भी किसी अंतर्निहित सूचकांक पर आधारित होती है। डेरिवेटिव्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं: फ्यूचर्स और ऑप्शंस।

» **फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स:** ये खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर पहले से तय मूल्य पर अंतर्निहित संपत्ति खरीदने का दायित्व देते हैं।
» **ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स:** ये निवेशक को एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक विशिष्ट तिथि पर अंतर्निहित संपत्तियों का व्यापार करने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह कोई बाध्यता नहीं होती।

सेबी (SEBI) द्वारा प्रस्तावित उपाय:

- **न्यूनतम अनुबंध आकार:** SEBI ने सूचकांक डेरिवेटिव्स के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार 15 लाख से 20 लाख तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह आकार छह महीने बाद 20 लाख से 30 लाख के बीच बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में, डेरिवेटिव्स अनुबंध के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार 5 लाख से 10 लाख के बीच है।
- **पोजीशन लिमिट की इंट्राडे निगरानी:** SEBI ने सुझाव दिया है कि सूचकांक डेरिवेटिव्स अनुबंधों के लिए पोजीशन लिमिट्स को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन्स (MIIs) जैसे कि क्लीयरिंग कॉरपोरेशन्स या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर मॉनिटर किया जाना चाहिए, जिसमें लघु अवधि के समाधान और पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक योजना हो।
- **साप्ताहिक सूचकांक उत्पादों का युक्तिकरण:** SEBI ने एकल बेंचमार्क सूचकांक पर साप्ताहिक ऑप्शंस अनुबंधों की पेशकश का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न साप्ताहिक समाप्तियों के बीच सट्टा धन के प्रवाह को कम करना है।
- **समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड लाभ की समाप्ति:** SEBI ने प्रस्ताव दिया है कि समाप्ति के दिन समाप्त होने वाले अनुबंधों के लिए कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन पर मार्जिन लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- **ऑप्शंस स्ट्राइक की युक्तिकरण:** SEBI ने सुझाव दिया है कि स्ट्राइक अंतराल को मौजूदा सूचकांक मूल्य के निकट 4% तक समान रखा जाए और जैसे-जैसे स्ट्राइक मौजूदा मूल्य से आगे बढ़ते हैं, अंतराल बढ़ते जाएं। इसके अलावा, SEBI ने एक सूचकांक डेरिवेटिव्स अनुबंध के लॉन्च के समय अधिकतम 50 स्ट्राइक की सीमा प्रस्तावित की है।
- **अनुबंध समाप्ति के निकट मार्जिन में वृद्धि:** SEBI ने समाप्ति के दिन और उसके पहले दिन पर मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि समाप्ति के निकट ऑप्शंस अनुबंधों में उच्च अंतर्निहित मुद्दे को संबोधित किया जा सके।

निष्कर्ष:

लगभग 92.5 लाख व्यक्तियों और प्रोप्राइटरशिप फर्मों ने एनएसई सूचकांक डेरिवेटिव्स सेगमेंट में व्यापार किया, जिसमें कुल मिलाकर 51,689 करोड़ का व्यापारिक घाटा हुआ। केवल 15% निवेशकों ने शुद्ध लाभ कमाया, जिससे सट्टेबाजी के साथ जुड़े जोखिमों का खुलासा होता है। इन उपायों को लागू करके, SEBI अत्यधिक सट्टेबाज गतिविधि को रोकने और एक अधिक स्थिर और निवेशक- अनुकूल डेरिवेटिव्स बाजार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।

भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात: एक समग्र दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में भारत के समुद्री उत्पादों का कुल उत्पादन और निर्यात लगातार वृद्धि कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- **समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि:** सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 61,043.68 करोड़ हो गया है, जोकि 30.81% की वृद्धि दर्शाता है।
- **समुद्री निर्यात की निगरानी और वृद्धि:** भारत सरकार निर्यात संवर्धन निकायों और विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से समुद्री उत्पादों सहित निर्यात प्रदर्शन की नियमित निगरानी और समीक्षा करती है। 2024-25 के लिए 7.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बजटीय उपाय:** बजट 2024-25 में, सरकार ने झींगा फीड के साथ-साथ मछली फीड के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री और इनपुट पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की:
  » **मछली लिपिड तेल और एल्गल प्राइम (आटा):** 15% से शून्य
  » **क्रिल भोजन और खनिज एवं विटामिन प्रीमिक्स:** 5% से शून्य
  » **कच्चा मछली तेल:** 30% से शून्य
  » **झींगा और मछली फीड:** 15% से 5%
  » **प्री-डस्ट ब्रेडेड पाउडर:** 30% से शून्य
- इन कटौतियों से भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

RoDTEP के माध्यम से बढ़ा समर्थन:

- सरकार ने विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) को 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया है और प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य सीमा 69 कर दी है। यह समायोजन इन उत्पादों के निर्यात को और बढ़ावा देगा।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का समर्थन:

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) मूल्य संवर्धन के लिए बुनियादी ढाँचा सुविधाओं के उन्नयन, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे का विकास और मूल्य शृंखला को मजबूत किया जा रहा है।

कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, 2020-21 से 1,283. 47 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का आधुनिकीकरण और कटाई के बाद परिवहन सुविधाओं की स्थापना शामिल है।

निष्कर्ष:

समुद्री खाद्य निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तटीय और ग्रामीण समुदायों में लाखों नौकरियों का समर्थन करता है, विदेशी मुद्रा आय और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करता है, और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। आयात शुल्क में रणनीतिक कटौती और बुनियादी ढांचे में सुधार से इस क्षेत्र के विकास को समर्थन मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता दोनों में वृद्धि होगी।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। यह विधेयक भारत में बैंकिंग नियमों के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का उद्देश्य रखता है और बैंकिंग संचालन, शासन, और नियामक अनुपालन में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधनों को शामिल करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **नॉमिनी की संख्या में वृद्धि:** विधेयक प्रत्येक बैंक खाते के लिए नॉमिनी की संख्या को वर्तमान सीमा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव करता है। इससे खाता धारकों के लिए प्रक्रिया सरल होगी और अधिक लचीलापन मिलेगा।
- **किसी कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी:** बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, किसी कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी का मतलब पांच लाख रुपये से अधिक के शेयर या कंपनी की चुकता पूंजी का 10% (जो भी कम हो) रखना होता है। यह किसी व्यक्ति, उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से धारण किया जा सकता है। विधेयक इस सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के तहत, केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इस राशि को बदल सकती है, जिससे आधुनिक वित्तीय वास्तविकताओं के साथ मेल खाने और कॉर्पोरेट शासन में सुधार हो सके।
- **नियामक रिपोर्टिंग तिथियाँ:** विधेयक बैंकों की नियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को बदलने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान में रिपोर्टिंग दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती है, जबकि संशोधित अनुसूची 15वीं और प्रत्येक माह के अंतिम दिन होगी। यह बदलाव रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और नियामक दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है।
- **कानूनी ऑडिटर का वेतन निर्धारण:** विधेयक बैंकों को कानूनी ऑडिटरों के वेतन का निर्धारण करने में अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव करता है। यह बदलाव ऑडिटर के मुआवजे में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
- **मौजूदा कानूनों में संशोधन:** विधेयक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है:
  - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
  - बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949
  - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
  - बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
  - बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980

निष्कर्ष:

प्रस्तावित बदलावों से बैंकिंग क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे नियामक ढांचे को आधुनिक बनाया जा सकेगा, संचालन की दक्षता में सुधार होगा व पारदर्शिता बढ़ाई जा सकेगी। ये संशोधन सरकार की बैंकिंग कानूनों को वर्तमान वित्तीय और नियामक जरूरतों के अनुरूप ढालने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत और मिडिल-इनकम ट्रैप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024: द मिडिल-इनकम ट्रैप' जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत, चीन और 100 से अधिक अन्य देशों के लिए 'मिडिल-इनकम ट्रैप' में फंसने की संभावना को उजागर किया गया है। यह आर्थिक घटना वैश्विक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो उच्च-आय स्तर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

मिडिल-इनकम ट्रैप क्या है?

- मिडिल-इनकम ट्रैप तब होता है जब किसी देश की आय का स्तर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद स्थिर हो जाता है, जिससे उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना कठिन हो जाता है।
- यह आमतौर पर तब होता है जब किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी GDP प्रति व्यक्ति के लगभग 10% (आज लगभग $8,000) तक पहुंच जाती है। इस स्तर पर फंसे देश अक्सर संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों, अपर्याप्त नवाचार या पर्याप्त नीति ढांचे की कमी के कारण आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं।

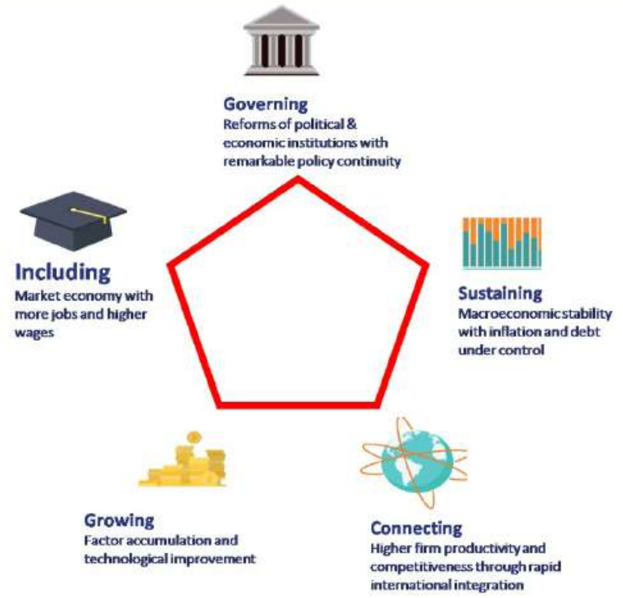

वैश्विक संदर्भ:

- वर्ष 1990 से अब तक, केवल 34 मिडिल-इनकम देशों ने उच्च-आय स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से अधिकांश देश या तो यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे या उनके पास तेल भंडार जैसी अछूती प्राकृतिक संपत्तियां थीं।

वर्तमान परिदृश्य:

- 2023 के अंत तक, 108 देशों की प्रति व्यक्ति GDP $1,136 और $13,845 के बीच थी, जो उन्हें मिडिल-इनकम श्रेणी में रखती है।
- ये देश विश्व की 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक GDP का 40% से अधिक योगदान करते हैं। हालांकि, ये देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 60% से अधिक भी जिम्मेदार हैं।

मिडिल-इनकम देशों के लिए चुनौतियाँ:

- **बुजुर्ग आबादी:** जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आबादी आर्थिक गतिशीलता को धीमा कर देती है और सामाजिक सेवाओं पर भार बढ़ाती है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद:** उन्नत अर्थव्यवस्थाएं तेजी से संरक्षणवादी नीतियां अपना रही हैं, जिससे मिडिल-इनकम देशों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच सीमित हो रही है।
- **ऊर्जा संक्रमण:** स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को तेज करने की आवश्यकता एक और जटिलता जोड़ती है, क्योंकि इन देशों को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

3 i रणनीति:

मिडिल-इनकम ट्रैप से देशों को बचाने के लिए, विश्व बैंक '3i रणनीति' का प्रस्ताव करता है, जो आर्थिक विकास के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो किसी देश के विशिष्ट स्तर के लिए अनुकूलित है:

- **निवेश (Investment - 1i):** निम्न-आय वाले देशों के लिए प्राथमिकता निवेश में वृद्धि करना है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवा में, ताकि निरंतर आर्थिक विकास की नींव रखी जा सके।
- **इन्फ्यूजन (Investment-2i):** जैसे-जैसे राष्ट्र निचले-मध्य-आय वर्ग में प्रगति करते हैं, तब उनका फोकस उन्नत तकनीकों को अपनाने और अनुकूलित करने पर होना चाहिए।
- **नवाचार (Investment - 3i):** ऊपरी-मध्य-आय स्तर तक पहुंचने के बाद, देशों को घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें दीर्घकालिक स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों और व्यापार मॉडलों का विकास शामिल है।

निष्कर्ष:

भारत के लिए मिडिल-इनकम ट्रैप से बचने के लिए निवेश, प्रौद्योगिकी संक्रमण और नवाचार को बढ़ावा देने पर रणनीतिक ध्यान देना आवश्यक है। दक्षिण कोरिया जैसे वैश्विक उदाहरणों और विश्व बैंक की 3i रणनीति से नीतिगत निर्माताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। जैसे-जैसे भारत उच्च-आय स्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, सुधारों को अपनाना और वैश्विक आर्थिक रुझानों के प्रति खुला रहना मिडिल-इनकम ट्रैप की चुनौतियों को पार करने में महत्वपूर्ण होगा।

वित्तीय बाजार के स्व-नियामक संगठनों के लिए ढांचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने के लिए एक नया ढांचा जारी किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन की संस्कृति को मजबूत करना और नीति निर्माण के लिए एक परामर्श मंच प्रदान करना है। यह ढांचा नियामकों

जैसे RBI और SEBI पर दबाव को कम करके, उद्योग के भीतर स्व-नियमन को प्रोत्साहित करता है।

स्व-नियामक संगठन (SRO) क्या है?

- स्व-नियामक संगठन (SRO) ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसे गैर-सरकारी संगठन, जिन्हें उद्योग और पेशेवर मानकों को स्वयं बनाने और लागू करने का अधिकार होता है।
- वित्तीय SROs, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा है, जिसमें नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने वाले नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना शामिल है।

मुख्य उद्देश्य:

- **मानकों और प्रथाओं का विकास:** स्व-नियामक संगठन (SRO) ऐसे मानक और प्रथाएं बनाते हैं जिनका पालन करना सदस्य संस्थाओं के लिए अनिवार्य होता है, जिससे उद्योग में एकरूपता और गुणवत्ता बनी रहती है।
- **नैतिक दिशा-निर्देश और आचार संहिता:** ये संगठन गलत प्रथाओं और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए दिशा-निर्देश और आचार संहिता तैयार करते हैं।
- **विवाद समाधान:** स्व-नियामक संगठन (SRO) सदस्य संस्थाओं और उनके ग्राहकों के बीच विवादों को सुलझाने के तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **प्रशिक्षण और संसाधन:** ये संगठन उद्योग के विकास, नियामक परिवर्तनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

RBI ढांचे के तहत SROs की पात्रता:

- गैर-लाभकारी कंपनी (कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत)
- न्यूनतम शुद्ध संपत्ति: 10 करोड़
- स्वैच्छिक सदस्यता
- सदस्यों का प्रतिनिधि आधारित मिश्रण (प्रकार और आकार)
- निदेशकों की व्यावसायिक योग्यता और अखंडता
- RBI द्वारा 'फिट एंड प्रॉपर' आकलन
- RBI द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली अतिरिक्त शर्तें

लाभ:

- **उन्नत उद्योग मानक:** स्व-नियामक संगठन (SRO) सर्वोत्तम प्रथाओं, नैतिक आचरण और व्यावसायिकता को बढ़ावा देते हैं।
- **बाजार अखंडता को बढावा:** ये संगठन धोखाधड़ी, हेरफेर और अनुचित प्रथाओं को रोकने में मदद करते हैं।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** स्व-नियामक संगठन (SRO) समय पर जानकारी का खुलासा सुनिश्चित करते हैं, जिससे सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- **निवेशक संरक्षण:** स्व-नियामक संगठन (SRO) निवेशकों के हितों की रक्षा करते हैं, जिससे निष्पक्षता और विवाद समाधान सुनिश्चित होता है।
- **नियामकीय दक्षता:** ये संगठन नियामकीय बोझ को कम करते हैं, जिससे अधिकारी प्रणालीगत जोखिमों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

RBI का स्व-नियामक संगठन (SRO) के लिए नया ढांचा भारत के वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। स्व-नियमन की संस्कृति को बढ़ावा देकर, यह ढांचा मौजूदा नियामकीय वातावरण को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जिससे वित्तीय क्षेत्र की समग्र स्थिरता और अखंडता में सुधार होता है।

गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर शिकायत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अमेरिकी जिला न्यायालय ने गूगल को खोज और टेक्स्ट विज्ञापन में एकाधिकारवादी प्रथाओं का दोषी पाया है। इसके पश्चात भारतीय स्टार्ट-अप लॉबी समूह ने ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में गूगल की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

गूगल के एंटीट्रस्ट केस की मुख्य बिंदु:

- एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने गूगल के प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रभुत्व और विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भरता को प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने और भारतीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डालने के रूप में चिह्नित किया है।
- एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) गूगल की प्राइवेसी सैंडबॉक्स पहल को लेकर चिंतित है। जो गूगल क्रोम ब्राउजर के जरिए एक्सेस की जाने वाली वेबसाइटों से थर्ड-पार्टी कुकीज को हटाना है।

सीसीआई द्वारा भारत में अब तक गूगल की एंटीट्रस्ट जांच:

- फरवरी 2018 में, गूगल पर भारत में ऑनलाइन सामान्य वेब सर्च और वेब सर्च विज्ञापन सेवाओं में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
- अप्रैल 2019 में, भारत में गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक अविश्वास जांच शुरू की गई।
- नवंबर 2020 में, भारत में गूगल प्ले स्टोर की भुगतान प्रणाली के अनिवार्य उपयोग के मुद्दे पर अविश्वास जांच का आदेश दिया गया।
- जून 2021 में, भारत के स्मार्ट टेलीविजन बाजार में गूगल द्वारा अपने एंड्रॉयड ओएस प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के आरोपों की एक अविश्वास जांच का आदेश दिया।

भारत एंटीट्रस्ट को कैसे नियंत्रित करता है:

- 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत ने व्यावसायिक प्रथाओं को विनियमित करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 पारित किया ताकि भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोका जा सके।
- फरवरी 2023 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर एक अलग कानून की आवश्यकता की जांच करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) पर एक समिति का गठन किया।

आगे की राहः

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत, व्यवसायों को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बाजार में उनका व्यवहार आक्रामक न हो। मसौदा कानून, जिसे डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 कहा जाता है, यदि लागू किया जाता है, तो बड़ी टेक कंपनियों को अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ सकते हैं।

भारत का इस्पात उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय इस्पात मंत्रालय भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में घोषणा की कि देश वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन को पार करने के लिए तैयार है। यह वृद्धि मजबूत मांग और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित है।

मुख्य बिन्दुः

- **घरेलू उत्पादन में वृद्धिः** भारत के इस्पात उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में तैयार इस्पात उत्पादन 138.5 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो कि साल-दर-साल 12.4% की वृद्धि को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी से अप्रैल 2024 तक इस्पात उत्पादन 49.5 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो 8.5% अधिक है।
- **सरकार की आशावादिताः** सरकार 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है। इसके लिए, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश की भूमिका को उजागर किया गया है, जो इस्पात उद्योग को संभावित लाभ प्रदान करेगा। मजबूत जीडीपी वृद्धि और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों से निरंतर बुनियादी ढांचे पर व्यय से उच्च इस्पात मांग बनाए रखने की आशा व्यक्त की गई है।
- **चुनौतियाँः** कुछ स्टील निर्माता उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों को कम करके बता रहे हैं, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस्पात मंत्रालय ने रणनीतिक योजना का समर्थन करने के लिए सटीक रिपोर्टिंग का आग्रह किया है। पूर्वी भारत के स्टील निर्माताओं ने लौह अयस्क की कमी की चिंता भी जताई है।
- **डीकार्बोनाइजेशन रोडमैपः** स्टील क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, जो कुल उत्सर्जन का 12% है, इसके लिए सरकार एक डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप विकसित कर रही है। इस योजना में हाइड्रोजन के उपयोग और कार्बन कैप्चर तकनीकों को बढ़ाना शामिल है। इसमें प्रयोगशालाओं, आईआईटी, स्टील निर्माताओं और उपकरण निर्माताओं को शामिल करके स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्य तथ्यः

- भारत जनवरी 2019 में जापान को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक के रूप में उभरा, जिसने 2018 में 106.5 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया।
- भारतीय स्टील उद्योग को क्रमशः वर्ष 1991 और 1992 में लाइसेंस और नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, जिससे तेजी से विकास और आधुनिकीकरण हुआ।
- मार्च 2023 तक, भारत की कुल स्थापित इस्पात निर्माण क्षमता 154 मिलियन टन थी, जिसमें देश भर में 30 से अधिक एकीकृत इस्पात संयंत्र थे।
- भारत में अधिकांश इस्पात कंपनियाँ, जैसे जिंदल स्टेनलेस और JSW स्टील, 1970 और 1980 के दशक में स्थापित की गई थीं।
- 2017 में संशोधित राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य 2030-31 तक इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है।
- भारत के इस्पात निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 100 मिलियन टन है।
- देश की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 2020-21 में 74 किलोग्राम से बढ़कर 2030-31 तक 160 किलोग्राम होने की उम्मीद है।

निष्कर्षः

भारत का इस्पात उद्योग बुनियादी ढाँचे के विकास और मजबूत मांग से प्रेरित होकर उल्लेखनीय वृद्धि की दिशा में अग्रसर है। हालाँकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार की आशावादी दृष्टिकोण और पहल का प्रमुख उद्देश्य इस्पात उद्योग के सतत विकास को सुनिश्चित करना और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है।

जेंडर बजट

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2024-25 के बजट ने महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की ठोस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में महिलाओं के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बार, जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) ने 2024-25 के लिए GDP के 1% तक का आंकड़ा छू लिया है और महिलाओं के समर्थन हेतु विभिन्न पहलों के लिए कुल आवंटन 3 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

वृद्धि के कारणः

- 2005-06 में जेंडर बजट की शुरुआत के बाद से, जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) ने महिलाओं के लिए कुल बजट आवंटनों का औसतन 5% रिपोर्ट किया है, जिसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला है।
- इस वर्ष, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के तहत, महिलाओं के लिए योजनाओं के आवंटन ने 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% तक का स्तर प्राप्त कर लिया है।
- यह वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है और सरकार की नीतियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।
- इस वृद्धि में दो मुख्य कारक योगदान दे रहे हैं:
  - पहला, जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) में 'भाग C' का समावेश अब यह ऐसी योजनाओं को भी शामिल करता है जिनमें महिलाओं के लिए 30% से कम प्रावधान है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में पीएम किसान योजना, जिसमें महिलाओं के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो योजना के कुल आवंटन का 25% है।
  - दूसरा, GBS में भाग A, जो महिलाओं के लिए 100% आवंटन वाले खर्चों की रिपोर्ट करता है, इसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2022-23 के बजट अनुमान (BE) तक, भाग A कुल आवंटनों का 15-17% था, परंतु 2023-24 के बजट अनुमान में यह हिस्सा लगभग 40% तक बढ़ गया है।

चुनौतियाँ:

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ने अपने कुल आवंटन का 40% महिलाओं के लिए दर्शाया है, जो कि 920 करोड़ की अत्यधिक रिपोर्टिंग का संकेत करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने अपनी रिपोर्टिंग में सुधार किया है और अब सही तरीके से 100% आवंटन को महिलाओं और लड़कियों के लिए दर्शाता है, जबकि पूर्व में यह केवल 50% तक सीमित था।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, स्वनिधि, और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं ने महिलाओं के लिए अपने आवंटनों की रिपोर्ट नहीं की, जिससे रिपोर्टिंग में कमी देखी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) ने महिलाओं के लिए अपने आवंटन को कम दर्शाया है, जिसमें केवल 28,888.67 करोड़ दिखाया गया है, जबकि महिलाओं ने सभी व्यक्ति-दिनों का 59.3% हिस्सा काम किया है।

निष्कर्ष:

जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) में असमानताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक और प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग C का समावेश एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु रिपोर्टिंग में अभी भी महत्वपूर्ण विसंगतियाँ मौजूद हैं। जेंडर रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिलाओं की वास्तविक जरूरतों पर प्रभावी खर्च किया जाए, न कि केवल आवंटन में वृद्धि को दर्शाया जाए। जेंडर-संवेदनशील बजटिंग आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस दिशा में किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है।

विविध मुद्दे

UNESCO
unesco
World Heritage Convention

ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन से जुड़े सवाल

किसी भी देश का यह स्वप्न होता है कि उसके एथलीटों का दल ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक गोल्ड मेडल जीते जिससे उस देश के खेल और खिलाड़ियों को वैश्विक पहचान मिले। इसके लिए खिलाड़ियों को अत्यधिक मेहनत, सटीक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होता है। भारत के 117 खिलाड़ी इस बार पेरिस ओलंपिक–2024 में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इन खिलाड़ियों से भारतीय खेल जगत को बड़ी उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार दहाई के अंक में मेडल जीतेगी और खासकर कई खिलाड़ी गोल्ड मेडल ले आयेंगे और टोक्यो ओलंपिक–2020 के सात मेडलों के आंकड़े को पार करेंगे लेकिन ओलंपिक खेलों के समापन के साथ ऐसी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। दिग्गज एथलीट करीब आकर मेडल से चूक गए। भारत के हिस्से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया।

आजादी के बाद से भारत 16 ओलंपिकों में भाग ले चुका है लेकिन अब भी वहां दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका हैं। भारत ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण सहित कुल सात पदक जीतकर खेल महाकुंभ का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस बार भारत सिर्फ छह पदक ही जीत पाए हैं। वहीं अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों के खिलाड़ियों ने हर बार की तरह दिल भी जीता है और गोल्ड मेडल भी। भारत के एथलीटों में देखें तो सिर्फ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर भारत के गौरव को कुछ संबल दिया। दुनिया की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या होने पर गर्व करने वाले भारतीय खेल नीति निर्माताओं को सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि हम पदक तालिका में 69वें नंबर पर मौजूद हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान एक स्वर्ण जीतकर 53वें नंबर पर है।

भारतीय एथलीटों पर केंद्र सरकार ने 470 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। 117 एथलीटों के भारतीय दल में केवल मनु भाकर एक मात्र ऐसी एथलीट रहीं, जिन्होंने देश को दो पदक दिलाए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम और नीरज ने निरंतरता बरकरार रखते हुए कांस्य और रजत जीता, परंतु शेष सभी दिग्गज फ्रांस की राजधानी में देश की आशाओं को पूरा नहीं कर सके। 2008 में बीजिंग के बाद टोक्यो में पहली बार स्वर्ण पदक का दर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों के लिए इस बार भी स्वर्ण केवल एक स्वप्न ही रहा। इसका प्रमुख कारण है कि 2008 से लेकर अब तक केवल कुश्ती को छोड़ दें तो कभी किसी खेल में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी है। पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतकर हमारे स्वर्णिम दौर की स्मृतियां ताजा भी की हैं, परंतु अन्य खेलों में हमें निराशा ही हाथ लगी है।

खिलाड़ियों की तैयारियों पर हुआ पर्याप्त व्ययः

- ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई कसर छोड़ रखी है। केंद्र सरकार जहां तैयारियों पर करोड़ों खर्च कर रही है तो अधिकतर राज्यों ने पदक जीतने की स्थिति में करोड़ रुपये की इनामी राशि के अलावा जमीन और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान कर रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतने पर भी सम्मान और बड़ी राशि मिलती है।
- केंद्र सरकार ने 13 एथलीटों की ट्रेनिंग पर एक-एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए। ट्रेनिंग के लिए विदेशी दौरे, मनपसंद कोच, फिजियो और सपोर्ट स्टाफ दिया गया लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। चार ओलंपिक खेलने के बावजूद महिला धनुर्धर दीपिका कुमारी एक पदक नहीं जीत सकी हैं। पहलवान विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित हो गई और छह एथलीट चौथे स्थान पर रहे। कई एथलीट तो ऐसे हारे जैसे पहली बार खेलने उतरे हों। पदक के

मुख्य दावेदार लक्ष्य सेन आखिरी समय में भटक गए। कब तक हम सिर्फ दिल जीतते रहेंगे? अगर भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करनी है तो उसे दिल जीतने की जगह पदक जीतने वाला देश बनना होगा।

भारतीय एथलीटों के हाथ से फिसले छह कांस्यः

- पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या दहाई में पहुंच सकती थी, परंतु इस बार हमारे छह एथलीटों के हाथों से कांस्य चूक गया और हम अपने विगत प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सके। पेरिस में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर के अलावा अर्जुन बबूता और नरूका-महेश्वरी की जोड़ी निशानेबाजी की अपनी-अपनी स्पर्धाओं में कांस्य से चूक गई।
- इनके अलावा बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और गत ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू भी इतिहास रचने के करीब पहुंचे पर देश की झोली में पदक नहीं डाल सके। भारत के धनुर्धरों से भी हर बार हमें बहुत आशाएं होती हैं, पर एक बार फिर उन्होंने बहुत निराश किया। धीरज-अंकिता की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची तो पदक की आस जगी, पर वे भी इस सूखे को समाप्त नहीं कर सके।

पांच दावेदारों पर खर्च किए थे 20 करोड़ रुपयेः

- पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सात पदक जीते थे और इस बार भारतीय एथलीटों से ये आंकड़ा दहाई में ले जाने की आशा थी। इसके लिए एथलीटों को तैयार करने में भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और 470 करोड़ से अधिक की राशि इसमें झोंक दी थी। भारत के 117 एथलीटों ने भले ही टूर्नामेंट में भाग लिया हो, लेकिन पदक जीतने के पांच दावेदार ऐसे थे जिनकी तैयारियों पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
- इनमें नीरज को छोड़ दें तो शेष सभी एथलीटों के हाथ ओलंपिक में निराशा ही लगी है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 81 विदेश यात्राएं की थीं। निशानेबाजों को 45 तो टेनिस खिलाड़ियों को 31 विदेशी यात्रा करने का अवसर मिला था। इसके बाद एथलेटिक्स (31), टेबल टेनिस (28), कुश्ती (27), तीरंदाजी (24), मुक्केबाजी (23), सेलिंग (22), हॉकी (18), जूडो (15) और तैराकी (11) का स्थान था।

ओलंपिक में भारत के सफर पर नजरः

- वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में सिर्फ एक प्रतिभागी के साथ अपनी शुरुआत के बाद से भारत की ओलंपिक यात्रा में काफी बदलाव आया है। 1920 में एंटवर्प खेलों में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत ने अपना पहला आधिकारिक दल भेजा, जिसने उल्लेखनीय उपलब्धियों की एक शताब्दी को चिह्नित किया। पेरिस 1924 ओलंपिक में वास्तव में भारत ने टेनिस में शुरुआत की, जिसमें एकल और युगल स्पर्धाओं में पांच खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके बाद एम्स्टर्डम 1928 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का उल्लेखनीय प्रदर्शन हुआ, जहां भारत ने प्रतिष्ठित ध्यानचंद के नेतृत्व में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया। यह उल्लेखनीय है कि हॉकी टीम ने 29 गोल किए और लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक उच्च मानक स्थापित किया।

भारत ने अपने पहले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए दो पदकों के साथ अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक भारत ने 25 ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हुए कुल 41 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं।

साल	एथलीट	पदक	स्थान
पेरिस 1900	1	2	17
एंटवर्प 1920	5	–	–
पेरिस 1924	13	–	–
एम्सटर्डम 1928	22	1	23
लॉस एंजिल्स 1932	18	1	19
बर्लिन 1936	27	1	20
लंदन 1948	86	1	22
हेलसिंकी 1952	64	2	26
मेलबर्न 1956	59	1	24
रोम 1960	45	1	32
टोक्यो 1964	53	1	24
मेक्सिको सिटी 1968	25	1	42
म्यूनिख 1972	46	1	43
मॉनट्रियल 1976	26	–	–
मास्को 1980	52	1	23
लॉस एजिल्स 1984	47	–	–
सियोल 1988	43	–	–
बार्सिलोना 1992	46	–	–
अटलांटा 1996	40	1	71
सिडनी 2000	44	1	71
एथेंस 2004	73	1	65
बीजिंग 2008	57	3	50
लंदन 2012	83	6	55
रियो डी जेनेरियो 2016	117	2	67
टोक्यो 2020	126	7	48
पेरिस 2024	117	6	71

- 1930 और 40 के दशक में महान खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में

भारत की पुरुष हॉकी टीम का उदय भी हुआ, जिन्होंने एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजिल्स 1932 और बर्लिन 1936 में अभूतपूर्व तीन लगातार स्वर्ण पदक हासिल किए, जिससे दुनिया की प्रमुख हॉकी ताकत के रूप में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत की ओलंपिक यात्रा लंदन 1948 खेलों से शुरू हुई, जहां राष्ट्र ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल उतारा- नौ खेलों में 86 एथलीट। भारतीय हॉकी टीम ने अपना दबदबा जारी रखा, अपना चौथा ओलंपिक स्वर्ण हासिल किया और बलबीर सिंह सीनियर को एक नए सितारे के रूप में पेश किया।

- हेलसिंकी 1952 ओलंपिक में, पहलवान केडी जाधव ने भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। मैक्सिको सिटी 1968 में, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने म्यूनिख 1972 ओलंपिक में यह उपलब्धि दोहराई। अटलांटा 1996 में, टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने पुरुष एकल में लंबे समय से प्रतीक्षित कांस्य पदक जीता, जबकि चार साल बाद 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया।
- बीजिंग 2008 ओलंपिक भारत के लिए एक यादगार पल रहा, जब निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसने भारतीय ओलंपिक इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया। मुक्केबाज विजेंदर सिंह और पहलवान सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीते, जो 1952 के बाद से भारत का पहला बहु-पदक था।

2012 लंदन ओलंपिक में भारत की चमकः

- 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने भारत के लिए बैडमिंटन ओलंपिक में पहला पदक जीता। सुशील कुमार ने अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता और गगन नारंग, विजय कुमार, मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त ने भारत के पदकों की संख्या में इजाफा किया, जो उस समय सबसे अधिक छह पदक थे। रियो 2016 में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक भारत की एकमात्र पदक विजेता रहीं, यह पहली बार था जब सभी पदक महिला एथलीटों ने जीते थे।

टोक्यो ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन :

- टोक्यो 2020 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जिसमें कुल सात पदक जीते। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक के साथ 41 साल का पदक सूखा खत्म किया, जबकि महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत के लिए पहला ट्रैक-एंड-फील्ड स्वर्ण पदक जीता, जिससे अभियान का शानदार अंत हुआ।
- पिछले दशकों में भारत का ओलंपिक इतिहास उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा पड़ा है: हॉकी में रिकॉर्ड आठ स्वर्ण पदक, जिनमें लगातार छह जीत शामिल हैं, स्वतंत्र भारत में केडी जाधव का ऐतिहासिक व्यक्तिगत पदक, बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा का अभूतपूर्व स्वर्ण और टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक ट्रैक-एंड-फील्ड स्वर्ण।

ओलंपिक खेलों का इतिहासः

- ओलंपिक खेलों का इतिहास दो सहस्राब्दियों से भी ज्यादा पुराना है, जोकि खेल और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। 776 ईसा पूर्व में शुरु हुए ये प्राचीन खेल हर चार साल में गॉड जीउस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, जिसमें न केवल एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती थीं, बल्कि संगीत, कविता और रंगमंच जैसे कलात्मक कार्यक्रम भी होते थे।
- 19वीं सदी के अंत में, वैश्विक खेल समुदाय के भीतर अव्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह तब बदल गया जब बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने पेरिस में पहली ओलंपिक कांग्रेस बुलाई। आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल अप्रैल 1896 में प्राचीन ओलंपिक के जन्मस्थान एथेंस (ग्रीस) में आयोजित हुए थे। यह प्रथम ओलंपियाड के खेल के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक आयोजन में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था।

ओलंपिक खेलों में महिलाएंः

- पेरिस 1900 ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। पांच बार विंबलडन चैंपियन रहीं ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी चार्लोट कूपर पहली महिला ओलंपिक चैंपियन बनीं। 997 एथलीटों में से 22 महिलाएं थीं, जिन्होंने टेनिस, नौकायन, क्रोकेट, घुड़सवारी और गोल्फ में भाग लिया।
- ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ी है, 1964 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2020 टोक्यो खेलों में लगभग 48.9 प्रतिशत हो गई है, जिसका श्रेय आईओसी और अंतर्राष्ट्रीय महासंघों की पहल को जाता है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में 2012 लंदन खेलों में महिला मुक्केबाजी को शामिल करना और टोक्यो 2020 में लगभग लैंगिक समानता हासिल करना शामिल है। रियो 2016 में, 45 प्रतिशत एथलीट महिलाएं थीं, यह प्रवृत्ति टोक्यो में भी जारी रही, जिससे यह अब तक का सबसे लैंगिक-संतुलित ओलंपिक बन गया, जिसमें लगभग आधी एथलीट महिलाएं थीं।

आगे की राहः

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के खराब प्रदर्शन ने खेलों के विकास और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। खिलाड़ियों को उचित संसाधन, समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करके और खेल प्रशासन में सुधार करके भारत भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। खेलों की नीतियों और कार्यान्वयन में सुधार से भारत को आगामी ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

विविध संक्षिप्त मुद्दे

WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को वर्ष 2022-2032 तक, 10 वर्षों के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की प्रोग्रामिंग का समर्थन किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रथाओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने, उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने और शोध व नीति विकास को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के बारे में:

- WHO द्वारा स्थापित यह ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात, भारत के जामनगर में स्थित है। यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के प्रचार, विनियमन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- यह पारंपरिक चिकित्सा पर केंद्रित पहला वैश्विक आउट-पोस्टेड सेंटर है, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रथाओं, उत्पादों और उनके उपयोग पर डेटा संग्रह और विश्लेषण पर जोर देता है।
- जामनगर में स्थित यह सेंटर आपस में जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:
    - **शोध और प्रमाण:** पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार का निर्माण।
    - **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज:** पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एकीकृत करना।
    - **स्वदेशी ज्ञान और जैव विविधता:** स्वदेशी ज्ञान और जैव विविधता का संरक्षण और प्रचार।
    - **डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग:** पारंपरिक चिकित्सा में नवाचार और दस्तावेजीकरण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग।
    - **वैश्विक सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना, जिसमें WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट भी शामिल है।

मुख्य उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं:

- पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक समिट अगस्त 2023 में गुजरात में आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 'गुजरात डिक्लेरेशन' नामक एक मल्टीस्टेकहोल्डर एक्शन एजेंडा तैयार हुआ।
- अगला समिट नवंबर 2025 के लिए योजनाबद्ध है, जो मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 2025-2034 वैश्विक रणनीति के लॉन्च के बाद होगा।
- भारत की पारंपरिक चिकित्सा के प्रति समर्थन WHO के साथ उसकी दीर्घकालिक साझेदारी में प्रकट होता है। 2023 में, भारत ने WHO की ट्रेडिशनल, कॉम्प्लिमेंटरी और इंटेग्रेटिव मेडिसिन (TCI) यूनिट के तकनीकी कार्य का समर्थन करने के लिए पांच वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह सहयोग नई वैश्विक रणनीति के विकास और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षित रूप से एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष:

WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के प्रति भारत की 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने में उसकी नेतृत्व क्षमता को उजागर करती है। सेंटर का कार्य पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करके वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने, सुरक्षा, प्रभावशीलता, और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत भारत रैंकिंग 2024 की घोषणा की। इन रैंकिंग में लगातार छठे वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि आईआईटी मद्रास की विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है।

क्या हैं एनआईआरएफ?

- भारत सरकार द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किया गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) एक व्यापक पद्धति है जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करता है।
- यह फ्रेमवर्क वैश्विक रैंकिंग प्रणालियों की सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अक्सर भारतीय संस्थानों के विशिष्ट पहलुओं को नजरअंदाज कर देते थे।
- NIRF संस्थानों को पांच प्रमुख मापदंडों के आधार पर रैंक करता है:
    - शिक्षण, शिक्षण सामग्री और संसाधन
    - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास

» स्नातक परिणाम
» पहुंच और समावेशिता
» धारणा

- ये मापदंड संस्थानों के शिक्षा और अनुसंधान में समग्र योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं।

NIRF Ranking 2024

Indian Institute of Technology Madras	1
Indian Institute of Science, Bengaluru	2
Indian Institute of Technology Bombay	3
Indian Institute of Technology Delhi	4
Indian Institute of Technology Kanpur	5
Indian Institute of Technology Kharagpur	6
All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	7
Indian Institute of Technology Roorkee	8
Indian Institute of Technology Guwahati	9
Jawaharlal Nehru University, New Delhi	10

एनआईआरएफ 2024 की प्रमुख बातें:

- **आईआईटी मद्रास:** लगातार छठे वर्ष, आईआईटी मद्रास ने 'समग्र श्रेणी' में शीर्ष स्थान बनाए रखा। संस्थान ने इंजीनियरिंग श्रेणी में भी लगातार नौवें वर्ष अपना नेतृत्व बरकरार रखा।
- **आईआईएससी बेंगलुरुः** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु ने 'विश्वविद्यालयों की श्रेणी' में लगातार नौवें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया। इसे अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भी लगातार चौथे वर्ष पहला स्थान मिला।
- **शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान:** आईआईटी मद्रास के अलावा, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने क्रमशः इंजीनियरिंग श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- **प्रबंधन कॉलेज:** भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद ने शीर्ष प्रबंधन संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, इसके बाद आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कोझिकोड रहें।
- **फार्मेसी:** जामिया हमदर्द ने फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष के दूसरे स्थान से ऊपर आया। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) हैदराबाद और बिट्स पिलानी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- **कॉलेज:** 'कॉलेज श्रेणी' में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफन कॉलेज रहे।

एनआईआरएफ 2024 में तीन नयी श्रेणियाँ:

- इस वर्ष, एनआईआरएफ ने तीन नई श्रेणियों- राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय को शामिल करके अपने दायरे का विस्तार किया।
- ये श्रेणियां भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में बढ़ती विविधता को दर्शाते हैं और विभिन्न प्रकार के संस्थानों के योगदान को मान्यता देते हैं।
- इसके अलावा, फ्रेमवर्क नवाचार रैंकिंग का एकीकरण, शैक्षणिक सेटिंग्स में रचनात्मकता और नवाचार के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष:

एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 ने आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे शीर्ष संस्थानों के निरंतर प्रदर्शन को उजागर किया है, जबकि भारतीय उच्च शिक्षा में बढ़ती विविधता को भी प्रदर्शित किया है। रैंकिंग में नए श्रेणियों का शामिल होना और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के संस्थानों के विविध योगदानों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

किशोरों के स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 'भारत में किशोरों के कल्याण में निवेश के लिए आर्थिक मामला' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट भारत में किशोरों के कल्याण में निवेश के लिए एक व्यापक आर्थिक मामला प्रस्तुत करती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में निवेश से उच्च रिटर्न की प्राप्ति पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत की किशोर आबादी (253 मिलियन) एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास में योगदान देती है।
- **आर्थिक लाभ:** किशोरों के कल्याण में निवेश करने से पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलता है, जो निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए 4.6 से 71.4 अमेरिकी डॉलर तक होता है।
- **सात प्रमुख कार्यक्रम:** रिपोर्ट में किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम और सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सात उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- **निवेश आवश्यकताएँ:** इन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष अनुमानित 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जिससे प्रति वर्ष 476 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिलता है।
- **जीडीपी में वृद्धि:** किशोरों में निवेश करने से भारत की जीडीपी में लगभग 10.1% की वृद्धि हो सकती है।

कार्यक्रमवार विश्लेषण:

- **किशोरों में स्वास्थ्य निवेश:** स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करने से निवेश किए गए प्रत्येक

डॉलर पर 14.3 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिल सकता है।

- **शिक्षा:** शिक्षा में निवेश करने से निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर 12.1 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिल सकता है।
- **बाल विवाह रोकथाम:** बाल विवाह को रोकने से निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर 10.3 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिल सकता है।
- **सड़क सुरक्षा:** सड़क सुरक्षा उपायों में निवेश करने से निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर पर 7.4 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिल सकता है।

सिफारिशें:

- **निवेश में वृद्धि:** किशोरों के कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करना।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और समुदायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- **साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप:** साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों को लागू करें और प्रगति की निगरानी करना।
- **क्षमता निर्माण:** किशोरों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं को मजबूत करना।

सरकारी पहल:

- **स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम:** प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण को मजबूत करता है।
- **मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना:** किशोरियों में जागरूकता बढ़ाने और मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **यू-विन प्लेटफॉर्म:** किशोर स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और निगरानी करने के लिए को-विन के बाद तैयार की गई एक नई पहल है।

निष्कर्ष:

भारत सरकार किशोरों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश के भविष्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। व्यापक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बजट आवंटन और सभी किशोरों के लिए एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई पहल शामिल हैं।

डेटा उल्लंघन की लागत रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'डेटा उल्लंघन की लागत 2024' रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक वैश्विक स्तर पर 604 संगठनों में डेटा उल्लंघनों का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पोनमोन इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित और IBM द्वारा प्रायोजित, यह शोध पिछले 19 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है और इसमें 6,000 से अधिक संगठनों में हुए उल्लंघनों का अध्ययन शामिल है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत वर्ष 2024 में 19.5 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह वर्ष 2023 से 9% और 2020 से 39% की वृद्धि दर्शाता है।
- बढ़ती लागत तेजी से बढ़ते विघटनकारी उल्लंघनों से प्रेरित है, जिसने साइबर सुरक्षा टीमों पर बढ़ती मांगें रखी हैं। वैश्विक स्तर पर, 70% संगठनों ने बताया कि डेटा उल्लंघनों ने 'महत्वपूर्ण' या बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा किए हैं।
- परिचालन डाउनटाइम, ग्राहक प्रभाव और प्रतिष्ठा को नुकसान के कारण व्यापार घाटा 2023 से 45% बढ़ गया है, जबकि अधि सूचना लागत में 19% की वृद्धि हुई है।
- **सामान्य साइबर हमले:** फिशिंग और चोरी या समझौता किए गए क्रेडेंशियल भारत में सबसे आम साइबर हमले थे, जो 18 प्रतिशत घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद क्लाउड मिसकॉन्फिगरेशन (12 प्रतिशत) का स्थान था।

डेटा संग्रहण और उल्लंघन लागत

- **सार्वजनिक क्लाउड:** भारत में उल्लंघनों का 34% सार्वजनिक क्लाउड पर संग्रहीत डेटा से संबंधित था, जिसकी उच्चतम औसत लागत 22.7 करोड़ रुपये थी।
- **बहुभागी वातावरण:** उल्लंघनों का 29% कई वातावरण (सार्वजनिक और निजी क्लाउड) में संग्रहीत डेटा से संबंधित था। इन घटनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने में सबसे लंबा समय लगा, औसतन 327 दिन।

क्षेत्र-विशिष्ट प्रभाव

- **औद्योगिक क्षेत्र:** डेटा उल्लंघनों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसकी औसत लागत 25.5 करोड़ रुपये थी।
- **प्रौद्योगिकी उद्योग:** औसत लागत 24.3 करोड़ रुपये।
- **फार्मास्युटिकल सेक्टर:** औसत लागत 22.1 करोड़ रुपये।
- वैश्विक महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएँ, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संगठनों ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उल्लंघन लागत का अनुभव किया।

जीवन चक्र का उल्लंघन (Breach Lifecycle):

- जिन संगठनों ने 200 दिनों से कम समय में उल्लंघनों की पहचान की और उन्हें नियंत्रित किया, उन्हें औसतन 18.4 करोड़ रुपये की लागत आई, जबकि 200 दिनों से अधिक समय तक जीवनचक्र वाले संगठनों को औसतन 20.5 करोड़ रुपये की लागत का सामना करना पड़ा।

AI और स्वचालन की भूमिका:

- उल्लंघन जीवनचक्र (Breach Lifecycle) पर प्रभाव: कृत्रिम

बुद्धिमत्ता (AI) और स्वचालन ने उल्लंघन जीवनचक्र को 112 दिनों तक कम कर दिया, जिससे संगठनों को औसतन 13 करोड़ रुपये की बचत हुई।

- भारत में 28% संगठनों ने सुरक्षा AI और स्वचालन को बड़े पैमाने पर तैनात किया है, जबकि 2023 में यह 20% था। हालाँकि, 72% संगठनों ने इन तकनीकों का या तो सीमित (35%) या बिल्कुल भी (37%) उपयोग नहीं किया है।

निष्कर्षः

जैसे-जैसे साइबर हमले अधिक जटिल होते जा रहे हैं, संगठनों पर उनका प्रभाव बहुआयामी होता जा रहा है, जो प्रतिष्ठा, वित्तीय और परिचालन संबंधी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (DPDP अधिनियम) 2023 के लागू होने के साथ, व्यवसायों को ऐसे हमलों के विनियामक निहितार्थों का आकलन करना चाहिए और अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देना और महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा महिला उद्यमिता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के नेतृत्व में महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरु किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं हेतु कौशल विकास से लेकर वित्तीय अनुदान और व्यावसायिक नेटवर्किंग तक के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

स्व-शिक्षण पाठ्यक्रमः

- महिला उद्यमियों को स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पर ऑनलाइन स्व-शिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- ये पाठ्यक्रम कई भाषाओं में उपलब्ध होंगे और उद्यमिता कौशल विकसित करने पर केंद्रित होंगे।
- पाठ्यक्रम पूरा करने पर NSDC, ब्रिटानिया और NIESBUD द्वारा सह-ब्रांडेड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

लक्ष्यः

- पूरे भारत में 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को संगठित करने और व्यावसायिक संस्थाओं में बदलने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग।

वित्तीय सहायता और अनुदानः

- नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 10 सबसे सफल महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान करेगी।
- शीर्ष 50 प्रतियोगी अपने व्यावसायिक विचारों को जूरी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे उन्हें व्यापक समर्थन और पहचान मिलेगी।

उद्यमशीलता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताः

- PMKVY के तहत लगभग 45% प्रतिभागी महिलाएं हैं, जो महिलाओं के कौशल विकास में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारपूर्ण पहलः

ट्रेड-रिलेटेड उद्यमिता सहायता और विकास (TREAD): एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को वित्तपोषण

- यह योजना गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहयोग देती है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर सफल उद्यमी बन सकें।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत महिलाओं को 10 लाख तक का बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाता है।

स्टैंड-अप इंडियाः

- महिला उद्यमियों को वित्तीय समर्थन
- स्टैंड-अप इंडिया योजना विशेष रूप से SC/ST और अन्य वंचित वर्ग की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगमः

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना भारत सरकार ने 2009 में की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत की है। NSDC का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।

निष्कर्षः

महिला उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से की गयी पहल महिला प्रोत्साहन की दिशा में समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देते हैं। आज के डिजिटल युग में, विशेष रूप से, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कौशल विकास पहल, और वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। साथ में यह भी ध्यान रखना होगा महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि महिला उद्यमियों के मनोबल, उनके परिवारिक और सामाजिक नेटवर्क, और समान अवसर सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसके लिए समावेशी नीतियों, समग्र सामाजिक बदलाव और आधुनिक तकनीकी समाधानों का समन्वय आवश्यक है।

देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे के परिसर में देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ हुआ।

मुख्य बिन्दु:

- यह संग्रहालय, जिसका वास्तुशिल्प डिजाइन मध्ययुगीन 'बावली' या पारंपरिक जलाशयों से प्रेरित है, मुगल सम्राट हुमायूं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। इसमें सम्राट के जीवन के अनदेखे पहलुओं के साथ-साथ पिछले सात शताब्दियों में निजामुद्दीन क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी जीवंत चित्रण किया गया है।
- मुगल स्मारक (हुमायूं का मकबरा) का कलश जो 2014 के तूफान में गिर गया था, इसका 'केंद्र-बिंदु' है।
- 'डूबा हुआ संग्रहालय' एक अद्वितीय वास्तुशिल्प अवधारणा है, जिसमें संरचना का निर्माण भूमि की सतह से नीचे किया गया है।
- यह डिजाइन संग्रहालय को उसके प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सहजता से समाहित करने की अनुमति देता है, साथ ही, यह डिजाइन प्राकृतिक इन्सुलेशन प्रदान करता है, जिससे तापमान नियंत्रण में सहायता मिलती है।

हुमायूँ के मकबरे के बारे में:

- वर्ष 1570 में निर्मित, हुमायूँ का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला प्रमुख उद्यान मकबरा है। इसे हुमायूँ की पहली पत्नी, महारानी बेगा बेगम ने 1569-70 में बनवाया था और फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। मकबरे में नीला गुम्बद और अफगान कुलीन ईसा खान नियाजी जैसे 16वीं सदी के अन्य मुगल मकबरे शामिल हैं।
- मकबरे में एक चारबाग उद्यान, एक ऊँची सीढ़ीदार चबूतरा और संगमरमर से बना गुंबद है। इसे 'मुगलों के शयनगृह' के रूप में जाना जाता है, इसमें 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य रहते थे।
- वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हुमायूँ के मकबरे का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया है। इस स्थल का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और आगा खान संस्कृति ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न कानूनों के तहत इसे सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करते हैं।
- **हुमायूँ का शासनकाल:** बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूँ को अपने उत्तराधिकार के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय अस्थिरता से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी प्रमुख लड़ाइयों में शामिल हैं:
  - **चुनार की घेराबंदी (1532 ई.):** हुमायूँ ने अफगानों के खिलाफ जीत हासिल की और चुनार किले की घेराबंदी की।
  - **चौसा की लड़ाई (1539 ई.):** हुमायूँ को शेर शाह सूरी ने हराया और वह बाल-बाल बच गया।
  - **कन्नौज की लड़ाई (1540 ई.):** इसे बिलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इस लड़ाई में शेर शाह सूरी की पूर्ण जीत ने हुमायूँ को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया।
- हुमायूँ ने फारसी प्रशासनिक प्रथाओं की शुरुआत की, राजस्व प्रणालियों में सुधार किया और फारसी कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। हुमायूँ ने मीर सैय्यद अली और अब्दल समद जैसे फारसी कलाकारों को भारत लाकर मुगल चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने निगार खाना (चित्रकला कार्यशाला) की स्थापना की और हमजा नामा को चित्रित करने की परियोजना शुरू की, जिसे उनके उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा।
- उनकी बहन गुल बदन बेगम ने 'हुमायूं-नामा' लिखा, जिसमें उनके शासनकाल और विरासत का विवरण है।

निष्कर्ष:

हुमायूं मकबरे के परिसर में भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है, जो मुगल सम्राट हुमायूं और ऐतिहासिक निजामुद्दीन क्षेत्र की समृद्ध विरासत को उजागर करता है। पारंपरिक 'बाओली' से प्रेरित यह संग्रहालय मुगल इतिहास और वास्तुकला के कम ज्ञात पहलुओं की एक अनूठी झलक पेश करता है। इसका उद्घाटन इस उल्लेखनीय विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो इस प्रतिष्ठित स्थल के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाता है।

युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने जिनेवा में 'युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024' रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

सुरक्षित रोजगार के लिए वैश्विक संघर्ष:

- दुनिया भर में युवाओं को स्थिर रोजगार प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि उनके देशों का आय स्तर घट रहा है और अवसर कम होते जा रहे हैं। 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं की एक बड़ी संख्या रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। कोविड-19 महामारी के बाद की रिकवरी सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही है, जिससे कई युवा, खासकर महिलाएं, पीछे

रह गई हैं।

कम आय वाले देशों में रोजगार की चुनौतियाँ:

- कम आय वाले देशों में, 25 से 29 वर्ष की आयु के पाँच में से केवल एक युवा वयस्क ही एक वर्ष से अधिक लंबे अनुबंध वाली नौकरी प्राप्त करने में सफल होता है। इसके विपरीत, उच्च आय वाले देशों में 76% युवा वयस्कों के पास वर्ष 2023 में सुरक्षित भुगतान वाली नौकरी थी। हालांकि, इन देशों में भी अस्थायी काम आम हो गया है, जिससे युवाओं के सामने वित्तीय अनिश्चितता बढ़ गई है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार के रुझान:

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवा बेरोजगारी दर 13.9% देखी गई, जो पिछले संकटों से उबरने का संकेत है। हालांकि, यह सुधार उप-क्षेत्रों में असमान है:
  - दक्षिण एशिया ने युवा बेरोजगारी में गिरावट के साथ सकारात्मक रुझान का अनुभव किया।
  - पूर्वी एशिया ने 14.5% की ऐतिहासिक उच्च युवा बेरोजगारी दर का सामना किया।
  - दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत ने मिश्रित परिणाम दिखाए, जहाँ युवा रोजगार की स्थिति इन चरम सीमाओं के बीच रही।

रोजगार रिकवरी में लैंगिक असमानताएँ:

युवा पुरुषों को युवा महिलाओं की तुलना में रिकवरी अवधि के दौरान काम पाने में अधिक सफलता मिली है:

- वर्ष 2023 में, महिलाओं के लिए युवा बेरोजगारी दर संकट-पूर्व स्तर से 1 प्रतिशत अंक ऊपर 13.4% रही, जबकि पुरुषों के लिए दर में 0.7 अंकों की कमी आई।
- कुछ सुधारों के बावजूद, रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले युवाओं की दर चिंताजनक रूप से उच्च बनी हुई है, खासकर दक्षिण एशिया में युवा महिलाओं के मध्य।

भविष्य के अनुमान और क्षेत्रीय रोजगार रुझान:

वर्ष 2025 तक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युवा बेरोजगारी दर घटकर 13.7% होने की उम्मीद है, लेकिन रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण की दर में मामूली वृद्धि होकर 20.5% होने का अनुमान है:

- सदी की शुरुआत से, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी नौकरियों में युवा वयस्कों की हिस्सेदारी पाँच में से एक से बढ़कर चार में से एक हो गई है।
- 2021 तक, दक्षिण एशिया एकमात्र उपक्षेत्र रहा जहाँ कृषि युवाओं का सबसे बड़ा नियोक्ता था, जो युवाओं के रोजगार का 35% हिस्सा था।

निष्कर्ष:

जब दुनिया भर में लाखों युवा अच्छे काम की कमी से जूझ रहे हैं, तो एक स्थिर भविष्य की कल्पना करना चुनौतीपूर्ण है। इससे वे असुरक्षित हैं और अपने परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में असमर्थ हैं। शांतिपूर्ण समाजों को अक्सर स्थिरता, समावेशिता और सामाजिक न्याय द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें युवाओं के लिए सभ्य काम इन तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के लिए अवसर असमान हैं और कई युवा महिलाओं, सीमित वित्तीय साधनों वाले या अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और सभ्य नौकरियों तक समान पहुंच के बिना, कई युवा बेहतर भविष्य के अवसरों से चूक सकते हैं।

क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे विकसित भारत के लिए नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से राज्यों के बीच उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क:

- यह फ्रेमवर्क चार प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य
  - समृद्धि
  - सुशासन
- सुराज्य मान्यता इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों और संगठनों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करती है।

शिक्षा:

- यह क्षेत्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं को मजबूत करना शामिल है।
- नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, उत्तर प्रदेश मान्यता, मूल्यांकन और रेटिंग में सबसे आगे है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रमुख स्थान पर है।

स्वास्थ्य:

- इस स्तंभ का उद्देश्य पूरे देश में उच्चतम मानक की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है।
- छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम और मणिपुर आयुष्मान आरोग्य योजना (एनएबीएच) में पूर्ण प्रमाणन के साथ सबसे आगे हैं।
- तमिलनाडु और महाराष्ट्र मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स (एमईएलटी) रैंकिंग (एनएबीएल) में शीर्ष स्थान पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ आयुष्मान आरोग्य योजना में 100% प्रमाणन के साथ सबसे आगे है, जबकि जम्मू और कश्मीर 71.

43% प्रमाणन दर के साथ सराहनीय प्रदर्शन करता है। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स (एमईएलटी) में भी प्रमुख हैं।

समृद्धिः

- यह स्तंभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण और औद्योगिक प्रथाओं में गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान सबसे अधिक शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रमाणन के साथ अग्रणी हैं, विशेषकर माइक्रो श्रेणी में। जम्मू और कश्मीर और दिल्ली ने भी महत्वपूर्ण शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रमाणन प्राप्त किया है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी LEAN योजना में, महाराष्ट्र और बिहार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।

सुशासनः

- यह स्तंभ पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने पर जोर देता है, जो गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है।
- यह श्रेणी भविष्य के संस्करणों में शामिल की जाएगी।

निष्कर्षः

अगस्त 2024 से शुरू होने वाली क्यूसीआई सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। विभिन्न पहलों से मासिक और संचयी डेटा का उपयोग करके संकलित ये रैंकिंग एक संतुलित और समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करती हैं। इस ढांचे का लक्ष्य गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों और संगठनों को मान्यता और पुरस्कृत करके भारत के विकास को बढ़ावा देना है। सहयोगात्मक शासन और सतत विकास को प्रोत्साहित करके, यह ढांचा एक समृद्ध और गुणवत्ता-केंद्रित विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

जीन-एडिटिंग कीटनाशक के प्रभाव पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आउटडोर जीनोम संपादन से अनुमानित बहुप्रजाति अनपेक्षित प्रभाव (Predicted Multispecies Unintended Effects from Outdoor Genome Editing) नामक एक अध्ययन में जीन-संपादित कीटनाशकों के प्रभावों पर चिंताजनक जानकारी प्रस्तुत की गयी हैं। यह अध्ययन ब्राजील, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें 18 प्रजातियों की जांच की गई जो कृषि क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जिनमें मानव, मवेशी, मुर्गियां, चूहे, और विभिन्न कीट और पौधे शामिल हैं।

जीन-संपादित कीटनाशक क्या हैं?

- जीन-संपादित कीटनाशक, जिन्हें जेनेटिकली मोडिफाइड या बायोटेक्नोलॉजी-व्युत्पन्न कीटनाशक भी कहा जाता है, ऐसे पदार्थ हैं जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए जीन इंजीनियरिंग द्वारा बनाए जाते हैं।
- इनमें एक जीव के जीन को फसल के पौधे के डीएनए में सम्मिलित किया जाता है, जिससे एक ऐसा विषैला प्रोटीन उत्पन्न होता है जो कीटों को मारने में सक्षम होता है।

जीन-संपादित कीटनाशकों के प्रकारः

- **Bt (Bacillus thuringiensis) फसलें:** ये फसलें कुछ कीटों के लिए विषैले प्रोटीन उत्पन्न करती हैं।
- **RNA इंटरफेरेंस (RNAi) फसलें:** ये फसलें विशिष्ट कीट जीन को निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे कीटों की जीवित रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
- **वायरस-प्रतिरोधी फसलें:** ये फसलें ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करती हैं जो वायरस की प्रतिकृति को बाधित करते हैं।

जीन-संपादित कीटनाशकों के उदाहरणः

- Bt कपास (Bacillus thuringiensis)
- गोल्डन राइस
- RNAi मक्का (RNA इंटरफेरेंस)

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

- अध्ययन से यह पता चला कि बाहरी कीटनाशक अनुप्रयोगों में जीन-संपादित उपकरणों, जैसे CRISPR/Cas9 का उपयोग, 'नॉन-टारगेट ऑर्गेनिज्म' (NTOs) पर अप्रत्याशित रूप से प्रभाव डाल सकता है।
- ये प्रभाव सीधे संपर्क, इनहेलेशन, या कीटनाशक अवशेषों के सेवन के कारण हो सकते हैं। परिणाम चिंताजनक हैं, क्योंकि ये मानवों में कैंसर और हार्मोन मेटाबोलिज्म से संबंधित रोगों का कारण बन सकते हैं, जबकि जानवरों और पौधों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं, आवश्यक अणुओं के निर्माण, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- शोधकर्ताओं ने विभिन्न तरीकों जैसे सिंचाई पानी, फ्यूमिगेशन, या सीधे मिट्टी के माध्यम से जीन-संपादित कीटनाशकों के प्रभावों का आकलन करने के लिए कंप्यूटर पूर्वानुमान मॉडलिंग का उपयोग किया।
- परिणामों में 18 में से 12 प्रजातियों में इन कीटनाशकों के संपर्क के कारण संभावित 'अप्रत्याशित संक्रमण' का जोखिम पाया गया। विशेष रूप से, सभी परिदृश्यों में मानवों को सबसे अधिक संवेदनशील पाया गया।

नीति और नियमन पर प्रभावः

- ये निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण समय पर सामने आए हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र, जैसे यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड, जीन-संपादन तकनीकों को उनके संभावित लाभों के कारण अपनाने पर विचार कर रहे हैं।
- शोधकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा जोखिम मूल्यांकन ढांचे इन नई जीन इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त हैं।

वे अद्यतन कानूनी और नियामक उपकरणों की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, जो जीन-संपादन तकनीकों की पर्यावरणीय स्थिरता और संभावित खतरों को सही ढंग से संबोधित कर सकें।

- अध्ययन ने जीन-संपादित कीटनाशकों के व्यापक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि लक्षित कीटों के साथ-साथ उन अनेकों जीवों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जो हमारी कृषि भूमि साझा करते हैं।

आगे की राहः

जैसे-जैसे जीन-संपादन तकनीकें उन्नति कर रही हैं, नवाचार और व्यापक जोखिम मूल्यांकन के साथ-साथ नियामक निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया है। यह सुनिश्चित करना कि ये तकनीकें सभी प्रभावित प्रजातियों, जिनमें मानव भी शामिल हैं, के लिए सुरक्षित हों।

भारत में तरल प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैस संघ (IGU) द्वारा जारी की गई विश्व एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका सयुंक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्तिकर्ता बन गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुः

- विश्व एलएनजी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत को अमेरिकी एलएनजी निर्यात महामारी-पूर्व (2019) में 1.8 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021 में 3.86 मीट्रिक टन हो गया था। हालांकि, वर्ष 2022 में उच्च कीमतों के कारण यह घटकर 2.16 मीट्रिक टन रह गया।
- वर्ष 2023 में, अमेरिका ने 3.09 MT एलएनजी आपूर्ति करके यूएई को पीछे छोड़ दिया और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया।
- भारत को यूएई की एलएनजी आपूर्ति में उतार-चढ़ाव रहा, जो 2019 में 2.6 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020 में 3.32 मीट्रिक टन हो गई, लेकिन 2022 में गिरकर 2.59 मीट्रिक टन और 2023 में 2.85 मीट्रिक टन हो गई।
- कतर वर्ष 2019 से 2023 तक भारत का शीर्ष एलएनजी आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिसकी शिपमेंट लगातार 10 मीट्रिक टन से अधिक रही, सिवाय 2019 के जब यह 9.7 मीट्रिक टन थी। 2023 में, कतरी एलएनजी शिपमेंट 10.92 मीट्रिक टन के शिखर पर पहुंच गई।
- भारत के एलएनजी आयात में अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। नाइजीरिया और अंगोला, जिन्होंने 2019 में क्रमशः 2.7 और 2.9 मीट्रिक टन की आपूर्ति की, 2023 तक उनका निर्यात घटकर केवल 0.73 मीट्रिक टन रह गया।
- यह गिरावट 2021 में शुरू हुई, आंशिक रूप से नाइजीरियाई एलएनजी सुविधाओं में परिचालन व्यवधान और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण, साथ ही अफ्रीकी एलएनजी को यूरोप जैसे अधिक लाभकारी बाजारों में भेजा जा रहा था।

एलएनजी आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकः

- **अमेरिकी एलएनजी निर्यात में वृद्धिः** अमेरिकी एलएनजी निर्यात 2023 में 89 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है। भारत की भौगोलिक निकटता, जो अमेरिकी एलएनजी कार्गो के लिए माल ढुलाई लागत को कम करती है, जिसने इसे एक अनुकूल बाजार बना दिया है।
- **दीर्घकालिक अनुबंधः** अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं और भारतीय संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक अनुबंधों ने भारत में एलएनजी की खपत को समर्थन दिया है।

भारत के लिए एलएनजी क्यों आवश्यक है?

- **ऊर्जा विविधीकरणः** भारत का लक्ष्य कोयले और तेल पर निर्भरता को कम करके अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना है। एलएनजी एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है और ऊर्जा मिश्रण को संतुलित करने में मदद करता है।
- **पर्यावरणीय लाभः** कोयले और तेल की तुलना में एलएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है।
- **बढ़ती ऊर्जा मांगः** बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास के साथ, भारत की ऊर्जा खपत बढ़ रही है। एलएनजी इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है।
- **बुनियादी ढांचे का विकासः** आयात टर्मिनलों और पाइपलाइनों का विस्तार, ऊर्जा वितरण में सुधार और देश भर में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **आर्थिक लाभः** अनुकूल अंतरराष्ट्रीय एलएनजी कीमतें ऊर्जा लागत को कम कर सकती हैं और विभिन्न उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोत प्रदान करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

निष्कर्षः

एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स द्वारा प्रकाश डाला गया है कि भारत को एलएनजी-आधारित मूल्य निर्धारण सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, एलएनजी इन्वेंट्री स्तरों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए। ये उपाय ऊर्जा बाजार को अनुकूलित करने, मूल्य जोखिमों को कम करने और एलएनजी आयात में वृद्धि को समर्थन देने में मदद करेंगे।

ब्रेन बूस्टर

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, 2024 को मनाया। यह 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 मिशन से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग का प्रतीक है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय है 'चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति: भारत की अंतरिक्ष गाथा।' (Touching Lives while Touching the Moon: India's Space Saga)।

चंद्रयान-3 मिशन के बारे में

- चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया।

मिशन का उद्देश्य:
- चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना।
- वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर तैनात करना।
- चंद्र सतह, उपसतह और वायुमंडल का अध्ययन करना।

मुख्य घटक:
- लैंडर (विक्रम): इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है।
- रोवर (प्रज्ञान): संस्कृत में इसका अर्थ है 'ज्ञान'।
- प्रणोदन मॉड्यूल: मिशन के लिए प्रणोदन प्रदान करता है।

मिशन टाइमलाइन:
- लॉन्च: 14 जुलाई, 2023
- चंद्र कक्षा में प्रवेश: 5 अगस्त, 2023
- विक्रम लैंडर का अलग होना: 21 अगस्त, 2023
- सॉफ्ट लैंडिंग: 23 अगस्त, 2023

चंद्र मिशन

- **चंद्रयान-1 (2008-2009):** भारत का पहला चंद्र अन्वेषण, 22 अक्टूबर, 2008 को लॉन्च किया गया। इसमें एक ऑर्बिटर और इम्पैक्टर शामिल था, जिसने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की।
- **चंद्रयान-2 (2019):** 22 जुलाई, 2019 को लॉन्च किया गया, इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। ऑर्बिटर काम कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण लैंडर उतरते समय क्रैश हो गया।
- **चंद्रयान-3 (2023):** 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा।

सौर मिशन

आदित्य-एल1: भारत का पहला सौर मिशन, सौर कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। इसने 6 जनवरी, 2024 को सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु (एल1) के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश किया।

अंतरग्रहीय मिशन

- **मंगल ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान):** 5 नवंबर, 2013 को लॉन्च किया गया, इसने 24 सितंबर, 2014 से मंगल की परिक्रमा की, जिससे भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला पहला देश बन गया।

नियोजित भावी मिशन

- **गगनयान:** भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसमें पहले मानवयुक्त मिशन से पहले परीक्षण उड़ानें शामिल हैं।
- **निसार (2025):** रिमोट सेंसिंग के लिए नासा-इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह।
- **वीनस ऑर्बिटर मिशन (शुक्रयान) और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 (2027):** क्रमशः शुक्र और मंगल के लिए नियोजित मिशन।
- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2028-2035):** भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन।

ब्रेन बूस्टर

पेरिस ओलंपिक 2024

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा, जो टोक्यो 2020 में 48वें स्थान से नीचे है। खेलों में 200 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम के 10,500 से अधिक एथलीटों ने 329 स्पर्धाओं में 32 खेलों में भाग लिया।

मुख्य विशेषताएं

- **लोगो:** पेरिस 2024 का लोगो तीन प्रतीकों को एकीकृत करता है: स्वर्ण पदक, ओलंपिक लौ और मैरिएन, जो क्रमशः उपलब्धि, साझा ऊर्जा और फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **शुभंकर:** आधिकारिक शुभंकर, 'फ्रीज' फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जो स्वतंत्रता और क्रांति का प्रतीक है।
- **नारा:** 'गेम्स वाइड ओपन' नारा समावेशिता, रचनात्मकता और पारंपरिक मॉडलों से अलग हटकर वैश्विक भागीदारी और एकता का स्वागत करते हुए खेलों की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल छह पदक जीते और पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा।
- **नीरज चोपड़ा:** पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता, जिससे वह भारत के पांचवें दो बार ओलंपिक पदक विजेता बन गए।
- **मनु भाकर:** ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज और एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- **स्वप्निल कुसाले:** पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में कांस्य पदक जीता, जो इस स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक पदक है।
- **भारतीय हॉकी टीम:** टोक्यो 2020 में अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए पुरुषों की फील्ड हॉकी में लगातार पदक हासिल करते हुए कांस्य पदक जीता।
- **अमन सेहरावत:** पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में कांस्य पदक जीता।

भारत के ध्वजवाहक

- **उद्घाटन समारोह:** पुसरला वेंकट सिंधु और अचंता शरत कमल
- **समापन समारोह:** पीआर श्रीजेश और मनु भाकर।

पदक जीतने वाले शीर्ष देश

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 125 पदक (40 स्वर्ण, 44 रजत, 41 कांस्य)
- **चीन:** 91 पदक (40 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य)
- **जापान:** 45 पदक (20 स्वर्ण, 12 रजत, 13 कांस्य)
- **ऑस्ट्रेलिया:** 52 पदक (17 स्वर्ण, 19 रजत, 16 कांस्य)

ओलंपिक में फ्रांस

- फ्रांस ने वर्ष 1900 और 1924 और 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की।
- फ्रांस ने तीन बार शीतकालीन ओलंपिक की भी मेजबानी की है, 1924 में शैमॉनिक्स में, 1968 में ग्रेनोबल में और 1992 में अल्बर्टविले में।
- पेरिस, लंदन और लॉस एंजिल्स के साथ, एकमात्र ऐसा शहर है जिसने तीन बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है।

ब्रेन बूस्टर

रामसर स्थल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में तीन नए रामसर स्थलों की घोषणा की है, जिससे भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। नए स्थलों में तमिलनाडु के नंजारायण बर्ड सैंक्चुअरी और काझुवेली बर्ड सैंक्चुअरी, और मध्य प्रदेश का तवा रिजर्वायर शामिल हुए है।

वेटलैंड और उनका महत्व

- वेटलैंड वे क्षेत्र होते हैं जो स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त होते हैं। इनमें दलदल, फेन, पीटलैंड और विभिन्न जल निकाय शामिल होते हैं।
- ये पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रदूषकों को फिल्टर करके, जल गुणवत्ता में सुधार करके और कार्बन अवशोषण के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
- वेटलैंड क्षेत्र अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करके बाढ़ से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों को समर्थन देते हैं।

रामसर स्थलों के बारे में

- रामसर स्थल वे जलमग्न क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत निर्दिष्ट किया गया है, जो 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- यह कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर जलमग्न क्षेत्रों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- स्थलों का चयन उनके महत्वपूर्ण प्रजातियों का समर्थन करने या प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय प्रदान करने की भूमिका के आधार पर किया जाता है।
- इस कन्वेंशन के 172 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

नंजारायण बर्ड सैंक्चुअरी के बारे में

- तमिलनाडु में नॉयल नदी पर स्थित, यह सैंक्चुअरी एक सिंचाई रिजर्वायर से एक महत्वपूर्ण वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है।
- यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जिसमें यूरोपीय कूट और स्पॉट-बिल्ड डक शामिल हैं, और साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है।

तवा रिजर्वायर

- मध्य प्रदेश में स्थित तवा रिजर्वायर प्रवासी पक्षियों के लिए एक शीतकालीन स्थल के रूप में कार्य करता है।
- यह क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति करता है और स्थानीय मछलियों का निवास स्थान है।

काझुवेली बर्ड सैंक्चुअरी

- तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर स्थित, काझुवेली दक्षिण भारत के सबसे बड़े खारे जलमग्न क्षेत्रों में से एक है।
- इसमें नमक के दलदल, कीचड़ के मैदान और उथले पानी हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे ब्लैक-हेडेड इब्स और ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए आवास प्रदान करते हैं।
- यह बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलस्तर बनाए रखने में भी सहायक है।

ब्रेन बूस्टर

एकीकृत पेंशन योजना

केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

UPS के बारे में

UPS सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करती है, जबकि NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू कर दिया था।

मुख्य विशेषताएँ

सुनिश्चित पेंशन:

- यह पेंशन एक कर्मचारी की औसत मूल वेतन का 50% होगी, जो सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त की गई हो तथा कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष सेवा की हो।
- यह राशि कम सेवा अवधि, यानी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक, के लिए आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:

- यदि किसी की न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होती है, तो UPS के तहत उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:

- सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को उनकी अंतिम पेंशन का 60% पेंशन प्राप्त होगा।

महंगाई समायोजन:

- नई पेंशन पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी, जो भारत सरकार के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की जाएगी, जैसा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए होता है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान:

- यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10वां हिस्सा हर छह महीने की सेवा पूरी होने पर गणना किया जाएगा।

OPS के बारे में

- OPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्यों दोनों में) को उनकी अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, मूल वेतन का कुछ प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में शामिल किया जाता है, ताकि जीवन जीने की लागत में लगातार वृद्धि के लिए समायोजन किया जा सके।

UPS का लाभ कौन उठा सकता है?

- UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन यह उन सभी लोगों पर लागू होगी जिन्होंने 2004 के बाद NPS के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
- NPS सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए, उन्हें जो भी राशि पहले NPS के तहत प्राप्त की है, उसके साथ बकाया राशि का समायोजन किया जाएगा।

ब्रेन बूस्टर

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त, 2024 को गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में, चार श्रेणियों- विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, और विज्ञान टीम में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कार प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में

- **विज्ञान रत्न पुरस्कार:** यह उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में लाइफटाइम योगदान किए हैं।
- **विज्ञान श्री पुरस्कार:** यह उन वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान किया है।
- **विज्ञान युवा-SSB पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक योगदान किया है।
- **विज्ञान टीम पुरस्कार:** यह पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान योगदान किया है।

विजेता

- **विज्ञान रत्न पुरस्कार:** प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को भारत में आण्विक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया।
- **विज्ञान श्री पुरस्कार:** 13 वैज्ञानिकों को उनके विशेष अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया।
- **विज्ञान युवा-SSB पुरस्कार:** 18 वैज्ञानिकों को भारतीय महासागर के गर्म होने और इसके परिणामों से लेकर स्वदेशी 5G बेस स्टेशन और संचार और क्वांटम मैकेनिक्स के सटीक परीक्षणों तक विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- **विज्ञान टीम पुरस्कार:** चंद्रयान-3 की टीम को चंद्रयान-3 लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग के लिए प्रदान किया गया।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति

- प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन, NASI मानद वैज्ञानिक और प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर।
- डॉ. आनंदरामकृष्णन, निदेशक, CSIR- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।
- डॉ. अवेश कुमार त्यागी, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और निदेशक, रसायन विज्ञान समूह, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई।
- प्रोफेसर उषा वर्धन, मानद प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर।
- प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे।
- प्रोफेसर सैयद वाजीह अहमद नकवी, राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, CSIR-नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
- प्रोफेसर भीम सिंह, SERB राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष और एमेरिटस प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली।
- प्रोफेसर डॉ. संजय बिहारी, निदेशक, श्री चित्रा तिरुनल संस्थान फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।
- प्रोफेसर आदिमूर्ति आदि, प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर।
- प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता।

ब्रेन बूस्टर

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)

संविधान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के पक्ष में समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश को अब ऐसे नागरिक कानून की ओर बढ़ने का समय आ गया है जो "धार्मिक" न हो बल्कि "धर्मनिरपेक्ष" और "भेदभाव रहित" हो।

संविधानिक प्रावधान

राज्य नीति के निदेशात्मक तत्वः UCC की कल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत की गई है। यह अनुच्छेद कहता है, 'राज्य नागरिकों को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।'

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **ब्रिटिश कालः** ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान सामान्य नागरिक संहिता के विचार पर चर्चा की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन ने विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत कानून पेश किए थे।
- **स्वतंत्रता के बादः** 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं ने UCC को निदेशात्मक तत्वों में शामिल किया, जो एक एकीकृत कानूनी ढांचे की विजन को दर्शाता है।

UCC के पक्ष में तर्क

समानता और न्यायः

- UCC एक सामान्य कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जो सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को उनके धर्म के बावजूद कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा मिले।
- यह कानूनी भिन्नताओं को समाप्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक कानूनी मामलों में समान रूप से व्यवहार किए जाएं।

राष्ट्रीय एकताः

- यह धार्मिक और सांस्कृतिक विघटन को कम करके एकता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देगा।

कानूनी प्रणाली का सरलीकरणः

- एक समान संहिता, व्यक्तिगत कानूनों के विभिन्न सेटों को ध्यान में रखने की आवश्यकता को समाप्त करके कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगी।

UCC के विरोध में तर्क

- **धार्मिक स्वतंत्रताः** आलोचक कहते हैं कि UCC विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान कम हो सकती है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलताः** एक समान संहिता को लागू करने को सभी पर एक जैसा दृष्टिकोण लागू करने के रूप में देखा जा सकता है, जो विभिन्न समुदायों की विविध सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं का पर्याप्त सम्मान नहीं कर सकता है।
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएंः** UCC एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, और इसके लागू होने की कोई भी पहल विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण विरोध और अशांति उत्पन्न कर सकती है।

ब्रेन बूस्टर

ला नीना

सितंबर में केंद्रीय प्रशांत महासागर के ठंडा होने की संभावना के साथ, जो कि ला नीना का संकेत है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर में उत्तरी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

ला नीना के बारे में

- ला नीना एक जलवायु घटना है जो केंद्रीय और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में औसत से ठंडे समुद्री सतह तापमान द्वारा विशेष रूप से पहचानी जाती है।
- यह एलनीनो की विपरीत घटना है, जिसमें समुद्री तापमान औसत से अधिक गर्म होते हैं।
- ला नीना और एलनीनो दोनों एल नीनो-सदर्न ओस्सिलेशन (ENSO) चक्र का हिस्सा हैं, जिसका वैश्विक मौसम पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भारत पर ला नीना का प्रभाव

मानसून ऋतु:

- ला नीना अक्सर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को मजबूत करती है, जिससे मानसून ऋतु (जून से सितंबर) के दौरान बारिश में वृद्धि होती है।

सर्दियों का तापमान:

- ला नीना उत्तरी भारत, विशेषकर हिमालय की तलहटी में सर्दियों के महीनों (दिसंबर से फरवरी) के दौरान ठंडे तापमान का कारण बन सकती है।

चक्रवात गतिविधि:

- भारतीय महासागर क्षेत्र में चक्रवातों की अधिक घटनाएं हो सकती हैं, जो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित कर सकती हैं।

कृषि:

- **सकारात्मक प्रभाव:** मानसून की बढ़ती वर्षा कृषि के लिए लाभकारी हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो फसलों के लिए मौसमी वर्षा पर निर्भर करते हैं।
- **नकारात्मक प्रभाव:** अत्यधिक वर्षा बाढ़ और फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है।

वॉकर सर्कुलेशन

वॉकर सर्कुलेशन एक बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय सर्कुलेशन पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में तापमान भिन्नताओं द्वारा संचालित होता है।

वॉकर सर्कुलेशन कैसे काम करता है?

- **वाणिज्यिक पवन:** वॉकर सर्कुलेशन वाणिज्यिक पवनों द्वारा संचालित होता है, जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हैं। ये पवन गर्म सतही जल को पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया की ओर धकेलते हैं, जिससे वहाँ उच्च समुद्री सतह तापमान का क्षेत्र बनता है।
- **गर्म जल और उभरती हवा:** पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया के पास गर्म जल का संचय उच्च समुद्री सतह तापमान का कारण बनता है, जो ऊपर की हवा को गर्म करता है। गर्म हवा अपनी कम घनत्व के कारण ऊपर उठती है, जिससे एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है।
- **उच्च ऊंचाई पर प्रवाह:** जैसे-जैसे गर्म हवा उठती है, यह ठंडी और संकुचित होती है, जिससे बादलों का निर्माण और वर्षा होती है। ऊपरी स्तर की हवा फिर पूर्व की ओर केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत की ओर बहती है।
- **उतरती हवा:** केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत में ठंडी हवा नीचे की ओर गिरती है क्योंकि यह अधिक घनत्व वाली होती है। यह एक उच्च दबाव क्षेत्र बनाती है और सर्कुलेशन लूप को पूरा करती है।

ब्रेन बूस्टर

सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना

अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में लगभग 600 लोगों ने खराब मौसम की परवाह किए बिना सियांग नदी पर प्रस्तावित 12,500 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के लिए "जबरदस्ती सर्वेक्षण सह पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर)' का विरोध किया। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, जिसका स्थानीय लोग मुख्य रूप से आदि समुदाय से संबंधित हैं और वे इसका विरोध कर रहे हैं।

अवलोकन

- **स्थान:** यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
- **उद्देश्य:** इस परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति करना है।

मुख्य विशेषताएं

- **क्षमता:** इस परियोजना की 12500 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता होने की परिकल्पना की गई है।
- **बांध निर्माण:** इसमें पानी के भंडारण के लिए जलाशय बनाने के लिए बड़े बांधों का निर्माण करना शामिल है। इससे नदी के प्रवाह को प्रबंधित करने और विभिन्न उपयोगों के लिए जल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

उद्देश्य

- **बिजली उत्पादन:** प्राथमिक लक्ष्यों में से एक क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए बिजली उत्पन्न करना और राष्ट्रीय ग्रिड में योगदान देना है।
- **बाढ़ नियंत्रण:** नियंत्रित रिलीज के माध्यम से नदी के प्रवाह को विनियमित करके, परियोजना का उद्देश्य मौसमी बाढ़ के प्रभाव को कम करना है जो निचले इलाकों को प्रभावित कर सकती है।
- **सिंचाई:** परियोजना द्वारा बनाए गए जलाशयों का उद्देश्य कृषि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, स्थानीय कृषि गतिविधियों का समर्थन करना और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है।
- **जलापूर्ति:** परियोजना का उद्देश्य घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्धता में सुधार करना है।

पर्यावरणीय और सामाजिक विचार

- **विस्थापन:** सियांग ऊपरी परियोजना में, परियोजना क्षेत्र में रहने वाली स्वदेशी और स्थानीय आबादी का पुनर्वास शामिल हो सकता है।
- **पारिस्थितिकी प्रभाव:** बांधों और जलाशयों के निर्माण से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ सकता है, जिससे जलीय और स्थलीय आवास प्रभावित हो सकते हैं।
- **अवसादन और जल गुणवत्ता:** जलाशयों के कारण अवसादन हो सकता है, जो जल गुणवत्ता और जलविद्युत सुविधाओं की दीर्घकालिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।

चुनौतियाँ

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** पर्यावरणविद और स्थानीय समुदाय अक्सर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताएँ जताते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** समुदायों का विस्थापन और उनके पारंपरिक जीवन-शैली में बदलाव विवादास्पद हो सकते हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

ब्रेन बूस्टर

बायोई3 नीति (BioE3 Policy)

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी (बायोई3) नीति 2024 जारी की। डॉ. सिंह ने कहा कि यह नीति देश में उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देगी।

उद्देश्य

इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देकर, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करके भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति में बदलना है।

नीति के बारे में

- नीति के अंतर्गत अत्याधुनिक जैव विनिर्माण सुविधाएं, जैव-फाउंड्री क्लस्टर और जैव-एआई हब स्थापित की जाएँगी।
- ये बुनियादी ढांचे जैव-आधारित उत्पादों के उत्पादन, विकास और व्यावसायीकरण के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीकृत सुविधाओं के रूप में काम करेंगे।
- वे प्रयोगशाला-पैमाने और वाणिज्यिक-पैमाने के विनिर्माण के बीच की खाई को पाटेंगे, स्टार्टअप, एसएमई और स्थापित निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

बायोई3 नीति की मुख्य विशेषताएं

- **उच्च प्रदर्शन वाली बायोमैन्युफैक्चरिंग:** यह नीति उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए दवाओं और सामग्रियों से लेकर कृषि इनपुट और औद्योगिक वस्तुओं तक जैव-आधारित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन पर जोर देती है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** नीति का उद्देश्य पर्यावरण, कृषि और औद्योगिक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव-आधारित समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- **क्षमता निर्माण:** नीति के तहत पहलों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए इंटर्नशिप और उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए फेलोशिप शामिल हैं, जिसका उद्देश्य एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना:** सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण और जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को संबोधित करके राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना।

जैव प्रौद्योगिकी के बारे में

जैव प्रौद्योगिकी में उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए जैविक प्रणालियों और जीवों का उपयोग करना शामिल है। इसमें जीनोमिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो आनुवंशिक जानकारी में हेरफेर और विश्लेषण करती हैं।

रणनीतिक विषयगत क्षेत्र

बायोई3 नीति छह महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों को लक्षित करती है:

- **जैव-आधारित रसायन और एंजाइम:** उच्च-मूल्य वाले जैव-आधारित उत्पादों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन:** खाद्य गुणवत्ता और पोषण मूल्य को बढ़ाना।
- **सटीक जैव चिकित्सा:** लक्षित उपचार और चिकित्सा को आगे बढ़ाना।
- **जलवायु लचीला कृषि:** पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **कार्बन कैप्चर और उपयोग:** अभिनव कार्बन प्रबंधन समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना।
- **भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान:** नए क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खोज करना।

ब्रेन बूस्टर

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के लिए साझा चिंता के अंतरराष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

उत्पत्ति

आरंभ: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका, मॉरीशस और मालदीव के बीच सुरक्षा वार्ता और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इसका नाम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के नाम पर रखा गया, जहाँ उद्घाटन बैठक हुई थी।

उद्देश्य

- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** सीएससी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और मानव तस्करी सहित आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
- **समुद्री सुरक्षा:** समुद्री मार्गों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने तथा समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार के लिए अन्य खतरों से निपटने पर अत्यधिक ध्यान देना।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** मंच आतंकवाद और संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहता है।

सदस्य देश

- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संस्थापक सदस्य हैं:
  - भारत
  - श्रीलंका
  - मालदीव
  - मॉरीशस
- पर्यवेक्षक
  - बांग्लादेश
  - सेशेल्स

प्रमुख गतिविधियाँ

बैठकें और संवाद:

नियमित बैठकें:

- सीएससी क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।
- इन बैठकों में अक्सर सदस्य देशों के उच्च-स्तरीय अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

कार्यशालाएँ और सेमिनार:

- मंच ज्ञान साझाकरण को बढ़ाने और सुरक्षा चुनौतियों पर संयुक्त रणनीति विकसित करने के लिए कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित करता है।

सहयोग और सहयोग:

संयुक्त अभ्यास:

- सीएससी सदस्य देशों के सुरक्षा बलों की परिचालन तत्परता में सुधार के लिए संयुक्त समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

सूचना साझा करना:

- मंच सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

सामरिक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र:

- हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग हैं।
- सीएससी का उद्देश्य इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है।

चीन का प्रभाव:

- हिंद महासागर में चीन के प्रभाव में वृद्धि ने सीएससी जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों के महत्व को बढ़ा दिया है।
- यह मंच सदस्य देशों को क्षेत्रीय भू-राजनीति और सुरक्षा गतिशीलता की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।

ब्रेन बूस्टर

आईएनएस अरिघात

भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पिछले कुछ महीनों में इस पनडुब्बी का व्यापक परीक्षण किया गया है।

आईएनएस अरिघात के बारे में

- 6,000 टन वजनी आईएनएस अरिघात अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत के साथ भारत के परमाणु त्रय के एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल हो गया है।
- परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अरिघात स्वदेश निर्मित के-15 मिसाइलों से लैस होगा, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है।
- अरिघात को 83 मेगावाट के दबाव वाले हल्के पानी के परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित किया जाता है, जो इसे पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में बहुत लंबे समय तक पानी में डूबे रहने और गुप्त रहने की सुविधा देता है।

परमाणु त्रय

- परमाणु त्रय, जो किसी देश की हवा, जमीन और समुद्र में प्लेटफार्मों से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता को संदर्भित करता है।
- भारत परमाणु त्रय क्षमताओं वाले देशों के एक चुनिंदा समूह का हिस्सा है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं।
- 2016 में नौसेना में आईएनएस अरिहंत को शामिल करने से भारत को पहली बार समुद्री हमला करने की क्षमता मिली।

परमाणु हमला करने की क्षमता

- परमाणु क्षमता वाली अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों को जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
- भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान राफेल, Su-30MKI और मिराज 2000 परमाणु हथियार ले जा सकते हैं।
- परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अरिघात को स्वदेश निर्मित K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा।

'नो फर्स्ट यूज' नीति

- 'नो फर्स्ट यूज' नीति कुछ देशों द्वारा अपनाई गई एक परमाणु रणनीति या सिद्धांत है जो परमाणु हथियारों का उपयोग केवल जवाबी कार्रवाई में करने के लिए प्रतिबद्ध है और कभी भी पहले हमले के रूप में नहीं।
- इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके परमाणु संघर्ष की संभावना को कम करना है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल हमले के जवाब में किया जाए न कि प्रारंभिक आक्रामक उपाय के रूप में।

नौसेना की पनडुब्बियाँ

- अरिहंत और अरिघात से बड़ी, लगभग 7,000 टन विस्थापन वाली दो परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियाँ (SSBN) वर्तमान में बनाई जा रही हैं।
- इन दो पनडुब्बियों में से पहली को 2021 में लॉन्च किया गया है, और परीक्षण लंबित होने के कारण कमीशनिंग की प्रतीक्षा कर रही है; दूसरी पर काम चल रहा है।
- भारतीय नौसेना के पास सेवा में 16 पारंपरिक पनडुब्बियाँ भी हैं, जिनमें सात किलो (सिंधुघोष) श्रेणी, चार शिशुमार श्रेणी और पाँच फ्रांसीसी स्कॉर्पीन (कलवरी) श्रेणी की हमलावर पनडुब्बियाँ हैं।
- अपने संचालन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पूरा करने के लिए, नौसेना को 18 पनडुब्बियाँ रखने की अनुमति है, जिसे INS अरिघात के शामिल होने के साथ हासिल किया गया है।
- हालाँकि, किसी भी समय, बेड़े का लगभग 30% हिस्सा रिफिट (मरम्मत और नवीनीकरण) के अधीन होता है, जिससे परिचालन पनडुब्बियों की ताकत कम हो जाती है।

ब्रेन बूस्टर

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 28 अगस्त, 2024 को 10 साल पूरे कर लिये। पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च किया गया था। पिछले एक दशक में, 53.13 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें 29.56 करोड़ महिला लाभार्थी हैं, जो क्रमशः यूरोपीय संघ की जनसंख्या से अधिक और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है।

जन धन योजना की विशेषताएँ

- **आयोजित शिविर:** देश भर में 77,892 शिविर
- **खोले गए खाते:** इन शिविरों के माध्यम से लगभग 1.8 करोड़ खाते
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** PMJDY ने वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के अभियान को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया
- **उद्देश्य:** बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के लिए बुनियादी बचत बैंक खाते खोलना
- **खाता शेष:** न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं; खातों में नियमित खातों की तरह जमा राशि पर ब्याज मिलता है
- **रुपे डेबिट कार्ड:** PMJDY खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए
- **दुर्घटना बीमा कवर:** रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का कवर; 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया।
- पात्र PMJDY खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
- PMJDY खाते निम्न के लिए भी पात्र हैं:
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  - अटल पेंशन योजना
  - माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना

पीएमजेडीवाई का प्रभाव

पीएमजेडीवाई का परिवर्तनकारी प्रभाव:

- जेएएम ट्रिनिटी (पीएमजेडीवाई, आधार और मोबाइल) का हिस्सा इस योजना का वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

बढ़ी हुई बैंकिंग अवसंरचना:

- **बैंक शाखाएँ:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या 2013 में 1,05,992 से 46% बढ़कर 2023 में 1,54,983 हो गई।
- **एटीएम:** जून 2014 में 1,66,894 से 30% बढ़कर 2024 में 2,16,914 हो गई।
- **बिक्री केंद्र:** पिछले 10 वर्षों में 10.88 लाख से बढ़कर 89.67 लाख हो गए।

उन्नत भुगतान समाधान:

- **यूपीआई का प्रारंभ:** पीएमजेडीवाई के दो साल बाद लॉन्च किया गया, जिससे बैंकिंग लेनदेन आसान और बढ़ गया।
- **वित्तीय समावेशन:** मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट (29 जून, 2024) ने बैंक खाता स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो 2014 में 53% से बढ़कर 2021 में 78% हो गई।

संख्याएँ

- **कुल पीएमजेडीवाई खाते:** 53.13 करोड़ (14 अगस्त, 2024 तक)
  - ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र: 35.37 करोड़ खाते
  - शहरी क्षेत्र: 17.76 करोड़ खाते
- **कुल जमा:** 2,31,235.97 करोड़ रुपये
- **महिला खाताधारक:** 29.56 करोड़ (कुल पीएमजेडीवाई खातों के आधे से ज्यादा)
- **जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड:** 36.14 करोड़

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

तिमोर लेस्ते

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति होर्ता द्वारा तिमोर-लेस्ते के ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया।

तिमोर लेस्ते के बारे में:

- पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर-लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण-पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जलडमरूमध्य, उत्तर-पश्चिम में ओमबाई जलडमरूमध्य और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी तिमोर से घिरा है, जो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत का हिस्सा है।
- देश तिमोर द्वीप के पूर्वी आधे हिस्से पर कब्जा करता है, जबकि पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है।
- 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा मूल रूप से उपनिवेशित पूर्वी तिमोर को पुर्तगाल की वापसी के बाद 1975 में इंडोनेशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष चला।
- वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरियों ने स्वतंत्रता के लिए भारी मतदान किया।
- इस निर्णय के कारण हिंसा और बढ़ गई, जब तक कि शांति सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया और पूर्वी तिमोर को आधिकारिक तौर पर 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई।

गुआम द्वीप

हाल ही में INS शिवालिक दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास RIMPAC 2024 में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद एक ऑपरेशनल टर्नअराउंड के लिए गुआम पहुंचा।

गुआम द्वीप के बारे में:

- गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप क्षेत्र है।
- यह मारियाना द्वीप समूह का सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसकी राजधानी हैगाना (अगाना) है।
- गुआम 1898 तक स्पेन के कब्जे में था, जब इसे स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गया था।
- द्वीप में मूल आबादी को चमोरोस के रूप में जाना जाता है। वे मलय-इंडोनेशियाई वंश के हैं, जिनमें स्पेनिश, फिलिपिनो, मैक्सिकन और अन्य यूरोपीय और एशियाई वंशों का महत्वपूर्ण मिश्रण है।

बोत्सवाना

हाल ही में बोत्सवाना में एक कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड द्वारा संचालित खदान में 2,492 कैरेट का हीरा मिला है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है।

बोत्सवाना के बारे में:

- बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थल-रुद्ध देश है, जिसकी सीमा उत्तर-पूर्व में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उत्तर और पश्चिम में नामीबिया और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में दक्षिण अफ्रीका से लगती है।
- देश का सबसे ऊँचा स्थान त्सोडिलो हिल्स है।
- इसकी राजधानी गैबोरोन है।
- बोत्सवाना की प्रमुख नदियों में लिम्पोपो, ओकावांगो और शाशे शामिल हैं, जिसमें मोलोपो नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
- देश की जलवायु अर्ध-शुष्क है, जो वर्ष के अधिकांश समय गर्म और शुष्क परिस्थितियों की विशेषता है। बोत्सवाना को दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी के लिए भी जाना जाता है।

सेंट मार्टिन द्वीप

हाल ही में सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद विवाद का केंद्र बन गया।

सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में:

- सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश-म्यांमार सीमा के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार-टेकनाफ क्षेत्र के दक्षिणी सिरे से लगभग नौ किलोमीटर दूर है।
- 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप ज्यादातर समतल है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3.6 मीटर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, जिसके पश्चिम-पश्चिमोत्तर में 10-15 किलोमीटर तक प्रवाल भित्तियाँ फैली हुई हैं और यह समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है।
- लगभग 5,000 साल पहले, यह द्वीप धीरे-धीरे समुद्र में डूबने से पहले टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था। लगभग 450 साल पहले, सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी हिस्से फिर से उभरे।
- 18वीं शताब्दी में पहले बसने वालों में से एक अरब व्यापारियों ने शुरू में इस द्वीप का नाम 'जजीरा' (जिसका अर्थ है 'द्वीप' या 'प्रायद्वीप') रखा था और बाद में इसका नाम बदलकर 'नारिकेल जिंजीरा' कर दिया, जिसका अर्थ है 'नारियल द्वीप'।

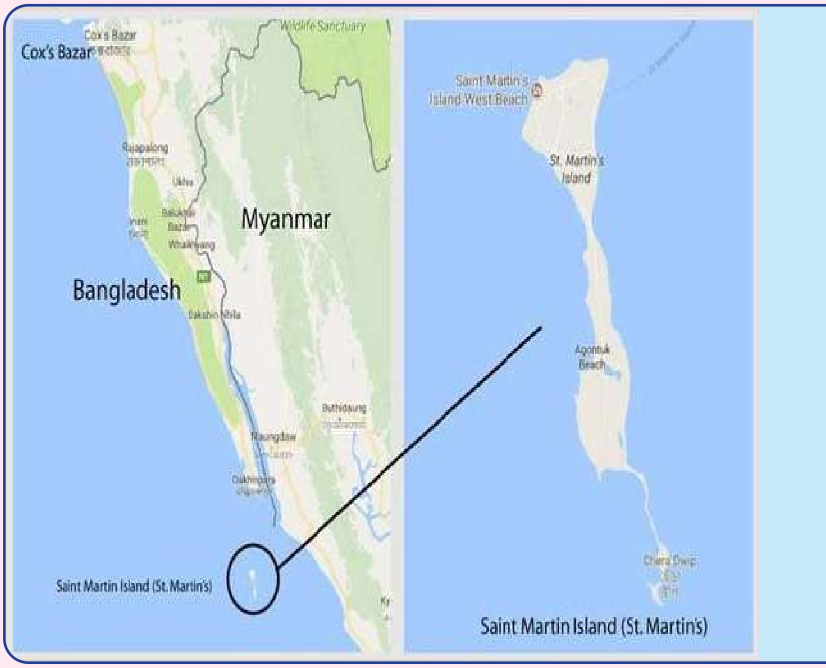

राज्य आधारित करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' की शुरुआत

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।

योजना के मुख्य बिंदु:

- ❖ योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ❖ अगले 10 वर्षों में 10 लाख एमएसएमई (MSME) इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत युवा उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जोकि सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना और प्रोत्साहन के लिए उपयोग किया जाएगा।
- ❖ योजना के माध्यम से 10 वर्षों में 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
- ❖ योजना का उद्देश्य नौकरी मांगने की मानसिकता से हटकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इससे राज्य के युवाओं में व्यापारिक और औद्योगिक सोच को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य के किसानों की आय में सुधार और कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 4,000 करोड़ रुपये की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ राज्य के मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह के अनुसार, इस परियोजना से करीब 10 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें 30 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हैं, जो कृषि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं।
- ❖ इस परियोजना के अंतर्गत 1 लाख मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें और बेहतर संसाधनों तक पहुंच बना सकें।
- ❖ 500 किसानों को उन्नत खेती के तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी अध्ययन दौरों पर भेजने की भी योजना है, ताकि वे वैश्विक स्तर की कृषि तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित हो सकें।
- ❖ इस परियोजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की भी योजना बना रही है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, बाजारों तक पहुंच और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
- ❖ इस परियोजना में कार्बन क्रेडिट बाजार का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा।

अयोध्या बना उत्तर प्रदेश का आदर्श सौर नगर

हाल ही में अयोध्या ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक शहर को आदर्श सौर नगर के रूप में मान्यता दी है। अयोध्या को यह उपलब्धि राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के मानक को पूरा करने पर प्राप्त हुई हैं।

मुख्य बिंदु:

- ❖ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार, एक शहर को आदर्श सौर नगर का दर्जा तब मिलता है जब उसका सौर ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सके। अयोध्या ने आवश्यक क्षमता से दोगुनी क्षमता हासिल कर इस मानक को पार कर लिया है। अयोध्या ने 40 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त की है।
- ❖ अयोध्या शहर की अनुमानित बिजली मांग 198 मेगावाट है। इस मांग का 10 प्रतिशत यानि करीब 20 मेगावाट पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 40 मेगावाट तक पहुंच गई है।
- ❖ यह सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा रामपुर हलवारा और माझा सरायरासी गाँवों में सरयू नदी के किनारे स्थापित किया गया है। इस परियोजना की स्थापना से अयोध्या को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेगी।
- ❖ योगी आदित्यनाथ सरकार ने परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को 165 एकड़ से अधिक भूमि 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की मामूली दर पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी थी।

IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉ. प्रशांत पाठक द्वारा 'सुपर-जुपिटर' ग्रह की खोज

हाल ही में IIT कानपुर के अंतरिक्ष, ग्रह एवं खगोल विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग (SPASE) के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रशांत पाठक ने अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की टीम के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण खगोलीय खोज की है। उन्होंने सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहे एक विशाल ग्रह एप्सिलॉन इंडी एब (Epsilon Indi Ab) की खोज की है। यह ग्रह 'सुपर-जुपिटर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- डॉ. प्रशांत पाठक और उनकी टीम ने एक विशाल ग्रह की खोज की, जिसका द्रव्यमान बृहस्पति से कम से कम छह गुना अधिक है।
- यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर खोजा गया पहला परिपक्व ग्रह है जिसे प्रत्यक्ष इमेजिंग तकनीक के माध्यम से देखा गया है। इस खोज में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) के मिड-इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट (MIRI) का उपयोग किया गया।
- ग्रह का तापमान लगभग -1°C (30°F) है और यह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी-सूर्य की दूरी से 28 गुना अधिक दूरी पर करता है।
- यह ग्रह K5V-प्रकार के तारे एप्सिलॉन इंडी ए की परिक्रमा कर रहा है, जो पृथ्वी से 12 प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है।

IIIT इलाहाबाद के विशेषज्ञों द्वारा दृष्टिहीनों के लिए विकसित किया गया अत्याधुनिक उपकरण

IIIT इलाहाबाद और कार्लस्रूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा दृष्टिहीन और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए चार्ट छवियों तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक उपकरण का विकास किया गया है। यह उपकरण, शाहिद अली फारूकी और मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में विकसित हुआ, जो इस क्षेत्र में डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

- इस नवाचारी उपकरण पर आधारित शोध पत्र (जिसका शीर्षक Alt4 ब्लाइंड: चार्ट्स के Alt-Text निर्माण को सरल बनाने के लिए एक यूजर इंटरफेस है) को लिंज, ऑस्ट्रिया में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों की मदद के लिए कंप्यूटर' में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति मिली है।
- परंपरागत रूप से, चार्ट छवियों के लिए वैकल्पिक पाठ (Alt-text) बनाना एक मैन्युअल प्रक्रिया होती थी, जो प्रायः गलत होती थी। यह उपकरण दृष्टिहीन लोगों के लिए चार्ट्स की जटिल जानकारी को समझने में सहायता करने के लिए बनाया गया है।
- यह उपकरण समान चार्ट छवियों से उच्च-गुणवत्ता वाले वैकल्पिक पाठ (Alt-text) को पुनः प्राप्त करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के वर्णन बनाने के लिए संदर्भ मिलते हैं।

प्रयागराज में 6.34 करोड़ से बनेगी नक्षत्र वाटिका और बारह ज्योतिर्लिंग

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुम्भ 2025 को ध्यान में रखते हुए, नक्षत्र वाटिका और बारह ज्योतिर्लिंग के निर्माण की योजना बनाई गई है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और खगोलीय ज्ञान का केंद्र बनेगी।

मुख्य बिंदु:

- भारद्वाज आश्रम में 27 नक्षत्रों और नौ ग्रहों की जानकारी देने के लिए 4.44 करोड़ रुपये से निर्माण होगा।
- मिंटो पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के मॉडल्स के निर्माण के लिए 1.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति। यह ज्योतिर्लिंग मॉडल कल्पवृक्ष के चारों ओर स्थापित किए जाएंगे।
- यह परियोजनाएँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी और महाकुम्भ 2025 के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी दादरी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब (MMLH) के विकास के लिए 7,064 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को समर्थन देना है।

मुख्य बिंदु:

- यह हब 823 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा, जिसमें से 455 एकड़ कोर विकास क्षेत्र होगा।
- यह पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर स्थित है, जो इसे कंटेनर हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू-एडेड पैकिंग के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनाएगा।
- इसमें रेल यार्ड, वाणिज्यिक और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 17.5 एकड़ और अन्य परियोजनाओं के लिए 350 एकड़ शामिल हैं।
- यह हब एक विश्व स्तरीय फ्रेट हैंडलिंग सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिसमें रेल प्लेटफार्म, कस्टम्स क्लियरेंस, कार्गो विभाजन

क्षेत्र, ट्रक पार्किंग क्षेत्र, और हरे-भरे स्थान शामिल होंगे।

- परियोजना का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत किया जा रहा है और इसका पर्यवेक्षण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर निगम (DFCCIL) ने रेल पटरियों और टर्मिनल स्टेशनों के निर्माण के लिए मास्टर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दी है।
- यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देगी, जिससे व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी।

आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से आगरा और ग्वालियर के बीच की दूरी और यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

मुख्य बिंदुः

- इसका उद्देश्य आगरा और ग्वालियर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना और यात्रा समय को कम करना।
- यह एक्सप्रेसवे 88 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण के लिए 4263 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
- मौजूदा 121 किलोमीटर की दूरी घटकर 88 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा समय 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा।
- परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 90% पूरी होने के बाद कार्य आदेश जारी किया जाएगा।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ राष्ट्रीय अवसंरचना विकास योजना का हिस्सा है।
- परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक विकास में भी वृद्धि होगी।

बांदा में बुंदेलखंड का पहला साइंस पार्क

हाल ही में बांदा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड का पहला साइंस पार्क जल्द ही बनकर तैयार होगा। इस परियोजना की पहल बांदा प्रशासन द्वारा की गई है और उत्तर प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसे समर्थन दे रहा है।

मुख्य बिंदुः

- काशीराम उपवन में 13.75 हेक्टेयर भूमि में से 5.6 हेक्टेयर भूमि साइंस पार्क के लिए चिह्नित की गई है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की टीम ने भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और परियोजना की औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं।
- कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी गई है। परियोजना तीन चरणों में पूरी होगी, प्रत्येक चरण की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये होगी।

बिहार करंट अफेयर्स

गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मिला गुड़मार

हाल ही में मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की खोज की है। इसमें प्रमुख पौधे गुड़मार (जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे), मनीला इमली (पिथेसेलोबियम डुल्स), और बेर प्रजाति का पौधा (जिजिफस जुजुबा) शामिल हैं।

मुख्य बिंदुः

- गुड़मार का उपयोग मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में किया जाता है। CSIR ने गुड़मार का उपयोग मधुमेह रोधी दवा बीजीआर-34 के विकास में किया है।
- इसके पत्तों में जिम्नेमिक एसिड, फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन होते हैं, जो रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी होते हैं।
- यह पहाड़ी गया जिले में स्थित है और महाभारत तथा बौद्ध अभिलेखों में इसका उल्लेख है। यहाँ ब्रह्मा की स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है, और पितृपक्ष मेले के दौरान पिंडदान की जाती है।
- ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधों की खोज से क्षेत्र की जैव विविधता और औषधीय संभावनाओं को उजागर किया गया है, जो स्थानीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ कर सकता है।

बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी

हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा जिले में एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदुः

- एम्स का निर्माण शोभन-एकमी बाईपास के पास प्रस्तावित 150 एकड़ से अधिक भूमि पर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
- बिहार सरकार जल्द ही प्रस्तावित भूमि को केंद्र सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित करेगी और साइट पर आवश्यक आधारभूत

सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, और फोर लेन कनेक्टिविटी की व्यवस्था करेगी।

- ❖ एम्स का निर्माण दरभंगा में एक नए विकास केंद्र की स्थापना को बढ़ावा देगा, जिससे शहर के विस्तार और नए क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। यह परियोजना रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
- ❖ इसके साथ ही, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) का पुनर्विकास और 2500 बेड वाले नए अस्पताल की योजना भी चल रही है, जो उत्तर बिहार और नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बिहटा में ग्रीनफील्ड टर्मिनल

हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) द्वारा बिहटा, बिहार में ग्रीनफील्ड टर्मिनल स्थापित करने की मंजूरी मिली हैं। बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण और भंडारण में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी।

मुख्य बिंदु:

- ❖ यह टर्मिनल बरौनी-कानपुर उत्पाद पाइपलाइन (BKP) और पटना-मोतिहारी-बैतालपुर पाइपलाइन (PMBP) पर स्थित होगा, जिससे क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
- ❖ परियोजना पर अनुमानित 1,698.67 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- ❖ इस टर्मिनल के निर्माण से बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में सुधार होगा, स्थानीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया

हाल ही में बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसबीआरटी, राज्य के कानून विभाग के अधीन काम करता है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ बिहार सरकार ने सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के साथ पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। यह पंजीकरण बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत अनिवार्य है।
- ❖ अब तक 18 जिलों का डेटा बीएसबीआरटी के पास जमा हो चुका है। जिलाधिकारियों को पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ❖ सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही, अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
- ❖ पंजीकरण अनिवार्य करने का उद्देश्य मंदिरों और मठों की संपत्तियों को अनधिकृत दावों से बचाना है।
- ❖ राज्य में लगभग 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास कुल 4,321.64 एकड़ भूमि है। वहीं, लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास मिलाकर 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।

राजस्थान करेंट अफेयर्स

राजस्थान में पहला किसान कॉल सेंटरः

हाल ही में राजस्थान के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है। यह पहल किसानों को बेहतर सलाह और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ राजस्थान के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। यह कॉल सेंटर किसानों को कृषि संबंधी मुद्दों पर तुरंत और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा।
- ❖ कॉल सेंटर किसानों को कृषि, फसल की देखभाल, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य संबंधित समस्याओं पर सलाह देगा। इस सेवा के तहत कृषि विशेषज्ञ किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे।
- ❖ किसानों को कॉल सेंटर से संपर्क करने के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है: 1800-180-3000। इस नंबर पर कॉल करके किसान कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप अभियानः सक्षम व्यक्तियों के लिए नई पहल

राजस्थान सरकार ने हाल ही में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप' अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देना है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप' अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सक्षम व्यक्तियों को योजना से स्वेच्छा से नाम वापस लेने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- ❖ खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने अपील की है कि सक्षम व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लें, ताकि गरीब परिवारों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- ❖ यदि सक्षम व्यक्ति योजना से अपना नाम वापस लेता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय योजना की पारदर्शिता और गरीबों के लाभ को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।
- ❖ वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 4 करोड़ 40 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क गेहूं वितरित किया जाता है।
- ❖ सक्षम व्यक्तियों द्वारा योजना का लाभ उठाने के कारण जरूरतमंदों को कम आपूर्ति मिल रही थी, जिसे इस अभियान के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू की है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को 'गोल्डन ऑवर' में अस्पताल पहुंचाने पर 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान करती है। यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जनसहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- ❖ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति (Good Samaritan) को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
- ❖ गंभीर घायल व्यक्तियों के लिए यह राशि दी जाएगी, जबकि सामान्य घायल व्यक्तियों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ❖ योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
- ❖ योजना का पूरा बजट सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा, जो इसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है।
- ❖ अस्पताल में कार्यरत केजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (CMO) द्वारा भले व्यक्ति की जानकारी (नाम, पता, बैंक विवरण आदि) दर्ज की जाएगी।
- ❖ यदि घटनास्थल पर थानाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट उपस्थित हों, तो वे भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
- ❖ भले व्यक्ति को सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा और उसकी इच्छानुसार उसे तुरंत अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
- ❖ यदि घायल व्यक्ति सामान्य घायल (Minor Injury) की श्रेणी में आता है, तो उसे अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ❖ इस योजना का उद्देश्य समाज में परोपकार और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

जयपुर में उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन

हाल ही में जयपुर के महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो के उत्तर भारत के पहले हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी द्वारा किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ❖ विप्रो ने इस परियोजना में लगभग 250 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे लगभग 400 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- ❖ इस संयंत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत किया गया है और इसे वैश्विक बाजार की कड़ी मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ❖ इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल पर जोर दिया और राजस्थान को कंपनियों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य बताया। राज्य की नई औद्योगिक नीति में एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।
- ❖ अजीम प्रेमजी ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया।

मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स

देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी

हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का उद्घाटन हुआ, जिससे सहरिया आदिवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस पहल के तहत आदिवासी परिवारों को पक्के आवास प्रदान किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- ❖ शिवपुरी जिले की हातौद, कोटा और डबिया ग्राम पंचायतों में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी तैयार की गई है। इस कॉलोनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री

प्रहलाद पटेल ने किया।

- शिवपुरी जिले में कुल 4443 आवास बनाए गए हैं, जिससे यह जिला देश में जनमन कॉलोनी का रिकॉर्डधारी बन गया है। यह पहल मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाभियान के तहत की गई है, जो विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय परिवारों के लिए पक्का आवास प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश की वाल्मी पहाड़िया बनी जैव विविधता विरासत स्थल

हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित दामखेड़ा और चंदनपुरा की वाल्मी पहाड़ियां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित की गई हैं। ये पहाड़ियां अब भारत की 48वीं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं और मध्य प्रदेश की चौथी।

वाल्मी पहाड़ियों की विशेषताएँ:

- ये पहाड़ियां भोपाल के ग्रीन बेल्ट में आती हैं और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- यहाँ 151 जीव-जन्तु प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 29 सरीसृप, 07 उभयचर, 14 स्क्वामाटा, 13 स्तनधारी, 71 पक्षी और 15 तितली प्रजातियाँ शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में 173 पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें 53 औषधीय और 08 दुर्लभ पौधे शामिल हैं।
- यह परिसर भोपाल कालियासोत बांध के तट पर स्थित है, जो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Sites):

- ये वे विशेष क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता का अनूठा संग्रह पाया जाता है।
- इनमें दुर्लभ वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ होती हैं, जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

तवा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त

हाल ही में मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है।

मुख्य बिंदु:

- तवा जलाशय तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है, जो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है।
- इसका जलमग्न क्षेत्र 20,050 हेक्टेयर और जलग्रहण क्षेत्र 598,290 हेक्टेयर है।
- यह जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है और सतपुड़ा नेशनल पार्क एवं बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है।
- यह क्षेत्र पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए महत्वपूर्ण आवास है, जिसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- तवा रिजर्वायर का उपयोग मुख्यत: सिंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन बाद में इसे विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन के लिए भी उपयोग में लाया गया।
- भारत 1971 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ और 1982 से लेकर 2024 तक कुल 85 साइट्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है।

लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए के. एस. चित्रा और उत्तम सिंह का चयन

संगीतकार के. एस. चित्रा और उत्तम सिंह को क्रमश: वर्ष 2023 और 2022 के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 सितंबर को, लता मंगेशकर की जयंती के दिन प्रदान किया जाएगा।

लता मंगेशकर पुरस्कार:

- मध्य प्रदेश राज्य संस्कृति विभाग द्वारा यह पुरस्कार हर साल लता मंगेशकर की जयंती पर दिया जाता है।
- पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की गई थी।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य संगीत के क्षेत्र में कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।
- पुरस्कार में 2 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियम बनाने वाला पहला राज्य

मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है, जिसने समन और वारंट को डिजिटल रूप से जारी करने के नियमों को औपचारिक रूप दिया है।

मुख्य बिंदु:

- यह नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) 2023 के तहत लागू किए गए हैं।
- समन और वारंट को ईमेल, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जारी किया जा सकेगा।
- जो लोग डिजिटल सेवाओं से अपरिचित हैं, उनके लिए पारंपरिक विधियों का उपयोग जारी रहेगा।
- सेवा रिपोर्ट में मोबाइल नंबर, ऐप का नाम और डिलीवरी की पुष्टि वाली स्क्रीनशॉट या फोटो शामिल करनी होगी।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में पीड़ित की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

झारखण्ड करेंट अफेयर्स

चेटर गांव: 100 प्रतिशत साक्षरता और शून्य अपराध दर का आदर्श उदाहरण

चेटरगांव अपने अद्वितीय सामाजिक और प्रशासनिक मॉडल के कारण चर्चा में है। यहाँ 100% साक्षरता और स्वतंत्रता के बाद से शून्य अपराध दर को बनाए रखा गया है। इस गांव का शून्य अपराध रिकॉर्ड और प्रभावी पंचायत प्रणाली इसे एक आदर्श ग्रामीण समाज के रूप में प्रस्तुत करती है। यह अन्य क्षेत्रों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का एक प्रमुख विषय बन गया है।

मुख्य बिंदु:

- चेटर गांव की जनसंख्या लगभग 1,000 है, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों का एकजुट समाज शामिल है।
- गांव में 100% साक्षरता दर है और लगभग 35 शिक्षक हैं, जो शिक्षा की उच्च मानक को दर्शाते हैं।
- स्वतंत्रता के बाद से गांव में कोई भी अपराध दर्ज नहीं हुआ है। समस्याओं का समाधान पंचायत द्वारा किया जाता है और दंड राशि का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाता है।
- गांव की सड़कें बिना गड्ढों के अच्छी स्थिति में हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और गांव के युवा स्वच्छता बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं।
- गांव में शराब का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध है, जो सामाजिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार का कारण बना है।
- गांव के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, जो सामूहिक संघर्ष की भावना को दर्शाता है।
- गांव को संट जेवियर्स कॉलेज, रांची और लंदन के संस्थानों द्वारा अध्ययन के लिए चुना गया है और इसे आदर्श मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वैज्ञानिकों का दावा: 3.2 अरब साल पहले झारखंड का सिंहभूम दुनिया का सबसे गर्म समुद्र तट

हाल ही में अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रकाशित हालिया शोध में पुष्टि की गई है कि सिंहभूम में पृथ्वी पर सबसे पहला समुद्र तट था, जो पहले के 2.5 अरब साल पुराने महाद्वीप निर्माण की धारणाओं को पलटता है।

मुख्य बिंदु:

- झारखंड का सिंहभूम जिला, जो ओडिशा के पुरी समुद्र तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, लगभग 3.2 अरब साल पहले का दुनिया का सबसे पहला समुद्र तट माना जाता है।
- शोध ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंहभूम क्रेटन, पृथ्वी की पपड़ी का एक स्थिर और प्राचीन हिस्सा है, जो महाद्वीपों की नींव रखता है। क्रेटन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं।
- महाद्वीपों के निर्माण में मैग्मा की भूमिका पर बहस जारी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीप लगभग 2.5 अरब साल पहले समुद्र से ऊपर उठे थे।
- यह नया साक्ष्य सिंहभूम क्रेटन के प्राचीन स्वरूप को दर्शाता है, जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़ के राहुल गुप्ता ने माउंट कोजिअस्को पर तिरंगा लहराया

हाल ही में छत्तीसगढ़ के निवासी राहुल गुप्ता ने 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिअस्को (7,310 फीट) पर चढ़ाई पूरी कर भारत का तिरंगा लहराया। यह उनकी पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु:

- राहुल गुप्ता 'मिशन पॉसिबल' अभियान का हिस्सा हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, और उत्तरप्रदेश के 11 पर्वतारोही शामिल थे। इस अभियान की शुरुआत 14 अगस्त को रात दो बजे हुई थी और 15 अगस्त की सुबह चोटी पर झंडा लहराया गया।
- राहुल गुप्ता ने इस सफलता को छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किया और कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है। उनकी इस उपलब्धि से स्थानीय पर्वतारोहियों और युवाओं को प्रेरणा मिली है।

146 आयुष ग्रामों का विकास

छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंडों में आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ❖ रायपुर में आयोजित कार्यशाला ने आयुष ग्रामों में क्रियान्वित की जाने वाली स्वास्थ्य सुधार गतिविधियों और औषधीय पौधों के रोपण की जानकारी दी, जिससे ग्रामीणों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार हो सके।
- ❖ कार्यशाला में औषधीय पौधों जैसे स्टीविया, शतावरी, अश्वगंधा आदि के स्वास्थ्य लाभ और रोपण के बारे में जानकारी दी गई, जो ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होगी।
- ❖ आयुष विभाग ने बताया कि आयुष ग्रामों में स्वास्थ्य सुधार के लिए औषधीय पौधों की पहचान, रोपण और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही आयुर्वेदिक जीवनशैली, सही आहार-विहार और सामान्य रोगों के उपचार के बारे में ग्रामीणों को शिक्षित किया जाएगा।

हरियाणा करेंट अफेयर्स

हरियाणा ने युवाओं के लिए नई और नवोन्मेषी योजनाओं की शुरुआत की

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर, तीन अभिनव योजनाओं का अनावरण किया गया:

- » ड्रोन दीदी योजना
- » कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना
- » आईटी सक्षम युवा योजना।

योजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ:

कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना:

- ❖ 10,000 इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री धारकों को तीन महीने का विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- ❖ सरकार 3 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करेगी, जिससे युवा 25 लाख रुपये तक की सरकारी परियोजनाओं में भाग ले सकेंगे।

आईटी सक्षम युवा योजना:

- ❖ स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को आईटी क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए कोडिंग, जावा, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ड्रोन दीदी योजना:

- ❖ 2024-25 में 5,000 युवा महिलाओं को ड्रोन संचालन और प्रबंधन में प्रशिक्षण मिलेगा।
- ❖ सरकार ड्रोन और अन्य उपकरणों की लागत का 80% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।

पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र और एफ. एम. चैनल 'हमारी लाडो' की घोषणा

हाल ही में हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने प्रदेश की बेटियों को आत्मसुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अम्बाला शहर में पहले सेल्फ डिफेंस केंद्र की स्थापना और 'हमारी लाडो' नामक एफ.एम. चैनल की शुरुआत की घोषणा की है। यह चैनल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होगा और अपनी तरह का देश का पहला चैनल होगा।

मुख्य बिंदु:

- ❖ 'मैं भी लक्ष्मीबाई' योजना के तहत हरियाणा का पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल, पुलिस लाइन, अम्बाला शहर में खोला जाएगा।
- ❖ इस केंद्र का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना है।
- ❖ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह एफ.एम. चैनल देश में अपनी तरह का पहला चैनल होगा।
- ❖ इस चैनल का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी जानकारी और कार्यक्रमों को प्रसारित करना है।
- ❖ राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक चौक का नाम 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' चौक रखा जाएगा, जिससे इस अभियान को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पिंजौर गार्डन में तीन दिवसीय आम मेला

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर गार्डन में आयोजित तीन दिवसीय आम मेले का उद्घाटन किया। यह मेला हर साल 12 से 14 जुलाई तक यादवेंद्र गार्डन में आयोजित किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- ❖ कालका के एसडीएम लक्षयित सरीन ने बताया कि मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन निगम और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

पावर पैक्ड न्यूज

ओरोपोचे बुखार

हाल ही में ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाहिया राज्य में दो लोगों की ओरोपोचे बुखार से मृत्यु की पुष्टि की है, जो इस बीमारी से मरने वाले पहले व्यक्ति हैं।

ओरोपोचे बुखार के बारे में:

❖ ओरोपोचे बुखार पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो में पाया गया था और अब यूरोप में भी इसका पता चला है। इटली ने जून 2024 में अपना पहला मामला दर्ज किया है, जो महाद्वीपीय यूरोप में पहला मामला है।

❖ यह बुखार मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों, विशेषकर कुलिकोइड्स पैराएन्सिस प्रजाति द्वारा फैलता है। हालांकि मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है, कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में इस वर्ष मामलों में तेजी देखी गई है।

❖ डेंगू के समान, ओरोपोचे बुखार के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के चार से आठ दिन बाद शुरू होते हैं। इसमें अचानक बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, ठंड लगना, जोड़ों में अकड़न और कभी-कभी मतली और उल्टी शामिल हैं।

लोक अदालत अभियान

❖ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक सप्ताह का विशेष लोक अदालत अभियान आयोजित किया है।

❖ यह अभियान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में है और इसका उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान करना है।

❖ लोक अदालतें विवादों का समाधान अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी-आधारित तरीकों से करती हैं, जिससे नागरिक स्वैच्छिक और सहमति प्रक्रिया के माध्यम से संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

❖ इस अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम मुद्दों जैसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

NATS 2.0

❖ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईटी/आईटीईएस, विनिर्माण, और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना (NATS) 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।

❖ यह पोर्टल प्रशिक्षुता प्रक्रिया को सरल बनाता है और उद्योगों को नौकरी पोस्टिंग और अनुबंध प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली शुरू की है, जिससे वजीफे सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप और प्रशिक्षण योजना

❖ भारत सरकार ने भारतीय युवाओं को व्यापार अनुशासन में कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप और प्रशिक्षण योजना (NATS) को अपनी प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में पेश किया है।

❖ इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उनके रोजगार और कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

❖ प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1973 में संशोधित) के तहत NATS स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों को व्यावहारिक, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (OJT) प्रदान करता है।

जापान में व्यावसायिक व्हेल शिकार का विस्तार

❖ जापान ने अपने व्यावसायिक व्हेल शिकार अभियान का विस्तार करके फिन व्हेल्स को शामिल कर विवाद पैदा किया है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी जानवर प्रजाति है। इस कदम की आलोचना ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा की गई है।

❖ 1986 में अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन (IWC) द्वारा व्यावसायिक व्हेल शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद, जापान ने वैज्ञानिक अनुसंधान के

उद्देश्य से व्हेलों का शिकार जारी रखा और अंटार्कटिका और उत्तर प्रशांत में सैकड़ों व्हेलों को मारा।

- 2019 में IWC से हटने के बाद, जापान ने अपने क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक व्हेल शिकार फिर से शुरू कर दिया। जापान ने पिछले वर्ष 294 व्हेलों को मारा है।
- नॉर्वे और आइसलैंड के साथ, व्यावसायिक व्हेल शिकार में शामिल तीन देशों में से एक के रूप में, जापान ने फिन व्हेल्स को अपनी मौजूदा शिकार सूची में जोड़ा है, जिसमें पहले से ही मिंक, ब्रायड और सेई व्हेल शामिल हैं।

मित्र शक्ति

- भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, मदुरू ओया, श्रीलंका में आयोजित किया गया।
- मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका में बारी-बारी से आयोजित होने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था।
- इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के अध्याय VII के तहत उप-पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध-शहरी वातावरण में संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा।
- संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और मित्रता विकसित करने में मदद करेगा और इससे रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी।

फ्लडवॉच इंडिया

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विकसित 'फ्लडवॉच इंडिया' मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया।
- इस मोबाइल एप्लीकेशन को बाढ़ की स्थिति और पूर्वानुमानों के बारे में 7 दिन पहले तक की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- पहले संस्करण में 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान किए गए थे। उन्नत संस्करण 2.0 में अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिससे कुल स्टेशनों की संख्या 592 हो गई है।
- यह संवर्द्धन उपयोगकर्ताओं को देश भर में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्करण 2.0 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थितियों पर अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं।

फ्लडवॉच इंडिया ऐप:

- उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है और पठनीय तथा ऑडियो प्रसारण प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है।

अभ्यास उदार शक्ति 2024

- भारतीय वायुसेना (IAF) ने मलेशिया में अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफलतापूर्वक भाग लिया। यह संयुक्त हवाई अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना (RMAF) के सहयोग से 05 से 09 अगस्त 2024 तक कुआंतन, मलेशिया में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने इसमें Su-30MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया।
- अभ्यास के दौरान, IAF के Su-30MKI लड़ाकू विमानों ने RMAF के Su-30MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध अभियानों में भाग लिया, जिससे दोनों वायु सेनाओं के चालक दल एक-दूसरे के परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हो सके और Su-30 विमान संचालन में अंतर-संचालन, समानता और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हुई।
- इस अभ्यास में एक अद्वितीय हैंड्स-ऑन पार्टिसिपेशन (HOP) पहल शामिल थी, जिसमें दोनों देशों के पायलटों ने विमानों की अदला-बदली की, जिससे एक-दूसरे के लड़ाकू विमानों के साथ मूल्यवान प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।
- दोनों वायु सेनाओं के तकनीकी विशेषज्ञों ने रखरखाव प्रथाओं के आदान-प्रदान में भाग लिया और परिचालन क्षमताओं को अनुकूलित

करने के लिए अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

भारतीय वायुयान विधेयक

- हाल ही में भारत में विमानन नियमों को बदलने और ब्रिटिश काल के विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था, जिसे नाम के हिंदी में होने पर विपक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई। इस आपत्ति का तर्क था कि संविधान के अनुसार संसद में प्रस्तुत विधेयक अंग्रेजी में होने चाहिए।
- इसके अलावा, यह भी तर्क किया गया कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 3481B, 120 और 340 का उल्लंघन करता है और यह आधि कारिक भाषाओं के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नहीं है।

भारतीय वायुयान विधेयक के बारे में:

- ब्रिटिश काल का विमान अधिनियम, जिसे 21 बार संशोधित किया गया है, अब एक मिश्रित पैचवर्क बन गया है, जिसमें मूल अधिनियम के भीतर भ्रम, ग्रे क्षेत्रों और अनावश्यकताओं का निर्माण हुआ है। इन मुद्दों को हल करने और वैश्विक विमानन मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक नया कानून प्रस्तुत किया गया है।
- यह विधेयक अधिनियम को सरल बनाने, अनावश्यक तत्वों को हटाने और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) की सिफारिशों को शामिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसका भारत एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता है।
- इस प्रकार, नया कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के विमानन नियम अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों।

ग्रेट बैरियर रीफ का अस्तित्व खतरे में

- "चार शताब्दियों में सबसे अधिक समुद्री गर्मी" नामक अध्ययन से पता चला है कि मानव-प्रेरित उच्च समुद्री सतह तापमान (SST) ने 2016 से 2024 के बीच बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटनाएँ उत्पन्न की हैं, जिससे ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में पड़ गया है।
- 22 स्थानों से किए गए विश्लेषण में 1800 और 1900 के दशकों के अधिकांश समय में विरंजन का कोई सबूत नहीं मिला।
- अध्ययन के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान को पेरिस समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित भी किया जाए, तो मौजूदा प्रवाल का 70-90% हिस्सा नष्ट हो सकता है।
- अध्ययन ने चेतावनी दी है कि प्रवाल अनुकूलन ही एकमात्र व्यावहारिक संरक्षण समाधान है, लेकिन वर्तमान दरें ग्लोबल वार्मिंग से मेल नहीं खा रही हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्रवाल भित्तियों के लिए विनाशकारी हो सकता है।
- विभिन्न प्रवाल प्रजातियों की तापीय तनाव सहनशीलता भिन्न होती है। जैसे, एक्रोपोरा प्रजातियाँ अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि पोराइट्स प्रजातियाँ अधिक प्रतिरोधी होती हैं।

कोरल ब्लीचिंग के बारे में:

- कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल तापीय तनाव का अनुभव करता है, जिससे कोरल के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक डाइनोफ्लैगलेट्स का निष्कासन होता है। यदि तनाव अस्थायी है, तो कोरल ब्लीचिंग से उबर सकता है, लेकिन लंबे समय तक संपर्क या उच्च तीव्रता वाले तनाव से अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिससे अंततः कोरल की मृत्यु हो सकती है।

जियो पारसी योजना पोर्टल

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में 'जियो पारसी' योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो पारसी समुदाय का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह उपयोगकर्ता-मित्र वेब पोर्टल पारसी दांपत्य जोड़ों को योजना के लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है, समुदाय की भलाई और समृद्धि को बढ़ावा देता है।
- पोर्टल पारसी दांपत्य जोड़ों को ऑनलाइन आवेदन करने, उनके आवेदन की स्थिति ट्रैक करने और सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

जियो पारसी योजना के बारे में:

- जियो पारसी योजना एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य पारसी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को उलटने के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर उनकी जनसंख्या को स्थिर

करना है।

- इस योजना के तहत पारसी दांपत्य जोड़ों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार और बाल देखभाल तथा निर्भर वृद्धजनों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना की शुरुआत से अब तक, 400 से अधिक पारसी बच्चों को समर्थन प्राप्त हो चुका है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम

- हाल ही में, अफगानिस्तान से 20 सिख, जो लगभग 100 दिन पहले ऑनलाइन नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पहले अफगान सिखों के समूह का हिस्सा थे, को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत नागरिकता प्रदान की गई है।
- कई सिखों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से अनुरोध किया है कि उनके आवेदन को 1955 अधिनियम से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि CAA नागरिकता के लिए एक अधिक सरल और कुशल मार्ग प्रदान करता है।
- 1955 अधिनियम की तुलना में, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों सहित कई प्राधिकृत निकायों की भूमिका थी, CAA ने राज्य सरकार की भूमिका को समाप्त कर दिया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में:

- दिसंबर 2019 में, नागरिकता अधिनियम, 1955 को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले प्रवेश करने वाले छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की सुविधा देने के लिए संशोधित किया गया।
- संशोधन ने नागरिकता के लिए योग्य अवधि को 11 वर्षों से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।

मौर्य वंश के राजाओं के नाम पर पानी के नीचे की संरचनाएँ

- हाल ही में भारतीय महासागर में तीन जलमग्न भूगर्भीय संरचनाओं को मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है, जिनमें अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) और यूनेस्को की अंतरसरकारी महासागरीय आयोग (IOC) ने हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तावित तीन जलमग्न संरचनाओं के नामों को स्वीकृति दी है। ये संरचनाएँ हैं: अशोक सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज, कल्पतरु रिज।
- अब भारतीय महासागर में कुल सात संरचनाएँ हैं, जिनका नाम मुख्यतः भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है या जिनके नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। पहले के संरचनाओं में भौतिकशास्त्री सी.वी. रमन, महासागरविज्ञानी एन.के. पाणिकर और भूगर्भशास्त्री डी. एन. वाडिया के नाम पर संरचनाएँ शामिल हैं।
- हाल ही में नामित सभी तीन संरचनाएँ भारतीय महासागर के दक्षिण-पश्चिमी रिज क्षेत्र में स्थित हैं और इन्हें राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा के महासागरविज्ञानी द्वारा खोजा गया था। ये संरचनाएँ एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण अन्वेषण कार्यक्रम के दौरान खोजी गई थीं।
- 2004 से भारत भारतीय दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें NCPOR नोडल एजेंसी है। इन समुद्री अन्वेषणों का उद्देश्य जैव-भू-रसायन, जैव विविधता, निचले वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, पैलियोक्लाइमेट, हाइड्रोडायनामिक्स, वायु-समुद्री अंतःक्रियाओं सहित कई अन्य शोध क्षेत्रों का अध्ययन करना है।

भारत में तीन नए रामसर स्थल

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने रामसर स्थलों के नेटवर्क में तीन और स्थल जोड़े हैं। अब भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं।
- तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काझुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय इन नए स्थलों में शामिल हैं।

रामसर साइट्स के बारे में:

- भारत वर्ष 1982 से रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता है और 1982 से 2013 तक 26 स्थलों को जोड़ा गया था, इसके बाद 2014 से 2024 तक 59 नए स्थलों की वृद्धि हुई।
- तमिलनाडु 18 स्थलों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

- रामसर पदनाम अंतर्राष्ट्रीय निधि की गारंटी नहीं देता, लेकिन इन क्षेत्रों को संरक्षित और मानवीय अतिक्रमण से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह लेबल स्थानीय पर्यटन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता को भी बढ़ाता है।

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)

- हाल ही में केंद्र सरकार ने AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) शुरू की है, जो किसानों को अपने फोन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से कीट नियंत्रण के लिए जुड़ने में मदद करेगी।
- राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य किसानों की कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है।
- NPSS AI उपकरणों का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा ताकि किसानों और विशेषज्ञों को कीट नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिल सके। मंत्रालय के अनुसार, NPSS देश के लगभग 14 करोड़ किसानों की सहायता करेगा।
- केंद्र की इस मंच के माध्यम से वैज्ञानिकों को खेतों से जोड़ने की भी योजना है। किसान NPSS मंच का उपयोग करके संक्रमित फसलों या कीटों की तस्वीरें ले सकते हैं और ये वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों तक पहुंच जाएंगी।

गुलबेंकियन पुरस्कार

- आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) पहल, जिसे राज्य सरकार ने सात साल पहले रायथु साधिकारा संस्था (RySS) के माध्यम से शुरू किया था, को मानवता के लिए प्रतिष्ठित 2024 गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- APCNF ने एक मिलियन यूरो के पुरस्कार राशि को दो अन्य विजेताओं के साथ साझा किया: प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र स्थित SEKEM, एक समूह जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) के बारे में:

- आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है जो छोटे किसानों को रासायनिक आधारित कृषि से प्राकृतिक खेती की विधियों में बदलाव में समर्थन प्रदान करता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आर्थिक संकटों और जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के संकट को दूर करना है।
- एपीसीएनएफ जैविक अवशेषों का उपयोग करने, जुताई को कम करने, स्वदेशी बीजों को फिर से पेश करने, फसलों में विविधता लाने और मिट्टी के स्वास्थ्य और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई में सुधार के लिए पेड़ों को एकीकृत करने जैसी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

गुलबेंकियन पुरस्कार:

- यह पुर्तगाल स्थित कैलौस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन (CGF) द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली

भारत ने बारिश से प्रेरित भूस्खलन के लिए अपनी पहली क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (LEWS) लॉन्च की है। यह प्रणाली भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा विकसित की गई है।

भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में:

- LEWS भूस्खलन की संभावना का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लोगों को सावधानी बरतने या क्षेत्र खाली करने की सलाह देती है। यह प्रणाली बारिश, भूमि की विशेषताएँ और अन्य पर्यावरणीय कारकों की जानकारी का विश्लेषण करती है।

एपीडा ने पोलैंड को अंजीर के रस की पहली खेप की सुविधा प्रदान की

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने जीआई-टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले पीने के लिए तैयार अंजीर के रस को पोलैंड को निर्यात की सुविधा प्रदान की है।

एपीडा के बारे में:

- ❖ एपीडा की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- ❖ प्राधिकरण अनुसूचित उत्पादों के विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता, सूचना और दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

पुरंदर अंजीर के बारे में:

- ❖ पुरंदर अंजीर भारत के बेहतरीन अंजीरों में से एक है और महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर तालुका के कई गाँवों में इसकी खेती की जाती है। मीठे स्वाद, आकार और पोषण मूल्य के लिए इन्हें 2016 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया था।
- ❖ ये अंजीर क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों में पनपते हैं। शुष्क मौसम, पहाड़ी ढलान और अच्छी तरह से सूखा मध्यम भूमि उनकी खेती के लिए आवश्यक है।
- ❖ कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर पुरंदर की लाल और काली मिट्टी अंजीर के विशिष्ट बैंगनी रंग और आकार में योगदान देती है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

- ❖ हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के शिक्षाविदों और पेशेवरों सहित 21 भू-वैज्ञानिकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) प्रदान किए।
- ❖ कुल 12 पुरस्कारों ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक जोखिम जांच में असाधारण योगदान को मान्यता दी। सम्मानित व्यक्तियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया: आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार।
- ❖ विशेष रूप से, प्रो. धीरज मोहन बनर्जी को फॉस्फोराइट्स, आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भूविज्ञान पर उनके अग्रणी कार्य के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला।
- ❖ डॉ. आशुतोष पांडे को पूर्वी धारवाड़ क्रेटन के भूगतिकी विकास पर उनके अभिनव शोध के लिए राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

न्यायमूर्ति हेमा समिति रिपोर्ट

- ❖ हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट, जोकि मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कार्यस्थल स्थितियों और मुद्दों की जांच करती है, सार्वजनिक की गई।
- ❖ रिपोर्ट यौन शोषण की एक चिंताजनक संस्कृति और फिल्म उद्योग में महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना को उजागर करती है। इसमें कास्टिंग काउच जैसी प्रथाओं की निरंतरता का भी खुलासा किया गया है, जहाँ महिलाओं को अक्सर भूमिकाएँ सुरक्षित करने या ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए यौन सौदेबाजी करने के लिए दबाव डाला जाता है।
- ❖ इसने उद्योग के भीतर 30 विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले कम से कम 17 प्रकार के शोषण की पहचान की। इनमें उद्योग में प्रवेश की इच्छुक महिलाओं से की जाने वाली यौन माँगें, यौन उत्पीड़न और विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और हमले शामिल हैं।
- ❖ रिपोर्ट में परिवहन और आवास से संबंधित मुद्दों की ओर भी इशारा किया गया है, जो महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण को और भी जटिल बनाते हैं।
- ❖ रिपोर्ट में फिल्म सेट पर शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने में विफलता के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को भी उजागर किया गया है। उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को अक्सर अपने आवास और परिवहन दोनों में सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।

20वें थल सेनाध्यक्ष का निधन

- ❖ हाल ही में 20वें थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) का 83 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद चेन्नई में निधन हो गया।
- ❖ 5 दिसंबर, 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे जनरल पद्मनाभन राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी), देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र थे।

❖ 13 दिसंबर, 1959 को उन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया, जो चार दशकों से अधिक के शानदार करियर की शुरुआत थी।
❖ जनरल पद्मनाभन ने 'ऑपरेशन पराक्रम' के महत्वपूर्ण दौर में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। अपने साथियों के बीच प्यार से 'पैडी' के नाम से मशहूर जनरल पद्मनाभन की विरासत सैनिकों के कल्याण, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और रणनीतिक दृष्टि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिह्नित है।

दीन दयाल स्पर्श योजना

हाल ही में डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने और शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के लिए दीन दयाल स्पर्श योजना नामक एक डाक टिकट संग्रह छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

योजना के बारे में:

❖ प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उन मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष 6,000 की छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को शौक के रूप में अपनाया है।
❖ छात्रवृत्ति अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक डाक सर्कल अधिकतम 40 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा। ये कक्षा 6, 7, 8 और 9 के 10-10 छात्रों को वितरित की जाएँगी।

पात्रता मानदंड:

❖ छात्रवृत्ति के लिए चयन डाक टिकट संग्रह लिखित प्रश्नोत्तरी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदक भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के छात्र होने चाहिए।
❖ स्कूल में डाक टिकट संग्रह क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार इस क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि स्कूल में फिलैटली क्लब नहीं है, तो अपने स्वयं के फिलैटली डिपॉजिट खाते वाले छात्रों पर भी विचार किया जाएगा।
❖ डाक घरों में फिलैटली डिपॉजिट खाते खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपनी अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड/ग्रेड पॉइंट प्राप्त करने होंगे। एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता

14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 10 महिलाओं सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। ये पदनाम न्यायमूर्ति एस. के. कौल की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 12 मई, 2023 को जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, जिन्होंने 'वरिष्ठ अधिवक्ता' की उपाधि देने के लिए 2018 के मानदंडों को संशोधित किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता क्या है?

❖ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 में अधिवक्ताओं की दो अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, 'वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता'।
❖ धारा 16 में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित लोगों के लिए, ये प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 में पाए जा सकते हैं।
❖ उन्हें वकालतनामा दाखिल करने, जूनियर या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के बिना कोर्ट में पेश होने, ड्राफ्टिंग का काम करने या क्लाइंट से सीधे मामलों के लिए ब्रीफ स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

नवीनतम दिशा-निर्देशों के बारे में:

❖ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की सिफारिश कर सकता है।
❖ नए दिशा-निर्देशों के तहत, आवेदन करने की न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है, हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम समिति, CJI या सुप्रीम कोर्ट के किसी सिफारिश करने वाले न्यायाधीश द्वारा इस आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

नीलकुरिंजी

❖ नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियाना), एक बैंगनी फूल वाली झाड़ी है जो हर 12 साल में अपने दुर्लभ खिलने के लिए प्रसिद्ध है। इसे आधिकारिक तौर पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटर्ड स्पीशीज में सूचीबद्ध किया गया है। यह दक्षिण-पश्चिम भारत के पर्वतीय घास के

मैदानों से इस प्रजाति का पहला वैश्विक मूल्यांकन है।

- नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, नीलकुरिंजी को संकटग्रस्त (मानदंड A2c) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसकी संकटग्रस्त स्थिति को उजागर करता है। इस फूल का सामूहिक खिलना एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। हाल ही में, इडुक्की के पीरुमाडे में खिलने की सूचना मिली, हालांकि यह संख्या में बहुत अधिक नहीं था।

नीलकुरिंजी के बारे में:

- स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियाना, एक स्थानिक झाड़ी जो तीन मीटर तक की ऊँचाई तक पहुँचती है, विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम भारत में पाँच पर्वतीय परिदृश्यों के ऊँचाई वाले शोला घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्रों में 1,340-2,600 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।
- नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियाना), जिसे ब्लू स्ट्रोबिलैंथेस के नाम से भी जाना जाता है, अपने आकर्षक बैंगनी-नीले फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी घास के मैदानों को रंगीन बनाते हैं। यह प्रजाति अपने जीवन चक्र के अंत में हर 12 साल में एक साथ खिलने और फलने के लिए जानी जाती है। यह घटना वर्ष 1832 से दर्ज की गई है।

चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष नियुक्त

- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीनिवासुलु सेट्टी की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
- श्रीनिवासुलु सेट्टी, जिन्होंने पूर्व में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया और वैश्विक बाजारों तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रबंधन किया, को इस वर्ष जून में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अनुशंसित किया गया था।
- यह नियुक्ति वर्तमान एसबीआई अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा की 28 अगस्त को सेवानिवृत्ति के बाद की गई है और इस दिन श्रीनिवासुलु सेट्टी 63 वर्ष के हो जाएंगे, जो एसबीआई अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा है।
- इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

पूर्वोत्तर में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की छह नई वंशावली की खोज की गई

- भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की छह नई प्रजातियों की खोज की है। यह खोज भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (ATREE) और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन (NHM) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है।

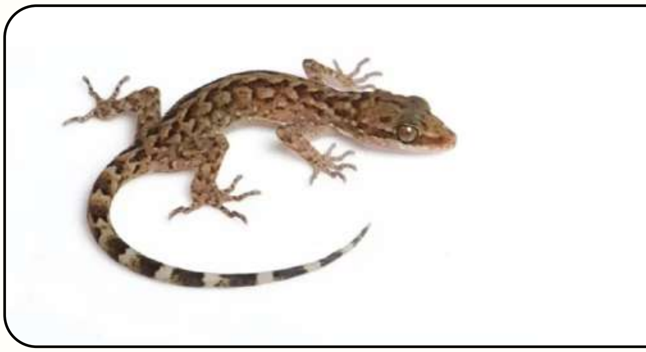

- टीम ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दो-दो नई प्रजातियों की पहचान की, जबकि शेष दो प्रजातियाँ मणिपुर और मिजोरम में पाई गईं।
- इन नई खोजों में, मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा टाइगर रिजर्व में पाई गई, और नेंगपुई मुड़े हुए पंजे वाली छिपकली की पहचान मिजोरम के लॉन्टलाई जिले के नेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य में की गई।
- ये मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियाँ एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जिनकी लगभग 346 प्रजातियाँ प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- वैज्ञानिकों ने वर्ष 2018 से 2022 की अवधि में 22 विभिन्न स्थानों से इन प्रजातियों के नमूने एकत्र किए।

ISS के लिए भारत–अमेरिका मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का चयन

- विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को ISS के लिए भारत-अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया।
- एक्सिओम स्पेस इंक., यूएसए और इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम -4 मिशन के लिए एक अंतरिक्ष उड़ान समझौते (SFA) पर सहमति व्यक्त की है। इस मिशन के लिए, राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने दो गगनयान पायलटों को प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट के रूप में अनुशंसित किया है।
- ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप पायलट नामित किया गया है, जबकि शुभांशु शुक्ला को प्रमुख पायलट के रूप में नामित किया गया है।
- नियुक्त चालक दल के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने की अंतिम स्वीकृति बहुपक्षीय चालक दल संचालन पैनल (MCOP) द्वारा दी जाएगी।

गगनयान परियोजना के बारे में:

- गगनयान परियोजना का उद्देश्य तीन-व्यक्ति चालक दल को 400 किमी की कक्षा में भेजकर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन की परिकल्पना तीन दिवसीय यात्रा के रूप में की गई है, जिसमें चालक दल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर भारतीय समुद्री जल में सुरक्षित रूप से उतरकर वापस लौटेगा।
- गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है और इसे Launch Vehicle Mark (LVM) रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। गगनयान के अलावा, भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों में 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना और 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करना शामिल है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

- फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को Companion of the Order of Fiji सम्मान प्रदान किया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की दो दिवसीय यात्रा पर थीं, जहाँ उन्होंने फिजी की संसद को संबोधित किया, जिसमें भारत और फिजी के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया।
- अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने फिजी के समकक्ष, राष्ट्रपति विलियम कैटोनीवर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और भारत के आदित्य एल 1 मिशन के समर्थन के लिए फिजी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
- उन्होंने कोविड-19 संकट के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से फिजी को भारत की सहायता को भी याद किया।

फिजी के बारे में:

- फिजी, मेलानेशिया में एक द्वीप देश है और दक्षिण प्रशांत महासागर में ओशिनिया का हिस्सा है। यह एक द्वीपसमूह है जिसमें 300 से अधिक द्वीप शामिल हैं और इसकी राजधानी सुवा है।
- फिजी का सर्वोच्च सम्मान, 'द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' इस द्वीप राष्ट्र के भीतर एक उल्लेखनीय मान्यता है।

भारत ने 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में आठवां स्थान बरकरार रखा।

- डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2022 में 55 बिलियन डॉलर से 2023 में 51 बिलियन डॉलर तक अपने कृषि निर्यात में गिरावट के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में अपना आठवां स्थान बरकरार रखा।
- कृषि निर्यातकों की सूची में सबसे आगे ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड हैं। उल्लेखनीय रूप से, ब्राजील का कृषि निर्यात 2022 में 148 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 157 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे उसे तीसरा स्थान फिर से हासिल करने में मदद मिली।
- यूरोपीय संघ ने 2023 में 836 बिलियन डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात करते हुए अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा।
- शीर्ष 10 में अन्य सात अर्थव्यवस्थाओं में भी उनके कृषि निर्यात में गिरावट देखी गई। शीर्ष दस निर्यातकों के संयुक्त निर्यात में 2023 में विश्व निर्यात में 71.9% हिस्सेदारी थी।
- चीन चौथा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक था, जबकि कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी शीर्ष दस में शामिल थे।
- लाल सागर संकट और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध सहित भू-राजनीतिक कारकों ने भारत के कृषि निर्यात में गिरावट में नकारात्मक योगदान दिया है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1.	भारत ने 2 से 7 अगस्त, 2024 तक नई दिल्ली के पूसा संस्थान में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।
2.	भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10% है और 2026 तक इसके दोगुना होकर 20% होने की उम्मीद है।
3.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार पर अपने ठोस और तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न करने के लिए 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
4.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वैज्ञानिकों ने नैनो डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि डीएपी पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में कम प्रभावी हो सकता है, विशेष रूप से गेहूं की फसलों की वृद्धि में।
5.	भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मावलीली कटोनीवरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया।
6.	भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने 11 अगस्त को होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में मनु भाकर को भारत का ध्वजवाहक चुना है।
7.	भारत 6-8 अगस्त को नई दिल्ली में पहली बार बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
8.	बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए 'अवनी' नामक एक नई बचत बैंक खाता योजना शुरू की है।
9.	हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने एक नई योजना 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' को मंजूरी दी है।
10.	स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (SIWI) 25-29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कर रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है, जो 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है।
11.	24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त, 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया था।
12.	बांग्लादेश की टीम ने SAFF (साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन) अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है।
13.	कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9/11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीता। भारत में इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी।
14.	वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी. श्रीनिवासन को देश के आतंकवाद निरोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया।
15.	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है।
16.	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह को निर्विरोध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का नया अध्यक्ष चुना गया है।
17.	भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
18.	महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है।
19.	तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड, थिरुविदंधई में टीटीडीसी मैदान से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, मिशन RHUMI-2024 लॉन्च किया।
20.	भारत ने हाल ही में मालदीव के थुलुसधू में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैम्पियनशिप 2024 में एक प्रतिष्ठित टीम इवेंट, मारुहाबा कप में रजत पदक जीता।

21.	महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले 'सोलर विलेज' का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचीवाड़ी गाँव महाराष्ट्र का पहला 'सोलर विलेज' बन गया है।
22.	वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है।
23.	एम सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
24.	राजेश नांबियार को देबजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
25.	भारतीय पैरालंपिक समिति ने पैरालंपिक में जाने वाले भारतीय दल के प्रमुख के रूप में उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया है।
26.	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में 'ए+' रेटिंग मिली है।
27.	भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
28.	एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है।
29.	भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, 'मित्र शक्ति' का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरू ओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ है।
30.	केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना था।
31.	राजनयिक पर्वतनेनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं।
32.	कैबिनेट नियुक्ति समिति ने आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को नया प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए ईडी का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है।
33.	दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है।
34.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 MkI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (LRGB), 'गौरव' का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
35.	महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1960 के तहत रत्नागिरी में भू-आकृति और शैलचित्रों को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया है।
36.	हॉकी इंडिया (HI) ने हाल ही में सेवानिवृत्त भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है।
37.	भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने 'वन इंडिया-वन टिकट' पहल को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है।
38.	अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जुलाई 2024 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इंग्लैंड के गस एटकिंसन और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार श्रीलंका की चमारी अथापथु को दिया है।
39.	फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण संपन्न हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक रजत और पांच कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भाला फेंक में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। मनु भाकर ने निशानेबाजी में दो कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा।
40.	केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है।
41.	भारत ने हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) शुरू करने के लिए द्वीप राष्ट्र मालदीव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
42.	भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया है।

43.	विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को हाथियों के संरक्षण और दुनिया भर में उनकी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया।
44.	रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने 99 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली।
45.	भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता।
46.	केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी और केरल के चुलन्नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है।
47.	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने UPI के जरिए भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
48.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बन गई है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में रिलायंस दो पायदान चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है।
49.	भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास 'पर्वत प्रहार' का आयोजन किया, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
50.	नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
51.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नंदिनी सहकार योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में आने वाली महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है।
52.	गृह मंत्रालय ने हाल ही में आरआर स्वैन को जम्मू और कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है।
53.	भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हथकरघा बुनकरों के योगदान को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है।
54.	के कैलाशनाथन ने हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है।
55.	केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए।
56.	सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है।
57.	संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआह लाइल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता।
58.	विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है।
59.	दिग्गज भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह 84 वर्ष की थीं।
60.	भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
61.	भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। बोपन्ना ने हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने रुतुजा भोसले के साथ मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
62.	लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 'प्रहरी' के रूप में जाने जाने वाले असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं।
63.	केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
64.	भारत ने 23 अगस्त, 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की सफलता को मान्यता प्रदान करता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय 'चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति: भारत की अंतरिक्ष गाथा।' है।
65.	केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में तीन नए रामसर स्थलों की घोषणा की है, जिससे भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। नए स्थलों में तमिलनाडु के नंजारायण बर्ड सैंक्चुअरी और काझुवेली बर्ड सैंक्चुअरी और मध्य प्रदेश का तवा रिजर्वायर शामिल हुए है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) की मेजबानी की, जिसमें 123 प्रतिभागी देश शामिल हुए, जिसका विषय 'एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण' पर केंद्रित था।
2. VOGSS वैश्विक दक्षिण देशों को एकजुट करने, दृष्टिकोण साझा करने और वैश्विक मुद्दों पर प्राथमिकताएं निर्धारित करने की भारत की पहल है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) के मूल को दर्शाती है।
3. ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में आर्थिक रूप से वंचित और राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़े देशों को संदर्भित करता है, जिनकी विशेषता कम आय और सीमित वैश्विक प्रभाव है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

2. एसआरओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, RBI ने वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों (SROs) को मान्यता देने के लिए एक ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना और नीति निर्माण का समर्थन करना है।
2. SROs गैर-सरकारी संस्थाएँ होती हैं जो उद्योग के नियम बनाती हैं और लागू करती हैं। ये संस्थाएं नैतिकता, समानता और पेशेवर मानकों को बढ़ावा देती हैं।
3. SROs के प्राथमिक उद्देश्य मानकों का विकास, निरंतरता सुनिश्चित करना, नैतिक दिशानिर्देश सेट करना, विवादों को सुलझाना और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
4. RBI ढांचे के तहत SROs के लिए पात्रता मानदंड है कि संस्था एक लाभ रहित कंपनी होनी चाहिए और न्यूनतम शुद्ध मूल्य 10 करोड़ होना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

3. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है।
2. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, भारत में आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
3. विधेयक आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समितियों से NDMA/SDMA को सौंपता है।
4. विधेयक राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

4. वायुमंडलीय नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत में मानसून के मौसम के दौरान वायुमंडलीय नदियों का अनुभव किया गया।
2. वायुमंडलीय नदियाँ विशाल, अदृश्य जल वाष्प की पट्टियाँ होती हैं जो गर्म महासागरों से वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होती हैं।
3. वायुमंडलीय नदियों की औसत लंबाई 2,000 किमी और चौड़ाई 500 किमी होती है।
4. पिछले दो दशकों में लगभग 80% वायुमंडलीय नदियाँ भारत में बड़े बाढ़ से जुड़ी थीं, जिसमें दस में से सात सबसे गंभीर बाढ़ वायुमंडलीय नदियों से आये थे।
5. वायुमंडलीय नदियों वैश्विक स्तर पर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनी हैं, जिसमें इराक, ईरान, कुवैत, जॉर्डन, चिली, ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
6. वायुमंडलीय नदियों को आकार और तीव्रता के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से कुछ सूखा क्षेत्रों में फायदेमंद हो सकती हैं।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A. केवल 2

B. केवल 4

C. केवल 5

D. उपरोक्त सभी

5. दलबदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों, लोबिन हेमब्रोम और जय प्रकाश पटेल को अयोग्य घोषित कर दिया।
2. दलबदल विरोधी कानून, 1985 में पेश किया गया, यह दलबदल के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता से निपटता है, यह उन सदस्यों पर लागू होता है जो स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करते हैं।
3. किहोटो होलोहन बनाम जचिल्हु और रवि नाइक बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामलों ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा और अध्यक्ष की भूमिका को स्पष्ट किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1

D. 1, 2 और 3

6. WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने जामनगर, गुजरात में WHO Global Traditional Medicine Centre के समर्थन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को 10 वर्षों में $85 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
2. यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करके अनुसंधान, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वदेशी ज्ञान, डिजिटल स्वास्थ्य, और वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
3. यह पहल भारत की पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने, स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने और कठोर अनुसंधान और नीति विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1

D. 1, 2 और 3

7. NIRF 2024 में कौन सी नई श्रेणियाँ शुरू की गईं?

A. ऑनलाइन विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक कॉलेज।

B. राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय।

C. अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, निजी कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय

D. स्वायत्त कॉलेज, सरकारी संस्थान और गैर-लाभकारी संगठन

8. एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास को एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में 'समग्र श्रेणी' में पहला स्थान मिला।
2. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु ने लगातार नौवें वर्ष 'विश्वविद्यालय श्रेणी' में अग्रणी स्थान हासिल किया।
3. आईआईएससी बेंगलुरु को एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में 'इंजीनियरिंग श्रेणी' में भी पहला स्थान मिला।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1

D. 1, 2 और 3

9. विनियोग विधेयक को वित्त विधेयक से क्या अलग करता है?

A. विनियोग विधेयक विशिष्ट विभागों के लिए धन के आवंटन से संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक कराधान और राजस्व नीतियों को संबोधित करता है।

B. वित्त विधेयक राज्यसभा में पारित किया जाता है, जबकि विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है।

C. विनियोग विधेयक दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों से संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक तत्काल व्यय पर केंद्रित है।

D. विनियोग विधेयक संसद में वित्त विधेयक से पहले पेश किया जाता है।

10. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार करने का प्रस्ताव है।
2. बिल में नामांकित व्यक्तियों के विकल्पों में वृद्धि का उद्देश्य संपत्ति नियोजन को सरल बनाना और खाताधारकों के लिए

अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

3. विधेयक ने बैंक निदेशालयों में महत्वपूर्ण हित की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में शोधकर्ताओं ने 30 माइक्रोवेव ओवन्स में 747 बैक्टीरियल जेनरा का पता लगाया, जिसमें Klebsiella, Enterococcus, और Aeromonas जैसे संभावित हानिकारक माइक्रोब्स शामिल हैं।
2. अध्ययन से पता चलता है कि माइक्रोवेव ओवन्स विविध और जीवंत सूक्ष्मजीवी समुदायों को होस्ट करते हैं, जो यह मान्यता चैलेंज करता है कि माइक्रोवेव विकिरण बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है।
3. अनुसंधान पारंपरिक माइक्रोवेव स्वच्छता के दृष्टिकोण को चुनौती देता है और नियमित सफाई के महत्व को रेखांकित करता है।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. कोई नहीं

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) ने सौर चक्र की तीव्रता की भविष्यवाणी के लिए एक नवीन विधि विकसित की है, जो अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाती है।
2. शोधकर्ताओं ने कोडाइकनाल सौर वेधशाला से 100 वर्षों का सौर डेटा उपयोग करके सुपरग्रैन्युलर सेल की चौड़ाई और सूर्य धब्बे की संख्या के बीच संबंध स्थापित किया है।
3. नई विधि सूर्य अधिकतम के दौरान सूर्य धब्बे की संख्या की भविष्यवाणी करती है, जो सौर न्यूनतम के दौरान सुपरग्रैन्युलर सेल की चौड़ाई पर आधारित होती है।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. कोई नहीं

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, भारत ने BPaL regimen पेश किया है, जो मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट और एक्सटेंसिवली ड्रग-रेसिस्टेंट तपेदिक के इलाज के लिए एक गेम-चेंजर है।
2. BPaL regimen उपचार की अवधि को 18-24 महीनों से घटाकर केवल छह महीनों तक लाता है, जिसमें केवल तीन टैबलेट प्रतिदिन होती हैं।
3. भारत TB का सबसे बड़ा होस्ट देश है, जो वैश्विक मामलों का 27% है।
4. TB हर दिन विश्व स्तर पर 3,500 जिंदगियाँ लेती है, और हर दिन 30,000 नए संक्रमण होते हैं।
5. BPaL regimen TB उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है, हजारों मरीजों को आशा प्रदान करता है।
6. भारत 2025 तक TB को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो UN के 2030 लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A. केवल 4
B. केवल 5
D. केवल 6
D. कोई नहीं

14. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 को लॉन्च होने वाली एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी है।
2. UPS का उद्देश्य मजबूत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हुए राजकोषीय जिम्मेदारियों को संतुलित करना है।
3. योजना पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की अपनी यात्रा पूरी की।
2. यह यात्रा पहली बार थी जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 45 वर्षों में पोलैंड का दौरा किया
3. भारत और पोलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला, जो संबंधों को गहरा करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

16. विश्व के मैंग्रोव की स्थिति, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व मैंग्रोव दिवस पर, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस (GMA) ने 'विश्व के मैंग्रोव की स्थिति, 2024' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता पर प्रकाश डाला गया है।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते बढ़ते समुद्र स्तर के कारण लक्षद्वीप द्वीपसमूह और तमिलनाडु के तट पर मैंग्रोव गंभीर रूप से खतरे में हैं।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में मैंग्रोव 49,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो वैश्विक मैंग्रोव कवर का 33.6% है। अकेले इंडोनेशिया में दुनिया के 21% मैंग्रोव हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

17. कस्तूरीरंगन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A. पश्चिमी घाट के 25% हिस्से को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव।
B. खनन और ताप विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।
C. पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव।
D. B और C दोनों

18. भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत-सऊदी अरब उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक 29 जुलाई, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई।
2. बैठक की सह-अध्यक्षता P.K. मिश्रा, भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद, सऊदी ऊर्जा मंत्री ने की।
3. भारत ने सऊदी अरब की लगभग USD 100 बिलियन की निवेश सुविधा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 'Economic Case for Investment in the Well-being of Adolescents in India' रिपोर्ट जारी की।
2. रिपोर्ट भारत में किशोरों के कल्याण में निवेश के लिए एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
3. रिपोर्ट में कहा गया कि किशोरों के कल्याण में निवेश करने से पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलता है, जो निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए 4.6 से 71.4 अमेरिकी डॉलर तक होता है।
4. रिपोर्ट में किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम और सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सात उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
5. इन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष अनुमानित 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जिससे प्रति वर्ष 476 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिटर्न मिल सकता है।
6. किशोरों में निवेश करने से भारत की जीडीपी में लगभग 10.1% की वृद्धि हो सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 4
B. केवल 5
C. उपरोक्त सभी
D. इनमें से कोई नहीं

20. AITIGA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में 5वीं आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक 29 जुलाई से 1 अगस्त, 2024 तक जकार्ता में आयोजित की गई थी।
2. यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
3. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

21. महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया।
2. यह कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए वित्तीय अनुदान, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म दृश्यता प्रदान करता है।
3. इस पहल का उद्देश्य भारत भर में लगभग 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें सफल व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए कौशल, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

22. अंटार्कटिका हीटवेव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में अंटार्कटिका में हीटवेव का अनुभव किया गया, जिसमें तापमान सामान्य से 10-28 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जिससे वैज्ञानिकों में चिंता है।
2. हीटवेव असामान्य रूप से गर्म मौसम की एक लंबी अवधि होती है, जो आमतौर पर कई दिनों या हफ्तों तक चलती है। यहां तापमान लगातार एक विशिष्ट क्षेत्र के औसत उच्च तापमान से अधिक होता है।
3. अंटार्कटिका में हीटवेव का कारण ध्रुवीय भंवर का कमजोर होना है, जिससे गर्म हवा इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है।
4. अंटार्कटिका प्रति दशक 0.22-0.32 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1987 और 2021 के बीच मुंबई में 15 भारतीय तटीय शहरों में समुद्र के स्तर में सबसे अधिक वृद्धि (4.44 सेमी) देखी गई है।
2. मुंबई में समुद्र का स्तर 2100 तक 76.2 सेमी बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह 15 तटीय शहरों में सबसे अधिक अनुमानित समुद्र स्तर वृद्धि वाला शहर बन जाएगा।
3. 2040 तक समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण मुंबई, यनम और थूथुकुडी की 10% से अधिक भूमि जलमग्न हो जाएगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. उपरोक्त सभी
D. इनमें से कोई नहीं

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2000-2020 के बीच मैंग्रोव का 43% नुकसान जलीय कृषि, तेल ताड़ के बागानों और चावल की खेती के कारण हुआ।
2. दक्षिण पूर्व एशिया में वैश्विक मैंग्रोव कवर का 33.6% हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया में दुनिया के 21% मैंग्रोव हैं।
3. भारत का मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी में फैला है, जिसमें पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र (2,114 वर्ग किमी) है, उसके बाद गुजरात (1,177 वर्ग किमी) है।
4. भारत सरकार ने 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव लगाने के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) कार्यक्रम शुरू किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 2
B. केवल 3
C. उपरोक्त सभी
D. इनमें से कोई नहीं

25. एल्डरमैन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) के पास मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (MCD) में 'एल्डरमैन' को नामित करने का अधिकार है।
2. दिल्ली के L-G ने जनवरी 2023 में 10 एल्डरमैन को नामित किया, जिससे कानूनी चुनौती दी गई थी।
3. वार्ड समितियों के माध्यम से MCD सदन के कामकाज में एल्डरमैन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, L-G को एल्डरमैन को नामित करने का स्पष्ट अधिकार देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में मलेशियाई प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने 20 अगस्त, 2024 को भारत का दौरा किया, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा थी।
2. भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की परिपक्वता को पहचानते हुए अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी हो जाने पर सहमत हुए।
3. दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को तेज करने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने और आसियान-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा सहित आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूएस बायोसिक्योर एक्ट चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया सहित विदेशी विरोधियों से जुड़ी बायोटेक कंपनियों के साथ संघीय अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है।
2. इस विधेयक का उद्देश्य अमेरिकी करदाताओं के धन को उन बायोटेक कंपनियों का समर्थन करने से रोकना है जो विदेशी विरोधियों के लिए अमेरिकियों के जीनोमिक डेटा को इकट्ठा करती हैं और उसका शोषण करती हैं।
3. यह अधिनियम कार्यकारी एजेंसियों को चीनी फर्मों BGI, MGI, कम्प्लीट जीनोमिक्स और वूक्सी ऐपटेक कंपनियों से उपकरण या सेवाएँ खरीदने से रोकता है।
4. प्रतिबंध के अपवादों में OMB द्वारा अनुमोदित केस-बाय-केस छूट और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले अनुबंध शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, राज्यसभा में पेश किया गया।
2. इस विधेयक का उद्देश्य खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करने और पेट्रोलियम पट्टे की शुरुआत करने के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करना है।
3. विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा को व्यापक बनाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल शामिल हैं, जबकि कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
4. विधेयक केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण, उत्सर्जन में कमी और विवाद समाधान सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है और अपीलीय न्यायाधिकरण के माध्यम से दंड और अपील के निर्णय का प्रावधान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में IBM की रिपोर्ट के अनुसार डेटा उल्लंघन अधिक विघटनकारी होते जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर 70% संगठन डेटा उल्लंघन प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं।
2. भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत 19.5 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो 2020 से 39% की वृद्धि और 2023 से 9% की वृद्धि है।
3. फिशिंग और चोरी या समझौता किए गए क्रेडेंशियल भारत में सबसे आम साइबर हमले थे, जो 18% घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, इसके बाद क्लाउड मिसकॉन्फिगरेशन (12%) का स्थान था।
4. रिपोर्ट में डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसे विनियमों के साथ एंड-टू-एंड अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन की पहचान में तेजी लाने के लिए AI और स्वचालन को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 2023-24 में 31% बढ़कर 61,044 करोड़ हो गया, जो 2019-20 में 46,662.85 करोड़ था।
2. सरकार ने भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए झींगा और झींगा फीड

और मछली फीड के लिए इनपुट पर आयात शुल्क कम कर दिया।

3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहायता के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

31. एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के अध्यक्ष का पदभार संभाला है।
2. भारत ने बैंकॉक में ADPC की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अपने वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।
3. भारत, आठ पड़ोसी देशों के साथ, ADPC का संस्थापक सदस्य है, जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु तन्यकता में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1
D. 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई।
2. रिपोर्ट में भारत सहित 100 से अधिक देशों के सामने उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 'मध्यम आय के जाल' में फंसने का जोखिम उठा रहा है, जो मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में संक्रमण के लिए संघर्ष कर रहा है।
4. 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ उच्च आय की स्थिति में संक्रमण कर पाई हैं।
5. मध्यम आय वाले देश वैश्विक आबादी के 75% का घर हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 2
B. केवल 3
C. केवल 4
D. उपरोक्त सभी

33. एमपॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एमपॉक्स के मामलों में वृद्धि के कारण एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जोखिम का संकेत देता है।
2. PHEIC घोषणापत्र देशों से निगरानी, तैयारी और संसाधन आवंटन बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है, ताकि प्रकोप के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
3. एमपॉक्स, जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, ऑर्थोपॉक्सवायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से निकट संपर्क, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं के माध्यम से फैलती है।
4. यह बीमारी तेजी से यौन संचरण नेटवर्क से जुड़ी हुई है, हाल में मध्य और पश्चिम अफ्रीका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रकोप देखने को मिला है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 4
D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1.	(D)	11.	(C)	21.	(D)	31.	(D)
2.	(D)	12.	(C)	22.	(D)	32.	(D)
3.	(D)	13.	(C)	23.	(C)	33.	(D)
4.	(D)	14.	(D)	24.	(C)		
5.	(D)	15.	(D)	25.	(D)		
6.	(D)	16.	(D)	26.	(D)		
7.	(B)	17.	(D)	27.	(D)		
8.	(A)	18.	(D)	28.	(D)		
9.	(D)	19.	(C)	29.	(D)		
10.	(D)	20.	(D)	30.	(D)		

प्रीलिम्स आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) भारत का पहला राज्य समर्थित मुद्रा कोष है।
2. राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (NIIF) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) ने भारत में स्थिरता परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कई मिलियन डॉलर का फंड जारी किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'कार्बन की सामाजिक लागत' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) एक नए स्थान पर रहने के लिए अनुकूल जलवायु शरणार्थी द्वारा किए गए प्रयास।
(b) पृथ्वी ग्रह पर कार्बन पदचिह्न में एक व्यक्ति का योगदान।
(c) किसी वर्ष में एक टन CO_2 उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति।
(d) किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को सामान और सेवाएँ प्रदान करने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना।

3. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. जैविक अपशिष्ट प्रबंधन
2. सूक्ष्म जीव और व्युत्पन्न बायोमास
3. वानिकी और जलीय कृषि

जैव-अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त में से कौन से क्षेत्र और प्रणालियाँ शामिल हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. भारत में इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं?

1. आरा मिलें
2. वाणिज्यिक खनन
3. वर्षा जल संचयन
4. बागवानी प्रक्रियाएं

सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

5. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. बढ़ती मृत्यु दर
2. उच्च प्रजनन दर
3. मृत्यु दर में गिरावट
4. उप-प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर

जनसांख्यिकीय जाल शब्द का प्रयोग जनसांख्यिकीविदों द्वारा उपर्युक्त में से किस संयोजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है?

(a) 1 और 3
(b) 1 और 4
(c) 2 और 3
(d) 1 और 2

6. निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है?

1. नंदा देवी ग्लेशियर
2. जेमू ग्लेशियर
3. नुब्रा ग्लेशियर
4. बंदरपूंछ ग्लेशियर

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 3
(b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) 1, 3 और 4

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समुद्री तापमान में वृद्धि से उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवनों और वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि होती है।
2. महासागरों की उत्पादकता तब बढ़ती है जब वायुमंडल

से निकलने वाला कार्बन इसके द्वारा अवशोषित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पश्चिमी हिमालय विश्व के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर संपर्क के कारण फॉल्ट लाइनों के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहीत होती है।
2. भूकंपीय तरंगें प्रकाश की गति से भी काफी तेज गति से चलती हैं।
3. वर्तमान तकनीकी प्रगति से भविष्य में आने वाले भूकंपों की भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

9. सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहां तक है?

(a) लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा
(b) लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
(c) लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
(d) लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

10. विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने स्वदेशी के विचारों का प्रचार किया।
2. उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन पर कार्य किया।
3. उन्होंने "अभिनव भारत सोसायटी" की स्थापना की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

11. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के सेदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया है।
2. आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है।
3. आयोग के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

12. "एक्रोस स्कीम" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है।
2. यह मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, जिसमें चक्रवात, तूफान और हीट वेव की चेतावनी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

13. मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संवर्धित वास्तविकता (AR) में, एक अनुरूपित वातावरण बनाया जाता है और भौतिक दुनिया पूरी तरह से बंद हो जाती है।
2. आभासी वास्तविकता (VR) में, कंप्यूटर से उत्पन्न प्रतिबिम्बों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है।
3. AR व्यक्तियों को दुनिया में मौजूद रहने की अनुमति देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाता है।
4. VR दुनिया को बंद कर देता है, और एक व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है, जिससे पूर्ण विसर्जन अनुभव प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 4

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का कोई भी पूर्ण आयु और क्षमता वाला नागरिक भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है।
2. यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। हालाँकि, यह प्रावधान युद्ध के समय लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. SEZ अधिनियम 2005 केंद्र सरकार से अनुमोदन के बाद SEZ में या SEZ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) स्थापित करने की अनुमति देता है।
2. भारत में पहला IFSC अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में स्थापित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

16. हाल ही में समाचारों में रहा "टिश्यू हीटिंग" शब्द, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(a) पराली जलाने के हानिकारक प्रभाव
(b) 5G से स्वास्थ्य जोखिम
(c) वायु प्रदूषण से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. भूमि की कम या शून्य जुताई
2. खेत में सिंचाई करने से पहले जिप्सम का प्रयोग।
3. फसल अवशेषों को खेत में ही रहने देना

उपर्युक्त में से कौन सी पद्धति कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

18. राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
2. बैंकों को मृदा की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में सक्षम बनाना।
3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की जाँच करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाइपरसोनिक की गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है।
2. ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चेहरे की पहचान एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान और पहचान करने के लिए चेहरे पर विशिष्ट लक्षणों का उपयोग करती है।
2. यह आपराधिक पहचान और सत्यापन के क्षेत्र में परिणामों में सुधार करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1

(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

21. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

22. निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है?
(a) विचार की स्वतंत्रता
(b) आर्थिक स्वतंत्रता
(c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(d) विश्वास की स्वतंत्रता

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य कहा जाता है।
2. किसी निजी सदस्य के विधेयक की स्वीकार्यता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. सदन द्वारा निजी सदस्य के विधेयक को अस्वीकार करने से सरकार में संसदीय विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को तारांकित प्रश्नों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार प्राप्त है।
2. तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्नों और निजी सदस्यों के प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद, हल्के गुलाबी और पीले रंग में मुद्रित होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

25. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. पक्षी
2. धूल उड़ना
3. वर्षा
4. हवा चलना

उपर्युक्त कथनों में से किससे पौधों की बीमारियां फैलाती हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

26. धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल किसी कर लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
(b) धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का प्रावधान है।
(c) धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग से संबंधित है।
(d) एक धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने के विनियमन से संबंधित है।

27. "प्रतिपूरक वनरोपण निधि" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नियमों के मुताबिक, CAF का 10% धन राज्यों को दिया जाना है जबकि 90% केंद्र को अपने पास रखना है।
2. इन फंडों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) द्वारा विनियमित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (AFSPA) सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में लोक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है।
2. अशांत क्षेत्र वह है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मिजोरम को वर्ष 1972 में असम से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
2. वर्ष 1975 में यह पूर्ण राज्य बन गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

30. लेजर संचार रिले प्रदर्शन (LCRD) मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नासा की पहली लेजर संचार प्रणाली है।
2. यह अंतरिक्ष में बेहद लंबी दूरी तक लेजर संचार का परीक्षण करेगा।
3. इसका प्रबंधन NASA के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर (GSFC) द्वारा और SpaceX के साथ साझेदारी में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

31. भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
2. यह विश्व में जैव विविधता के आठ "सबसे हॉट-स्पॉट" स्थलों में से एक है।
3. पश्चिमी घाट हिमालय से भी छोटे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था?
(a) काकीनाडा
(b) मोटुपल्ली
(c) मछलीपट्टनम (मसुलीपट्टनम)
(d) नेल्लुरु

33. भारत के विधि आयोग (LCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
2. इसका नेतृत्व भारत के अटॉर्नी-जनरल करते हैं।
3. कैबिनेट ने तीन साल की अवधि के लिए विधि आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केन और बेतवा नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
2. मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के तहत बेतवा नदी को केन नदी से जोड़ा जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

35. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है।
2. इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है।
3. यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत फंड ट्रांसफर करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

36. प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 180 (1) राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है।
2. प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां निर्वाचित स्पीकर की शक्तियों के साथ सह-व्यापक नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सभा का विचार पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने सामने रखा था।
2. संविधान सभा की मांग को पहली बार अंग्रेजों ने 1940 के अपने 'अगस्त प्रस्ताव' के माध्यम से स्वीकार किया था।
3. संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अरब सागर के ऊपर हाल के वर्षों में "अति भीषण चक्रवाती तूफान" की आवृत्ति बढ़ी है।
2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता तापमान अरब सागर को चक्रवातों की तीव्रता के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम बना रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

39. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है, जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने का अधिकार है।
2. यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है।
3. इसका नेतृत्व भारत के गृह मंत्री करते हैं और इसमें अधिकतम नौ अन्य सदस्य हो सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

40. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर भारत के विदेशी नागरिकों का पंजीकरण रद्द कर सकती है।
2. CAA का उद्देश्य विश्व के सभी उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को उनके "साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान" के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है।
2. यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है और प्रतिवर्ष दिया जाता है।

3. पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कन्नड़ लेखक कुप्पली वेंकटप्पा पुट्टप्पा थे, जो अपने उपनाम कुवेम्पु से लोकप्रिय थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

42. भारत के संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
2. यह एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

43. गिलगित-बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के तीन सबसे लंबे ग्लेशियर गिलगित-बाल्टिस्तान में पाए जाते हैं।
2. इसकी सीमा उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व में कश्मीर से लगती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

44. किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किससे बढ़ता है?

(a) नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि
(b) जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि
(c) वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि
(d) देश की जनसंख्या में वृद्धि

45. S-400 मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह रूस द्वारा डिजाइन की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है।
2. यह 1400 किमी के दायरे में सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है।
3. यह 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से छह को एक साथ निशाना बना सकता है।

उपर्युक्त कथनों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

46. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।
2. यह किसानों द्वारा की गई उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
3. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर एमएसपी साल में तीन बार तय की जाती है।

उपर्युक्त कथनों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विदेशी न्यायाधिकरण प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के अनुसार स्थापित अर्ध - न्यायिक निकाय हैं।
2. वर्तमान में, विदेशी न्यायाधिकरणों के गठन की शक्तियाँ केवल भारत की संसद में निहित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व CJI द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

49. संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जिनका आनंद संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से मिलता है।
2. स्पीकर या राज्यसभा सभापति किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच का पहला स्तर है।
3. संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते, जो संसद का अभिन्न अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

50. भारत में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भौगोलिक संकेत पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
2. भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

51. समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
2. यह कन्वेंशन समुद्र के कानून पर दूसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

52. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित एक समुद्री क्षेत्र है जिस पर एक राज्य को समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
2. यह आधार रेखा से तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।
3. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में, तटीय राज्य को कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और संचालन का विशेष अधिकार होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

53. भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है जो मुद्रास्फीति की एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के इर्द-गिर्द घूमती है।
2. संशोधित आरबीआई अधिनियम में हर चार साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

54. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. डेनमार्क
2. एस्टोनिया
3. फिनलैंड
4. जर्मनी
5. लातविया

बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, जो उपर्युक्त में से किस देश से घिरा है?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 5
(d) उपरोक्त सभी

55. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है।
2. सदन के अध्यक्ष या सभापति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं।
3. अब तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
4. केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही महाभियोग के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1 और 3

उत्तर

1	c	15	a	29	a	43	c
2	c	16	b	30	b	44	b
3	d	17	d	31	a	45	c
4	a	18	b	32	b	46	a
5	c	19	a	33	c	47	d
6	b	20	c	34	b	48	a
7	a	21	b	35	b	49	b
8	a	22	b	36	a	50	a
9	d	23	c	37	b	51	a
10	d	24	c	38	c	52	b
11	c	25	d	39	a	53	a
12	c	26	c	40	a	54	d
13	b	27	d	41	b	55	a
14	c	28	a	42	c		

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH

23 SEPT
2024

GS FOUNDATION BATCH

UPSC (IAS)

MORNING BATCH
(HINDI MEDIUM)
8:30 AM

EVENING BATCH
(ENGLISH MEDIUM)
5:30 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

GS FOUNDATION BATCH

UPPCS

MORNING BATCH
8:00 AM

EVENING BATCH
6:00 PM

OFFLINE / ONLINE BATCH

CP-1 Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow
7234000501, 7234000502

COMING SOON

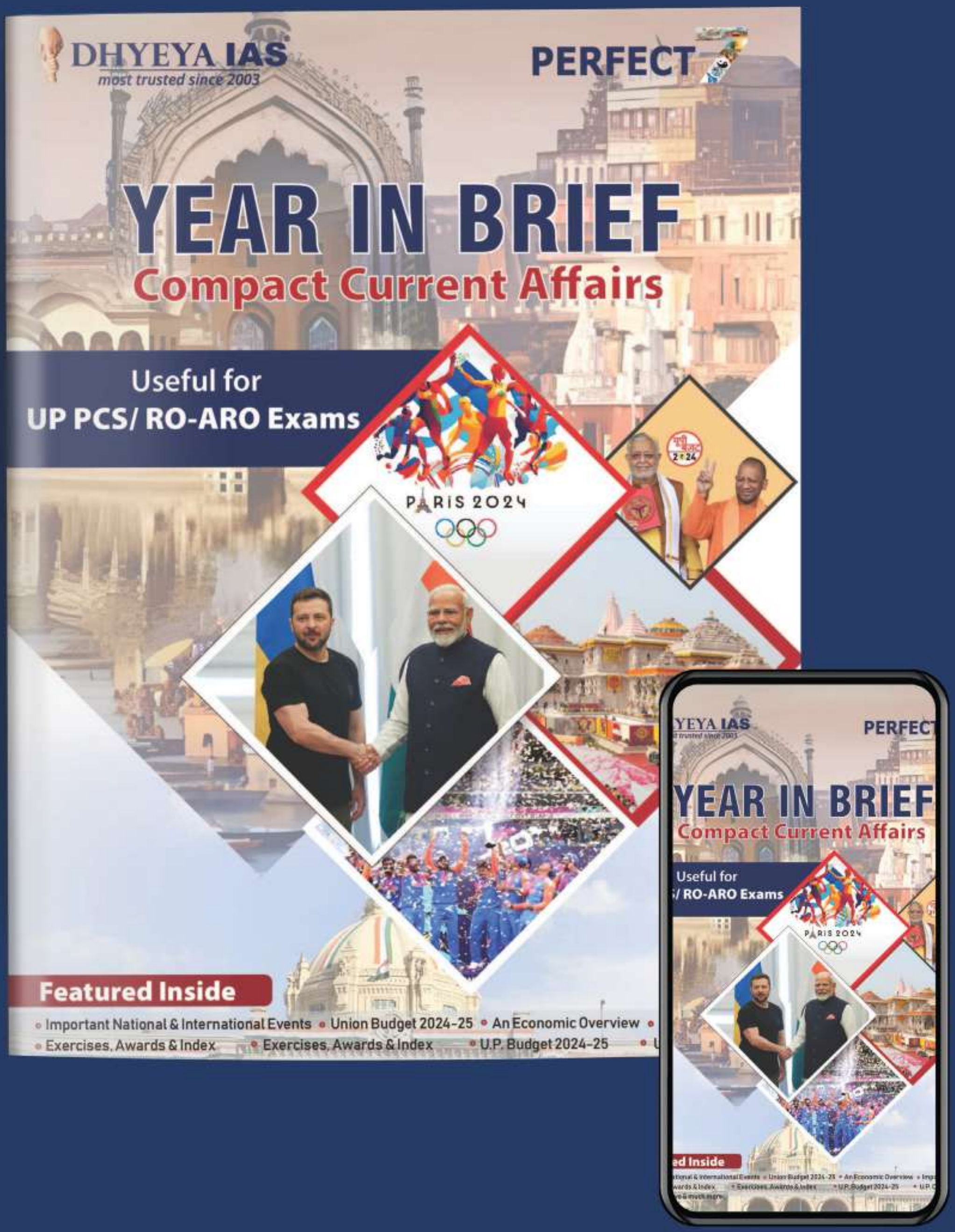

For more Info.-9369227134